रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261015 CG-DL-E-14022025-261015

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली , बुधवार, फ़रवरी 12, 2025/माघ 23, 1946 No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGH 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय) अंतिम जांच परिणाम नई दिल्ली ,12 फरवरी, 2025 मामला सं.-एडी (ओआई) -03/2024

विषय: चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यातित "टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2)" के आयातों से संबन्धित पाटनरोधी जांच ।

फा.सं. 6/03/2024-डीजीटीआर .—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षिति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. जबिक, केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और वीवी टाइटेनियम पिग्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टाइटेनियम डाइऑक्साइड" (जिसे आगे

1100 GI/2025 (1)

- "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।
- 2. और जबिक, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त पृथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पिठत सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-। खंड- I में प्रकाशित 28 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या 6/03/2024-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

- 3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च, 2024 को सार्वजनिक अधिसूचना जारी की।
 - ग. नियम 6(2) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों तथा संबद्ध देश के निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा जांच की शुरुआत में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
 - घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।
 - ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।
 - च. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए और यदि अपेक्षित हो तो उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव अगोपनीय आवेदन-पत्र के परिचालन की तारीख से 15 दिन की अविध के भीतर देने का अवसर दिया गया था।
 - छ. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने का अवसर दिया गया था।
 - ज. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव संबंधी इनपुट की मांग करते हुए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली(जिसे आगे यहां 'ईआईक्यु' कहा गया है) भी जारी की।
 - झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए, संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
 - i. लोमोन बिलियन्स ग्रुप (चीन)
 - ii. सीएनएनसी हुआ युआन टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - iii. शेडोंग डोगाइड ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)

- iv. जिनान यूक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड (चीन)
- v. शेडोंग डॉन ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)
- vi. जिलिन जीपीआरओ टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
- vii. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (चीन)
- viii. पैंगांग ग्रुप टाइटेनियम रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड (चीन)
- ix. अनहुई अन्नाडा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
- x. पंजिहुआ डोंगफैंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xi. जियांग्शी टिकॉन टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xii. गुआंग्शी जिनमाओ टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xiii. शंघाई यूजियांग टाइटेनियम केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xiv. जियांग्सू जीपीआरओ ग्रुप (चीन)
- xv. शेडोंग जिन्हाई (लुबेई) (चीन)
- xvi. चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी (चीन)
- xvii. पंजिहुआ ताइहाई (चीन)
- xviii. अनहुई अन्नदा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xix. पंजिहुआ हाइफेंगक्सिन रसायन। कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xx. कांगवू शुनफेंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xxi. केमोर्स चेंगुआंग (चीन)
- xxii. जियांग्शी तिकोन टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xxiii. गुआंग्शी जिनमाओ (चीन)
- xxiv. गुआंग डोंग हुई यूं टाइटेनियम उद्योग (चीन)
- xxv. जियांग्सू ताइबाई ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)
- xxvi. तियानयुआन समूह (चीन)
- xxvii. युन्नान दाहुतोंग (चीन)
- xxviii. पंजिहआ ज़िंगज़ोंग (चीन)
- ञ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया है।
 - i. हेनान बिलियन एडवांस्ड मटेरियल कं, लिमिटेड
 - ii. एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड
 - iii. एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - iv. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - v. एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - vi. बिलियन (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - vii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड
 - viii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
 - ix. यिबिन तियानयुआन हैफेंग हेताई कं, लिमिटेड
 - x. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं, लिमिटेड

- xi. एफॉन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- xii. शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड
- xiii. शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
- xiv. पैंगांग समूह की चोंगकिंग टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- xv. पैंगांग समूह टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- xvi. पैंगांग समृह चेंगद् वैनेडियम और टाइटेनियम संसाधन विकास कं, लिमिटेड
- xvii. पैंगांग समूह चोंगर्किंग वैनेडियम और टाइटेनियम प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
- xviii. जियांग्शी टिकॉन टाइटेनियम उत्पाद कं लिमिटेड (एक ट्रोनॉक्स कंपनी)
- xix. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कं, लिमिटेड
- xx. इंटर चाइना केमिकल कं, लिमिटेड
- xxi. अनहुई अन्नाडा टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- xxii. शेडोंग डोगाइड समृह कं, लिमिटेड
- xxiii. कियानजियांग फैंगयुआन टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- xxiv. जिनान यूक्सिंग केमिकल कं, लिमिटेड
- xxv. निंगबो शिनफु टाइटेनियम डाइऑक्साइड कं, लिमिटेड
- xxvi. निंगबो शिनफू केमिकल मार्केटिंग कं, लिमिटेड
- xxvii. शेडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- ट. संबद्ध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर, उत्तर दिया है:
 - i. हेनान बिलियन एडवांस्ड मटेरियल कं, लिमिटेड
 - ii. एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड
 - iii. एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्टी कं, लिमिटेड
 - iv. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - v. एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - vi. बिलियन (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - vii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड
 - viii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
 - ix. यिबिन तियानयुआन हैफेंग हेताई कं, लिमिटेड
 - x. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं, लिमिटेड
 - xi. एफॉन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
 - xii. शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड
 - xiii. शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
 - xiv. पैंगांग समूह की चोंगिकंग टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
 - xv. पैंगांग समूह टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
 - xvi. पैंगांग समूह चेंगदू वैनेडियम और टाइटेनियम संसाधन विकास कं, लिमिटेड
 - xvii. पैंगांग समूह चोंगर्किंग वैनेडियम और टाइटेनियम प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड

- xviii. जियांग्शी टिकॉन टाइटेनियम उत्पाद कं लिमिटेड (एक ट्रोनॉक्स कंपनी)
- xix. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कं, लिमिटेड
- xx. इंटर चाइना केमिकल कं, लिमिटेड
- xxi. अनहुई अन्नाडा टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- xxii. शेडोंग डोगाइड समूह कं, लिमिटेड
- xxiii. कियानजियांग फैंगयुआन टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- xxiv. जिनान यूक्सिंग केमिकल कं, लिमिटेड
- xxv. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कं, लिमिटेड
- xxvi. निंगबो शिनफू केमिकल मार्केटिंग कं, लिमिटेड
- xxvii. शेडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- ठ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए, भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी:
 - i. एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड
 - ii. जेसीटी लिमिटेड
 - iii. बर्जर पेंट्स लिमिटेड
 - iv. श्लमैन प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड
 - v. बर्जर बेकर कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. हैंसन पेंटस
 - vii. कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड
 - viii. कामधेनु पेंट्स
 - ix. अक्जो नोबेल
 - x. युफ्लेक्स लिमिटेड
 - xi. जोटुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xii. अपोलो पाइपिंग सिस्टम्स
 - xiii. इंडिगो पेंट्स
 - xiv. यानसेफू इंक्स एंड कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xv. क्लेरिएंट केमिकल्स
 - xvi. मुंद्रा मास्टरबैचेज
 - xvii. एससीजे प्लास्टिक्स
 - xviii. पैरामाउंट पाउडर
 - xix. आशीर्वाद पाइप्स
 - xx. भाविन इंडस्ट्रीज
 - xxi. हाई-टेक इंक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ड. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में खुद को पंजीकृत किया है:
 - i. केमको कॉरपोरेशन
 - ii. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. सोलटेक्स पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड
 - iv. श्री अंबिका पॉलीफिल
 - v. मेरिट पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. प्लास्टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. पॉलीवर्ल्ड
 - viii. के टी क्वालिटी कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड

- ix. कंडुई इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ढ. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
 - i. केमको कॉर्पोरेशन
 - ii. इंडियन पेंट एसोसिएशन के माध्यम से निप्पॉन पेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ण. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है, परंतु जांच प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. क्लासिक सॉल्वैंट्स
- त. निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है:
 - i. इंडियन पेंट एसोसिएशन (आईपीए)
 - ii. ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए)
 - iii. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
 - iv. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
- थ. चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक एसोसिएशन ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और लिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. चाइना नेशनल कोटिंग्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीएनसीआईए)
- द. निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने जांच प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. इंडियन पेंट एसोसिएशन (आईपीए)
 - ii. ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए)
 - iii. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
 - iv. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
- ध. निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशन ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है परंतु जांच प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. इंडियन पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन (आईपीसीए)
- न. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।
- प. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेन-देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वे प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे और जांच की शुरुआत के चरण में तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए उन पर विचार किया गया था।
- फ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धित के संबंध में अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख 15 दिन का समय दिया गया था, जो हितबद्ध पक्षकों के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय विस्तार के बाद 6 मई, 2024 को समाप्त हो गया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जाँच की गई।
- ब. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के संबंध में चर्चा करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ 3 जून 2024 को विचार-विमर्श आयोजित किया। हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट प्राप्त होने के बाद, प्राधिकारी ने 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और

पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया। प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को 16 जुलाई, 2024 से 30 दिन का समय दिया।

- भ. उत्पादकों और निर्यातकों/व्यापारियों, जिन्होंने जांच में उत्तर दिया, की भारी संख्या के मद्देनजर, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसरण में और हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की जांच करने के बाद, जांच अविध के दौरान चीन जन.गण. से भारत को निर्यात की मात्रा की भारी प्रतिशतता के आधार पर पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित तीन (3) उत्पादकों का उनके संबद्ध निर्यातकों के साथ चयन किया, जिनकी सुची नीचे दी गई है:
 - क. **एलबी ग्रुप** जिसमें निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कं, लिमिटेड, एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, बिलियन्स (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके
 - ख. **गोल्ड स्टार ग्रुप** जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड और अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
 - ग. **डोंग ग्रुप** में उत्पादक/निर्यातक- शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड और शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
- म. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से नमूनाकृत उत्पादकों के पाटन मार्जिन के आधार पर और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारित किया।
- य. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 29 अक्टूबर, 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई है, दायर करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर साझा करने का भी निर्देश दिया गया था।
- कक. क्षिति रहित कीमत (जिसे इसके पश्चात 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन की लागत और नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय के आधार पर किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे।
- खख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की गई है और आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन के दौरान सत्यापित की गई है तथा वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- गग. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी, आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया है तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- घघ. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना सं. 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल 2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके में पारस्परिक आधार पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना/अनुरोधों की जांच उन गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी।

- ड.ड. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान जांच में संगत माने गए हैं।
- चच. जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है, अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड किया है।
- छछ. इस प्रकटन विवरण में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना दर्शाता है।
 - जज. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.21 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद (जिसे इसके बाद "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है), निम्नलिखित था:
 - 3. वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद "टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिसमें खाद्य, फार्मा, त्वचा-देखभाल, कपड़ा और फाइबर अनुप्रयोग और नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल नहीं है, जिसका कण आकार 100 एनएम से कम है" उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से हटाना
 - 4. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से निम्नलिखित अनुप्रयोगों या विनिर्देशन के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखा गया है:
 - i. खाद्य
 - ii. फार्मा
 - iii. त्वचा-देखभाल
 - iv. कपड़ा
 - v. फाइबर अनुप्रयोग
 - vi. नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसका कण आकार 100 एनएम से कम है

उत्पाद के सामान्य गुण-धर्म

- 5. टाइटेनियम डाइऑक्साइड (टीआई02) एक सफेद अकार्बनिक यौगिक है जिसे मुख्य रूप से खिनज अयस्कों से निकाला जाता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है। टीआई02 का मुख्य प्राकृतिक स्रोत इल्मेनाइट अयस्क है जिसमें 30-60% टीआई02 होता है। शुद्ध टीआई02 का उत्पादन इल्मेनाइट अयस्क से क्लोराइड या सल्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है।
- 6. वर्तमान जांच में संबद्ध सामान यानी टीआई02 वर्णक हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को इसके कण आकार के आधार पर मोटे तौर पर पिगमेंटरी टीआई02 और नैनो/अल्ट्राफाइन टीआई02 में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिगमेंटरी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का आयाम लगभग 200 350 एनएम है जो कुल उत्पादन का 98% बनाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से इसके उच्च अपवर्तक सूचकांक और परिणामस्वरूप दृश्य प्रकाश के बिखराव और उच्च अपारदर्शिता के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्पादन का 98% वर्णक के रूप में उपयोग किया जाता है।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ग्रेड- रूटाइल और एनाटेस ग्रेड

- याचिकाकर्ता/आवेदक टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रूटाइल और एनाटेस ग्रेड का निर्माण कर रहे हैं जो कि क्रिस्टल संरचना के आधार पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के दो रूप हैं।
- 8. रूटाइल एक खनिज है जो मुख्य रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बना है। रूटाइल इल्मेनाइट से उत्पादित किया जाता है, जो कि टाइटेनियम, फेरस आयरन और फेरिक आयरन

- का मिश्रण है। रूटाइल टीआई02 का सबसे आम प्राकृतिक रूप है। रूटाइल में किसी भी ज्ञात खनिज के उच्चतम अपवर्तक सूचकांक होते हैं और यह उच्च फैलाव प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक रूटाइल में 10% तक लोहा और महत्वपूर्ण मात्रा में नियोबियम और टैंटलम हो सकते हैं।
- 9. टीआई02 का एनाटेस ग्रेड इल्मेनाइट से निर्मित होता है, जो कि टाइटेनियम, फेरस आयरन और फेरिक आयरन का मिश्रण है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में सफेदी होती है। इल्मेनाइट में टाइटेनियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस कच्चे माल की प्रतिक्रिया करके निकाला जाता है। टाइटेनियम टाइटेनियम ऑक्सी सल्फेट के रूप में घोल में जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेस को टाइटेनियम ऑक्सी सल्फेट से लाइव स्टीम इंजेक्ट करके और उपचारित पल्प को डीवाटर करके प्राप्त किया जाता है।

प्रयोग

10. टाइटेनियम डाइऑक्साइड ज्ञात पिगमेंट में सबसे चमकीला और सफ़ेद है और अपने उच्च अपवर्तक सूचकांक और यूवी प्रतिरोध के कारण पेंट और कोटिंग्स, प्लास्टिक, कागज़, रबड़ और स्याही जैसे अनुप्रयोगों में सबसे अधिक मांग वाला सफ़ेद पिगमेंट है। उच्च अपवर्तक सूचकांक अंतिम उत्पादों को उच्च सफ़ेदी और छिपाने की शक्ति (अपारदर्शिता) प्रदान करता है। टीआई02 पिगमेंट ऊर्जा बचाने वाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि गर्म जलवायु में इमारतों के बाहर पेंट कोटिंग्स में उपयोग किए जाने पर प्रकाश परावर्तक गुणों के कारण यह एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता को कम करता है।

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

- 11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 और 32 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। अध्याय 28 के अंतर्गत उत्पाद के लिए समर्पित कोड 28230010 है। हालाँकि, चूँकि यह एक रंगद्रव्य है, इसलिए आयात 32061110 और 32061190 के अंतर्गत भी रिपोर्ट सूचित किए जा रहे हैं। हालाँकि, यह संभव है कि संबद्ध सामनों को अन्य शीर्षकों के अंतर्गत आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।"
- 5. घरेलू उद्योग ने शुरू में क्रिस्टलीय संरचना यानी एनाटेस और रूटाइल पर आधारित पीसीएन पद्धित का प्रस्ताव रखा था।
- 6. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षकारों से विभिन्न टिप्पणियां प्राप्त हुईं थी। उन पर चर्चा करने के लिए 3 जून 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- टाइटेनियम डाइऑक्साइड (टीआई02) के विभिन्न ग्रेड और प्रकारों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं,
 उपयोग, मूल्य निर्धारण और उत्पादन लागत में अंतर के कारण निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए जांच में
 पीसीएन वार मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। उत्पादन प्रक्रिया और क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर पीसीएन वर्गीकरण:
 एनाटेस-सल्फेट (ए-एस), रूटाइल-सल्फेट (आर-एस), और रूटाइल-क्लोराइड (आर-सी) कई हितबद्ध पक्षकारों
 द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं।
- ii. टीआई02 दो क्रिस्टलीय रूपों में मौजूद है: रूटाइल और एनाटेस। रूटाइल में अधिक कॉम्पैक्ट और समित क्रिस्टल जाली के कारण उच्च अपवर्तक सूचकांक, अधिक रासायिनक स्थिरता और बेहतर स्थायित्व होता है। एनाटेस में कम अपवर्तक सूचकांक, कम स्थिरता और कम घनापन, अनियमित क्रिस्टल संरचना होती है। ये अंतर उनके अलग-अलग अनुप्रयोगों और गुणों को प्रभावित करते हैं।
- iii. टीआई02 का उत्पादन क्लोराइड या सल्फेट मार्ग से होता है, जो इसके गुणों और ग्रेड को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। क्लोराइड प्रक्रिया उच्च-शुद्धता वाले टीआई02 का उत्पादन करती है जो ऑटोमोबाइल और वास्तुकला के लिए पेंट और कोटिंग्स जैसे उच्च-गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह अधिक महंगा है। सल्फेट प्रक्रिया कम-शुद्धता वाले टीआई02 का उत्पादन करती है, जो कागज, प्लास्टिक और रबड़ में अनुप्रयोगों के लिए लागत प्रभावी है। एनाटेस पिगमेंट आमतौर पर सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया

- जाता है, जबकि रूटाइल पिगमेंट क्लोराइड और सल्फेट दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है।
- iv. सल्फेट-एनाटेस और सल्फेट-रूटाइल के बीच 20% से अधिक कीमत अंतर है और सल्फेट-एनाटेस और क्लोराइड-रूटाइल के बीच 40% से अधिक कीमत अंतर है।
- v. "सल्फेट मार्ग के माध्यम से निर्मित रूटाइल-ग्रेड टीआई02" को विचाराधीन उत्पाद से बाहर करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कोई भी आवेदक इस विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी मापदंडों, उत्पादन लागत, अंतिम उपयोग और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण अंतर के कारण "क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित रूटाइल-ग्रेड टीआई02 को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर करने का अनुरोध किया गया है।
- vi. टीआई02 के एनाटेस और रूटाइल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में मिलाना त्रुटिपूर्ण होगा। वे अपनी उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक, तकनीकी और रासायनिक गुणों के साथ-साथ अंतिम उपयोग में भिन्न हैं। इन ग्रेडों को विभिन्न टैरिफ शीर्षकों के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है।
- vii. यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि एनाटेस और रूटाइल ग्रेड शुद्धता, अपवर्तक सूचकांक, विशिष्ट गुरुत्व, कठोरता और क्रिस्टल संरचना जैसे गुणों में काफी भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पादन तकनीक और अनुप्रयोग में अंतर के कारण उन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- viii. अधिकतर चीनी उत्पादक सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल-ग्रेड टीआई02 का निर्माण करते हैं लिमिटेड सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से एनाटेज-ग्रेड टीआई02 का उत्पादन करता है। कोई भी घरेलू उत्पादक सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल-ग्रेड टीआई02 का निर्माण नहीं करता है। इसलिए, सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित रूटाइल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ix. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने पिगमेंटरी टीआई02 को 200-350एनएम के कण आकार की सीमा के रूप में परिभाषित किया है। 200एनएम से कम और 350एनएम से अधिक कण आकार वाले उत्पादों को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे पिगमेंटरी टीआई02 के परिभाषित क्षेत्र से बाहर हैं।
- x. इंडियन पेंट एसोसिएशन (आईपीए) ने यह तर्क दिया है कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जिसमें ऐसे ग्रेड शामिल हैं जो न तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और न ही घरेलू स्तर पर आपूर्ति किए जाते हैं। भिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक गुण-धर्मों वाले इन ग्रेडों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे संगत पाटनरोधी नियमों के तहत "समान उत्पाद" अथवा "समान वस्तु" की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। आईपीए का तर्क है कि उपभोक्ता धारणा, भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोग और अनुप्रयोग अंतर जैसे मापदंड गैर-प्रतिस्थापनीयता स्थापित करते हैं।
- xi. चमकीले और नीले रंग के रूटाइल ग्रेड को इसके बेहतर भौतिक गुणों से पहचाना जाता है, जिसमें उच्च चमक, बढ़ा हुआ यूवी प्रतिरोध और घरेलू उद्योग के उत्पाद की तुलना में बेहतर समग्र प्रदर्शन शामिल है। ये गुण-धर्म इसे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले फिनिश और स्थायित्व की मांग करने वाले अनुप्रयोगों में।
- xii. निष्पादन ग्रेड बीएलआर 895 या एलआर 961 असाधारण फिनिश, उच्च चमक, बेहतर स्थायित्व और छिव की उच्च विशिष्टता (डीओआई) देने की उनकी क्षमता के कारण औद्योगिक और सजावटी पेंट में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। हालाँकि, घरेलू उद्योग के ग्रेड इन महत्वपूर्ण पहलुओं में कम पड़ते हैं। औद्योगिक और सजावटी पेंट निर्माताओं ने उच्च अंत अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक निष्पादन मानकों को पूरा करने में असमर्थता का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग के ग्रेड को लगातार अस्वीकार कर दिया है।
- xiii. सल्फेट ग्रेड बीएलआर 698 या बीएलआर 601 उच्च कवरेज, बेहतर फिनिश गुणवत्ता और देखने में आकर्षक चमकदार सफेद दिखावट प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग के ग्रेड, जो क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं, अक्सर कम कवरेज, घटिया फिनिश और पीला रंग प्रदर्शित करते हैं। ये किमयां घरेलू उद्योग के उत्पादों को उच्च अंत अनुप्रयोगों में सटीक और सुसंगत परिणाम चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं।
- xiv. इसके अतिरिक्त, औद्योगिक पेंट के लिए, घरेलू उद्योग के उत्पादों को अक्सर अतिरिक्त रेत मिलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे क्षमता और श्रूपुट कम हो जाता है। सजावटी उपयोग के लिए भी इसी तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। आयातित ग्रेड को रेत मिलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वे घरेलू उद्योग के उत्पाद की तुलना में काफी अधिक लागत प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभप्रद हो जाते हैं।
- xv. आईपीए आगे तर्क देता है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए क्लोराइड प्रक्रिया का उपयोग करता है इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाने वाले ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना

- चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान ऐसे ग्रेड के लिए भौतिक क्षति नहीं हो सकती है, और वे आयातित ग्रेड के समान वस्तु नहीं हैं।
- xvi. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने फाइबर और टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले टीआई02 को बाहर रखने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।
- xvii. पीएचडीसीसीआई ने तर्क दिया है कि कागज और पेपरबोर्ड उद्योग डेकोर पेपर के उत्पादन के लिए सालाना लगभग 6,000 एम.टी. रूटाइल टीआई02 का उपभोग करता है जिसका मुख्य रूप से फर्नीचर और आवास के लिए लेमिनेट में किया जाता है। उच्च अपवर्तक सूचकांक, प्रभावी प्रकाश बिखराव और यूवी अवशोषण गुणों के कारण डेकोर पेपर में वांछित अपारदर्शिता, सफेदी और चमक प्राप्त करने के लिए टीआई02 आवश्यक है। सल्फेट प्रक्रिया रूटाइल टीआई02, अधिक किफायती होने के कारण, डेकोर पेपर उद्योग द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकार है।
- xviii. टीआई02 का उपयोग सजावटी कागज के लिए कागज निर्माण के पल्प या फाइबर चरण में किया जाता है, न कि निर्माण के बाद। घरेलू उद्योग का टीआई02 सजावटी कागज उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा सजावटी कागज उद्योग को टीआई02 की कोई बिक्री नहीं की गई है, जो इस अनुप्रयोग के लिए उनके उत्पाद की अनुपयुक्तता की पृष्टि करता है। इसलिए, सजावटी कागज के निर्माण के लिए पल्प या फाइबर चरण में उपयोग किए जाने वाले टीआई02 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xix. एसोचैम ने अनुरोध किया है कि सजावटी कागज (फाइबर/लुगदी चरण में प्रयुक्त) के अलावा कागज बनाने के लिए एनाटेस ग्रेड टीआई02 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xx. प्लास्टिक और पीवीसी अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाले टीआई02 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
- xxi. रूटाइल क्लोराइड प्रक्रिया द्वारा टीआई02 के लिए उच्च श्रेणी के कच्चे माल जैसे बेहतर टीआई02 अयस्क की आवश्यकता होती है, जो रूटाइल सल्फेट प्रक्रिया द्वारा टीआई02 की तुलना में अधिक महंगा और दुर्लभ है, जिसके लिए इल्मेनाइट अयस्क की आवश्यकता होती है जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण कच्चे माल की लागत कम करता है और कम महंगा होता है। इसके अतिरिक्त, क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित रूटाइल में क्लोरीन और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को संभालने के लिए विशेष संक्षारक प्रतिरोधी उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत और जटिलता बढ़ जाती है, जबिक रूटाइल सल्फेट प्रक्रिया में सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है और सुरक्षा आवश्यकताएं कम होती हैं।
- xxii. अलग-अलग कण आकारों वाले टीआई02 के अलग-अलग लागत पैटर्न होते हैं, महीन कण आकारों के लिए अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है
- xxiii. केएमएमएल का रूटाइल क्लोराइड- आरसी 822, जिसमें 91.5% टीआई02 की मात्रा है, उच्च टीआई02 सामग्री वाले आयातित ग्रेड की तुलना में गुणवत्ता में कम है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 8. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. रूटाइल ग्रेड को पूरी तरह से बाहर रखा जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि घरेलू उत्पादन और आयात का अधिकांश हिस्सा रूटाइल ग्रेड का है और केएमएमएल विशेष रूप से रूटाइल-ग्रेड टीआई02 का उत्पादन करता है।
- ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू स्तर पर टीआई02 के एनाटेस ग्रेड का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा, सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल टीआई02 को बाहर करने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई अलग उत्पाद नहीं बनता है। इसके अलावा, सल्फेट और क्लोराइड प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बीच कीमत या विनिमेयता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित रूटाइल श्रू क्लोराइड के बीच तुलना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के रूटाइल श्रू क्लोराइड का निष्पादन आयातित के साथ काफी हद तक तुलनीय है।
- iii. केवल उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतर के आधार पर बाहर करने को व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया गया है जब तक कि वे विभिन्न उत्पादों के परिणामस्वरूप न हों।

- iv. घरेलू उद्योग 200एनएम से कम और 350 एनएम अधिक कण आकार वाले टीआई02 को बाहर करने के उत्तरदता के तर्क का भी विरोध करता है, जिसमें कहा गया है कि इन आकारों का उत्पादन और आपूर्ति घरेलू स्तर पर की जा रही है। हितबद्ध पक्षकारों ने इन कण आकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई वैध औचित्य नहीं दिया है।
- v. भारतीय पेंट एसोसिएशन (आईपीए) द्वारा चमकीले और नीले रंग के अंडरटोन रूटाइल टीआई02 के संबंध में तर्क का भी घरेलू उद्योग द्वारा इस आधार पर विरोध किया जाता है कि कोई भी विशिष्ट रूप से अलग उत्पाद प्रदर्शित नहीं किया गया है, और उत्तरदाताओं द्वारा उल्लिखित मापदंडों को डेटा से पृष्ट नहीं किया गया है। रूटाइल टीआई02 के लिए बीआईएस 'उज्ज्वल' या 'नीला' या 'चमकीले और नीले' अंडरटोन जैसी विशेषताओं को नहीं बताता है। टीआई02 उत्पाद का अंडरटोन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होता है और इसमें मापने योग्य विशेषताएं नहीं होती हैं। कोई भी दो टीआई02 उत्पादक चमक और अंडरटोन के मामले में सटीक एकरूपता प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग चमकीले और नीले अंडरटोन वाले उत्पाद प्रदान करता है, जिसका आकलन कार्बन ब्लैक अंडरटोन (सीबीयू) मूल्य सीमा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के उत्पादों की अपारदर्शिता, चमक और चमक के मूल्य आयातित उत्पादों के बराबर या कुछ मामलों में उनसे बेहतर हैं।
- vi. घरेलू उद्योग निष्पादन-ग्रेड टीआई02, जैसे बीएलआर 895 या एलआर 961 को बाहर करने का विरोध करता है क्योंिक बीएलआर 895 ग्रेड घरेलू उद्योग के आरसी 822 के समान नहीं है, लेकिन संरचना, सतह कोटिंग और निष्पादन विशेषताओं में घरेलू उद्योग के आरसी 808 से काफी तुलनीय है। घरेलू उद्योग के आरसी 822 और आरसी 822+ क्रमशः आयातित बीएलआर 896 और बीएलआर 896+ के बराबर हैं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित आर-सी में पीएच, अपारदर्शिता, चमक, स्थायित्व आदि सहित भौतिक और प्रदर्शन विशेषताएँ आयातित आर-सी के बराबर हैं और यह सजावटी और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे विशिष्ट अंतिम उपयोगों की आवश्यकता को पूरा करता है। नीचे घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए जाने वाले आर-सी ग्रेड दिए गए हैं जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोध में उल्लिखित आर-सी आयातित ग्रेड के बराबर हैं:

आर-सी आयातित	घरेलू उद्योग द्वारा तुलनीय आर-सी डीआई
बीएलआर 895	आरसी 808
बीएलआर 896	आरसी 822
बीएलआर 896+	आरसी 822+
एलआर 961	आरसी 800

- vii. सल्फेट ग्रेड, जैसे कि बीएलआर 698 या आर 868 या बीएलआर 601/आर 216 को बाहर करने के संबंध में, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि उन्हें किसी विशिष्ट उत्पादक के ग्रेड नाम के आधार पर बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे केवल नाम हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं हैं जिनका पालन किया जाना है।
- viii. घरेलू उद्योग यह भी अनुरोध करता है कि रेत मिलिंग प्रक्रिया आयातित उत्पादों और घरेलू उत्पादों दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पेंट उत्पादन के लिए कच्चे माल को मिलाने में एक आवश्यक कदम है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में उत्पाद की एकरूपता और उचित फैलाव सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। अतिरिक्त रेत मिलिंग की आवश्यकता केवल तब होती है जब टीआई02 का संचयन स्तर अधिक होता है, जबिक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड उच्च स्तर का फैलाव और कम संचयन प्रदान करता है। क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू उद्योग के रूटाइल का कवरेज आयात से कम नहीं है, जैसा कि बिखरने की क्षमता, उच्च रूटाइल प्रतिशत और बेहतर टिंट शक्ति मुल्यों से स्पष्ट है।
- ix. पीएचडीसीसीआई और एसोचैम के उत्तर में, घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि वस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टीआई02 (फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त, त्वचा की देखभाल, दवा अनुप्रयोगों और 100एनएम से कम कण आकार वाले नैनो या अल्ट्राफाइन टीआई02 बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआई02 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है।

- x. तथापि, घरेलू उद्योग सजावटी कागज (फाइबर/लुगदी चरण में प्रयुक्त) को छोड़कर कागज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीआई02 एनाटेस ग्रेड को बाहर रखने के एसोचैम के तर्क पर इस आधार पर आपत्ति जताता है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहा है।
- xi. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि पीवीसी अनुप्रयोग को भी प्लास्टिक अनुप्रयोग के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि पीवीसी इस अर्थ में प्लास्टिक का एक प्रकार है। टीआई02 का उपयोग मास्टरबैच बनाने में किया जाता है जिसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में प्लास्टिक में रंग जोड़ने के लिए किया जाता है।
- xii. भारत में टीआई02 की मांग में प्लास्टिक उद्योग का योगदान लगभग 25% है और घरेलू उद्योग प्लास्टिक उद्योग द्वारा खपत किए जाने वाले ग्रेड का निर्माण करता है। टीआई02 की एक बड़ी खपत होने के कारण, अनुप्रयोग की पूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है। इसलिए, पीवीसी अनुप्रयोग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
- xiii. केवल उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतर के आधार पर रूटाइल के माध्यम से सल्फेट को बाहर रखना अनुचित है, क्योंकि तरीकों में भिन्नता स्वाभाविक रूप से मौलिक रूप से अलग उत्पाद नहीं बनाती है। सल्फेट के माध्यम से रूटाइल और क्लोराइड के माध्यम से रूटाइल दोनों ही अदला-बदली के उपयोग साझा करते हैं और केवल रूटाइल क्रिस्टल की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। उपभोक्ता अक्सर दोनों प्रकार खरीदते हैं, जो उनकी कार्यात्मक समानता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल में अंतर के बावजूद, दोनों प्रक्रियाओं के लिए उत्पादन की लागत तुलनीय है। उल्लेखनीय रूप से, आवेदकों में से एक, टीटीपीएल के पास सल्फेट मार्ग के माध्यम से रूटाइल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक तकनीक और सेटअप है और इस प्रक्रिया का उपयोग करके रूटाइल टीआई02 का सक्रिय रूप से निर्माण करता है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 9. डीजी सिस्टम से मंगाए गए आयात संबंधी लेन-देन आंकड़ों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने रूटाइल क्लोराइड (आर-सी) और रूटाइल सल्फेट (आर-एस) के आयात मूल्यों और उत्पादन की लागत में महत्वपूर्ण अंतर पाया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस जांच के उद्देश्य से दोनों उत्पादों की निष्पक्ष तुलना के लिए अलग-अलग पीसीएन स्थापित करना आवश्यक समझते हैं।
- 10. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उससे बाहर किए जाने के अनुरोधों और व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में निम्नानसार विचार करते हैं:
 - क. <u>रूटाइल सल्फेट टीआई02 को बाहर रखा जाना चाहिए</u>- घरेलू उद्योग द्वारा सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल का उत्पादन नहीं करने का आरोप लगाने वाले अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग सल्फेट प्रक्रिया के साथ-साथ क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल ग्रेड का उत्पादन करता है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि टीटीपीएल के पास सल्फेट मार्ग से रूटाइल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और सेटअप है और उसने जांच अवधि के दौरान सल्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित रूटाइल टीआई02 का निर्माण और बिक्री की है। अत:, प्राधिकारी इस उत्पाद किस्म को बाहर करने के लिए की गई मांग से असहमत हैं।
 - ख. 200 एनएम से कम और 350 एनएम से अधिक कण आकार वाले टीआई02- हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि 200 एनएम से कम और 350 एनएम से अधिक कण आकार वाले टीआई02को बाहर रखा जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि 100 एनएम से कम कण आकार वाले संबद्ध सामान को पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से छूट दी गई है। इसके अलावा, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि 100 एनएम से अधिक कण आकार वाले टीआई02 के सभी ग्रेड आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि उत्पाद क्षेत्र 100 एनएम से कम कण आकार को ही बाहर रखता है।
 - ग. <u>चमकीले और नीले रंग की आभा वाला टीआई02 रूटाइल, प्रदर्शन ग्रेड</u> टीआई02 (बीएलआर 895 या एलआर 961) और सल्फेट ग्रेड (बीएलआर698/आर 868 या बीएलआर 601/आर 216) हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चमकीले और नीले रंग की आभा वाला टीआई02 रूटाइल ग्रेड, प्रदर्शन ग्रेड और विशिष्ट सल्फेट ग्रेड सहित कुछ ग्रेड को बाहर रखा जाए। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध घरेलू उत्पादों की तुलना में भौतिक या रासायनिक विशेषताओं या अंतिम उपयोगों में अंतर दिखाने वाले विश्वसनीय वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह तुलनीय उत्पाद प्रदान करता है और तर्क देता है कि बाहर किया जाना केवल व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा बनाए गए ग्रेड

- नामों पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड नाम उत्पादकों से विशिष्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। चूंकि उपभोक्ता इन उत्पादों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से करते हैं, अत: इन उत्पाद किस्मों को बाहर करने का औचित्य बनाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।
- घ. सजावट को छोड़कर कागज बनाने के लिए टीआई02 एनाटेस ग्रेड (फाइबर/लुगदी चरण में प्रयुक्त)- हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कागज बनाने के लिए एनाटेस ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग कागज (सजावट के कागज के अलावा) के उत्पादन के लिए सामग्री का उत्पादन करता है और उपभोक्ताओं को बेचता है। चूंकि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन करता है, इसलिए प्राधिकारी इसे बाहर रखने के अनुरोध से असहमत है।
- ड. कुछ अनुप्रयोगों के लिए टीआई02- सजावटी कागज बनाने के लिए रूटाइल ग्रेड और वस्त्र, खाद्य के उत्पादन में प्रयुक्त टीआई02- हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वस्त्र और खाद्य के उत्पादन में प्रयुक्त टीआई02 और सजावट के कागज के उत्पादन में प्रयुक्त रूटाइल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। घरेलू उद्योग उसे बाहर रखने के ऐसे अनुरोध से सहमत है क्योंकि इन अनुप्रयोगों में टीआई02 का उपयोग वर्णक के रूप में नहीं किया जाता है। प्राधिकारी इन अनुप्रयोगों के लिए टीआई02 को बाहर रखते हैं।
- च. <u>नैनो या अल्ट्राफाइन</u>- घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकार नैनो या अल्ट्राफाइन को बाहर रखने पर सहमत हो गए हैं क्योंकि घरेलू उद्योग इस वस्तु का उत्पादन नहीं करता है और इस उत्पाद की मांग कम है। तदनुसार, प्राधिकारी इस उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखते हैं।
- छ. <u>त्वचा देखभाल और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों के लिए टीआई02</u>- हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि त्वचा देखभाल और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआई02 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। घरेलू उद्योग ने बाहर करने के ऐसे अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है क्योंकि इन अनुप्रयोगों के लिए टीआई02 का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र त्वचा देखभाल और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों के लिए टीआई02 को बाहर रखता है।
- 11. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को निम्नानुसार मानते हैं:
 - 12. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद **"टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिसमें खाद्य, फार्मा, त्वचा-**देखभाल, वस्त्र और फाइबर अनुप्रयोग और नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल नहीं है, जिसका कण आकार 100 एनएम से कम है"

उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से बाहर रखना

13. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से निम्नलिखित अनुप्रयोगों या विनिर्देशों के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखा गया है:

क्र.सं.	बाहर रखे गए	बाहर रखे गए उत्पाद का वर्णन और विवरण
	उत्पाद	
1	खाद्य	रंग जैसे खाद्य योजकों में उपयोग किया जाने वाला खाद्य टीआई02
2	फार्मा	टेबलेट फिल्म कोटिंग में भाग के रूप में प्रयुक्त टीआई02
3	त्वचा देखभाल	टीआई02 का उपयोग यूवी- अवशोषक और फोटोकैटेलिस्ट अनुप्रयोगों के
		लिए कॉस्मेटिक्स और सनस्क्रील लोशन में में किया जाता है
4	वस्त्र	फाइबर के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला कपड़ा टीआई02।
		टीआई02 जिसका उपयोग मुख्य रूप से उसकी फोटो-कैटेलिटिक स्व-
		सफाई, यूवी-सुरक्षा और डिलस्टरिंग क्षमताओं आदि के कारण वस्त्र और
		रेशों के उत्पादन में किया जाता है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से
		बाहर रखा गया है।
		हालाँकि, इस प्रकार उसे बाहर रखा जाना टीआई02 पर लागू नहीं होता
		है जिसका उपयोग वस्त्र/परिधान/कपड़े/फैब्रिक पर छपाई के लिए वर्णक
		के रूप में किया जाता है।
5	फाइबर	फाइबर टीआई02 का उपयोग कृत्रिम फाइबर को डिलस्टर करने के लिए
		किया जाता है और इस फाइबर का उपयोग वस्त्रों के उत्पादन के लिए
		किया जाता है। फाइबर ग्रेड सामग्री का उपयोग फाइबर धागे के साथ
		मिश्रण करने के लिए किया जाता है ताकि कपड़ा खुद बनाया जा सके।

		टीआई02 रूटाइल ग्रेड डेकोर पेपर बनाने के लिए (फाइबर/पल्प स्टेज पर
		उपयोग किया जाता है)।
6	नैनो या	नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसका कण आकार
	अल्ट्राफाइन	100 एनएम से कम है, का उपयोग कपड़ा/पेंट उद्योग में धूल मुक्त
		कपड़ा/पेंट जैसी विशेषताएं देने के लिए किया जाता है।

पीसीएन पद्धति

पीसीएन	पीसीएन कोड
रूटाइल-क्लोराइड	आर-सी
रूटाइल-सल्फेट	आर-एस
एनाटेस-सल्फेट	ए-एस

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा माल के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। प्राधिकारी का मानना है कि आवेदकों की कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 14. आवेदकों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - यह आवेदन पत्र मेसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, मेसर्स त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स वीवी टाइटेनियम पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
 - ii. आवेदकों में भारत में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में शामिल सभी उत्पादक शामिल हैं। आवेदकों ने न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।
 - iii. आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में "घरेलू उद्योग" निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

''(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. वर्तमान आवेदन पत्र मेसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, मेसर्स त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स वीवी टाइटेनियम पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में जांच की अविध में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक हैं। संबद्ध सामानों के कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं हैं।

17. आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि आवेदकों ने जांच की अविध में भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा बनाया है। इस प्रकार, आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है। अत:, प्राधिकारी आवेदकों/याचिकाकर्ताओं को पात्र घरेलू उद्योग मानते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 18. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और 9 दिसंबर, 2013 के व्यापार सूचना 1/2013 और 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिका का अगोपनीय रूपांतर आरोपों की उचित समझ प्रदान करने में विफल रहा है और प्रकटन के लिए निर्धारित मानकों को पुरा नहीं करता है।
 - ii. नियम 7 में यह अधिदेशित है कि गोपनीयता के दावों के लिए एक अच्छे कारण विवरण के साथ गोपनीय आंकड़ों का अगोपनीय सार दिया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग अपने दावों को सही ठहराने या सार्थक अगोपनीय सार प्रदान करने में विफल रहा है। लागत संबंधी जानकारी और क्षति संकेतकों सहित महत्वपूर्ण आंकड़े को या तो पूरी तरह से रोक दिया गया है या वास्तविक आंकड़ों के बजाय रुझानों में दिया गया है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों के लिए विश्लेषण करना और प्रभावी ढंग से उत्तर देना असंभव हो गया है।
 - iii. बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी), क्षित रहित कीमत (एनआईपी), और मूल्यह्रास व्यय जैसे प्रमुख डेटा बिंदु या तो प्रदान नहीं किए गए हैं या अगोपनीय रूपांतर में अपर्याप्त रूप से प्रकट किए गए हैं।
 - iv. याचिका की धारा VI (लागत संबंधी जानकारी) में, घरेलू उद्योग ने दावा की गई गोपनीयता के लिए औचित्य प्रदान करने में विफल रहते हुए जानकारी को पूरी तरह से रोक दिया है। याचिका में संदर्भित अनुलग्नक अगोपनीय रूपांतर में शामिल नहीं हैं।
 - v. घरेलू उद्योग ने विभिन्न संकेतकों, जैसे उत्पादन मात्रा, बिक्री प्राप्तियां, जुटाई गई निधियां, और मूल्यह्रास, ब्याज और पीबीआईटी जैसे वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी प्रदान नहीं करके व्यापार सूचना 10/2018 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।
 - vi. अत्यधिक गोपनीयता से अन्य हितबद्ध पक्षकार को अपनी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। **ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाने का दायित्व पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के कार्यान्वयन में स्पष्ट है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 19. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. घरेलू उद्योग में तीन कंपनियां शामिल हैं: दो सार्वजिनक उपक्रम (केएमएमएल और टीटीपीएल) और एक निजी कंपनी (वीवीटी)। केएमएमएल क्लोराइड प्रक्रिया द्वारा केवल रूटाइल ग्रेड का उत्पादन करता है, वीवीटी केवल एनाटेस ग्रेड का उत्पादन करता है, और टीटीपीएल दोनों ग्रेड का उत्पादन करता है। जांच अविध के दौरान रूटाइल और एनाटेस ग्रेड की लागत और बिक्री कीमत में काफी अंतर है।
 - ii. कुल आंकड़ों के प्रकटीकरण से उत्पादकों को उन ग्रेड की लागत और कीमत निकालने में मदद मिल सकती है जिनका वे उत्पादन नहीं करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों को नुकसान पहुँच सकता है। लागत, लाभ और बिक्री कीमत अत्यधिक संवेदनशील व्यापारिक सूचना है, और इसके प्रकटन से घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

^{1 (2011) 2} SCC 258.

- iii. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि गोपनीयता के दावे रूस और जापान 2 के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थैलिक एनहाइड्राइड के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच जैसे मामलों में प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप हैं, जहां घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में 3 (तीन) उत्पादक थे, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के घटकों के विक्रय मूल्य और पीबीआईटी जैसे विवरण प्रदान नहीं किए और इसे गोपनीय बताया है। अन्य मामलों में भी इस पैटर्न का पालन किया गया था जैसे चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड 3 में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले थैलिक एनहाइड्राइड (पीएन) के आयात से संबंधित पाटनपरोधी जांच, चीन जन.गण.4 से पॉलिश या अनपॉलिश फिनिश में ग्लेज्ड अनग्लेज्ड पोर्सिलेन विद्रिफाइड टाइल्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच और चीन जन.गण.5 के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।
- iv. इसके अतिरिक्त, कई उत्तरदाताओं ने संबद्ध कंपनियों, शेयरधारकों के नाम, कंपनियों के ब्यौरे जैसे टेलीफोन और फैक्स नंबर प्रकट नहीं किए हैं। ये ब्यौरे बिना किसी वैध औचित्य के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- v. नमूना घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेज प्रकट नहीं किए गए है। जबिक दस्तावेज स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का खुलासा नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 20. नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
- 21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"
- $2 \qquad 14/6/2014-DGAD \ (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/phthalic-anhydride-originating-or-exported-russia-and-japan).$
- 3 6/16/2020-DGTR (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-phthalic-anhydride-pan-originating).
- 4 14/14/2014-DGAD (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/glazed-unglazed-porcelain-vitrified-tiles-polished-or-unpolished-finish-less-3).
- $5 \qquad 6/54/2020\text{-DGTR (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-plastic-processing-machines)}$

- 22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। प्राधिकारी मानते हैं कि कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों को स्वीकार किया गया है। जबिक मात्रा संबंधी मापदंड प्रकट नहीं किए गए हैं। अत: प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना से संतुष्ट हैं।
- 23. संतुष्ट होने पर प्राधिकारी, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं और उस सूचना को गोपनीय नहीं माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विदेशी उत्पादकों का नमूनाकरण

- 24. चीन से संबद्ध सामानों के बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उत्पादकों और निर्यातकों की बड़ी संख्या को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियम 17(3) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान जांच में नमूनाकरण का सहारा लेने का निर्णय लिया। प्राधिकारी के समक्ष दायर प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर, अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए निम्नलिखित तीन समूहों को चुना गया।
 - i <u>एलबी ग्रुप</u> में निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कंपनी लिमिटेड, एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, बिलियन्स (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके।
 - ii <u>गोल्ड स्टार समूह</u> जिसमें उत्पादक/निर्यातक- अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (समूह) कं, लिमिटेड और अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड शामिल हैं।
 - iii शेडोंग समूह जिसमें उत्पादक/निर्यातक- शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड और शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड शामिल हैं।
- 25. प्राधिकारी ने दिनांक 29.08.2024 को ईमेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को नमूना पद्धित और आगे की जांच के लिए नमूनाकृत समूहों के बारे में सूचित किया और उनसे टिप्पणियां मांगीं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भेजी गई टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और निर्यातकों/उत्पादकों के अंतिम नमूना समूहों को अधिसूचना संख्या फा.सं.-06/03/2024 दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से सूचित किया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सूचित किया कि इन उत्पादकों के साथ-साथ उनके संबद्ध निर्यातकों को अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।
- 26. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए थे।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. हितबद्ध पक्षकारों की सूची के अनुसार 21 उत्पादकों ने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं, जो व्यक्तिगत निर्धारण की अनुमति देने के लिए अधिक संख्या है।
 - ii. कुछ पक्षकारों द्वारा निर्यात की कम मात्रा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उनके उत्पाद प्रोफ़ाइल और निर्यात पैटर्न, उत्पाद प्रोफ़ाइल और समय अवधि दोनों के संदर्भ में भारत में निर्यात का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
 - iii. विगत में, चीनी उत्पादक, जिनकी जांच अवधि में नगण्य निर्यात मात्रा रही है, व्यक्तिगत रूप से कम शुल्क मिलने के बाद, भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गए।
 - iv. नमूनाकरण में वैश्विक मानदंड अधिकतम तीन कंपनियों पर विचार करना है:

- क. भारत 6 से सिरेमिक टाइल्स के मामले में, यूरोप ने मूल रूप से दो कंपनियों पर विचार किया और तीसरे स्थान पर स्थित कंपनी की ओर से आक्रामक प्रतिनिधित्व के बाद भी तीन कंपनियों के लिए नमूना आकार बढ़ाने से इनकार कर दिया।
- ख. कनाडा 7 से वुड पल्प के मामले में, चीन के वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) ने तीसरे स्थान पर स्थित कंपनी के लिए व्यक्तिगत रूप से पाटन मार्जिन निर्धारित करने से इनकार कर दिया, जबिक पहले तीन स्थानों पर स्थित कंपनियां लगभग समान मात्रा में निर्यात कर रही थीं।
- ग. अमेरिका दो से अधिक कंपनियों को 'अनावश्यक रूप से बोझिल' मानता है। **भारत 8 से क्वार्ट्ज** सरफेस प्रोडक्ट्स के मामले में, विचाराधीन 50 कंपनियों में से केवल दो कंपनियों के लिए पाटन मार्जिन की जांच और निर्धारण किया गया, जिसके परिणाम अन्य कंपनियों पर भी लागू किए गए।
- v. स्वैच्छिक आधार पर प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करना व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

29. हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की समीक्षा करने के बाद, निर्यात आंकड़ों को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जांच अविध के दौरान चीन से भारत को निर्यात मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर, तीन (3) उत्पादकों को उनके संबद्ध निर्यातकों/उत्पादकों के साथ पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए चुना गया था। इन 3 नमूना उत्पादकों/निर्यातक समूहों ने जांच अविध के दौरान लगभग 49% निर्यात में योगदान दिया, जिससे वे एक उपयुक्त और प्रतिनिधिकारक नमूना बन गए। अत:, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए नमूना उत्पादकों पर विचार किया है और चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उसी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मर्जिन का बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार निर्धारण</u> छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 30. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i चीन की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर दिया जाना चाहिए। चीन के अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई।
 - ii 11 दिसंबर, 2016 के बाद, पाटनरोधी विनियमों में चीनी निर्यातक उत्पादकों के लिए उनके घरेलू मूल्यों और लागतों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य की स्थापना की अनुमित देने वाले कोई प्रावधान नहीं हो सकते हैं।
 - iii भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धित का उपयोग करके चीन जन.गण. से उत्पादों के लिए पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई जीएटीटी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की अपेक्षाओं के असंगत होगी।
 - iv प्रतिनिधि देश पद्धति अब सामान्य मूल्य के परिकलन में लागू नहीं होती है, भले ही चीन जन.गण. को *पैक्टा संट सर्वंडा* के सिद्धांत, डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार की धारा 15 और चीन जन. गण. द्वारा शुरू की गई ईसी-फास्टनर्स पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के कारण बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता हो या नहीं।
 - चीन जन.गण. को डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इसकी पुष्टि डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने "ईसी-फास्टनर्स" में भी की थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन जन.गण. के साथ अपने संबंधित द्विपक्षीय समझौते में चीन के डब्ल्यूटीओ

⁶ यूरोपीय आयोग (2024). 7 मार्च, 2024 का आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2024/804 (यूरोपीय संघ की सरकारी पत्रिका एल 63,1;25).

^{7 &}quot;चीन में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों संबंधी सं गोष्ठी ," *विश्व व्यापी समीक्षा* 16, सं.. 4 (अक्तूबर 2017): 750–752.

^{8 &}quot;भारत से कुछ क्वार्टज स्तह के उत्पाद पाटनरोधी प्रशासनिक समीक्षा के भाग में परिणाम और निरसन 2022-23,"संघीय रजिस्टर, खंड 89, सं. 131, पृष्ठ 56292-56295, मंगलवार, जुलाई 9 2024.

में प्रवेश करने के 15 साल बाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति की समाप्ति के बारे में भी उल्लेख किया था।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (2) और 8(3) के साथ पठित पैरा-7 के अनुसार किया जाना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार, यह माना जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।
 - ii प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 (घ),15(क)(ii) का प्रावधान दिसंबर 2016 अर्थात डब्ल्यूटीओ में चीन जन.गण. के अभिगम के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो गया है। तथापि, अनुच्छेद 15(क)(i), जो चीन जन.गण. के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रदान करता है, अभी भी लागू है। इसलिए, एक वैध अवधारणा मौजूद है कि पाटनरोधी जांच के लिए चीन जन.गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
 - iii प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध I के पैरा 1-6 का तभी पालन करेंगे यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागतों और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता हो। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना को अपनाया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देंगे।
 - iv नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 1 से 6 चीन जन.गण. से आयात के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए लागू नहीं होते हैं, जब तक कि कोई उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य के साथ यह नहीं दिखाता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 32. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रिकया में समान वस्तु की कोई विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

- 33. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना देने की सलाह दी। प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए:
 - i. हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कं, लिमिटेड
 - ii. एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड
 - iii. एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - iv. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - v. एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - vi. बिलियन्स (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - vii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड
 - viii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
 - ix. यिबिन तियानयुआन हैफेंग हेताई कं, लिमिटेड
 - x. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं, लिमिटेड
 - xi. इफोन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
 - xii. शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड
 - xiii. शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
 - xiv. पैंगांग ग्रुप की चोंगिकंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - xv. पैंगांग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - xvi. पैंगांग ग्रुप चेंगद वैनेडियम और टाइटेनियम रिसोर्सेज डेवलपमेंट कं. लिमिटेड
 - xvii. पैंगांग ग्रुप चोंगर्किंग वैनेडियम और टाइटेनियम टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
 - xviii. जियांग्शी टिकॉन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एक ट्रोनॉक्स कंपनी)
 - xix. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कं, लिमिटेड
 - xx. इंटर चाइना केमिकल कं, लिमिटेड
 - xxi. अनहुई अन्नाडा टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - xxii. शेडोंग डोगाइड ग्रुप कं, लिमिटेड
 - xxiii. क्यू इयान टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
 - xxiv. जिनान युक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xxv. निंगबो जियांगफु टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड
 - xxvi. निंगबो जियांगफु केमिकल मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड
 - xxvii. शेडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- 34. प्राधिकारी ने निम्नलिखित तीन समूहों का नमूना लिया है, जिसमें संबंधित व्यापारी और उत्पादक शामिल हैं:
 - i एलबी समूह जिसमें निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कं, लिमिटेड, एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड और बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, युके।
 - ii <u>गोल्ड स्टार</u> समूह जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (समूह) कं, लिमिटेड और अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड।
 - iii <u>शेडोंग समूह</u> जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड और शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड।
- 35. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।
 - छ.3.1 सामान्य मूल्य
- 36. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:
 - "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- "(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धित का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
 - (ख) एससीएम समझौते के पैरा ॥,॥॥ और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष किठनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
 - (ग)आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
 - (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (॥) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
- 37. यह नोट किया जाता है कि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है।
- 38. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने एसजीए और लाभ जोड़कर संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपनी बाजार

अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना दें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना देने की सलाह दें।

23

- 39. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का विरोध नहीं किया। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंधं-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।
- 40. नियमावली का अनुबंध । निम्नलिखित रूप में पठित है:

गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सिहत तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रश्लगत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलबध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहा लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समायाविध दी जाएगी।

- 41. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में निर्धारित अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने "किसी अन्य उपयुक्त आधार" पर पद्धति पर विचार कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- 42. अत: प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन के लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ सिहत विधिवत समायोजित किया है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।
 - छ.3.2 सभी नमूनाकृत उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत
 - क) एलबी ग्रुप (नमूनाकृत)
 - i. मेसर्स एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - ii. मेसर्स एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - iii. मेसर्स एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - iv. मेसर्स एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - v. मेसर्स हेनान बिलियन एडवांस्ड मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - vi. मेसर्स बिलियन (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - vii. मेसर्स बिलियन यूरोप लिमिटेड, यूके
- 43. **एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड** की स्थापना 20 अगस्त, 1998 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में की गई थी। जांच अविध के दौरान, एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने *** एमटी अप्रत्यक्ष रूप से एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि इसमें से *** एमटी, बिलियन्स (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने *** एमटी भारत को

सीधे बेचा है और शेष *** एमटी अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके के माध्यम से भारत को बेचा गया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

- 44. एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना 20 अप्रैल, 2015 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अविध के दौरान, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
- 45. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना 21 फरवरी, 2001 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अवधि के दौरान, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि *** एमटी में से बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने *** एमटी भारत को सीधे बेचा है और शेष *** एमटी संबद्ध सामान बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने एक अन्य संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
- 46. एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. की स्थापना 29 अप्रैल, 2011 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच अविध के दौरान, एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स (हांगकांग) कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
- 47. हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कंपनी लिमिटेड की स्थापना 19 मई, 2016 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अवधि के दौरान, हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि *** एमटी में से बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने भारत को सीधे *** एमटी बेचा है और शेष *** एमटी संबद्ध सामान बिलियन्स (हांगकांग) कॉपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने एक अन्य संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का पीसीएन-वार भारित औसत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
- ख) गोल्ड स्टार ग्रुप (नमूनाकृत)
 - i. मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रूप) कंपनी लिमिटेड

ii. मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

48. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड की स्थापना 18 जनवरी, 1996 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।

जांच की अवधि के दौरान, अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** एमटी का संबद्ध सामान बेचा है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए कोई समायोजन का दावा नहीं किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

49. मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 20 अक्टूबर, 2017 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अविध के दौरान, अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक अर्थात मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. से *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ग) शेडोंग समूह (नमूनाकृत)

- मेसर्स शेडोंग जियांघई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
- ii. मेसर्स शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- 50. मेसर्स शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 16 अक्टूबर, 2013 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच अविध के दौरान, शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
- 51. मेसर्स शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. की स्थापना 24 अप्रैल, 2012 को चीन जन. गण. के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच अविध के दौरान, शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. ने सीधे भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।

घ) गैर प्रतिदर्शित सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

52. प्राधिकारी ने नमूना श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग पाटन मार्जिन के आधार पर मूल्यांकित भारित औसत पाटन मार्जिन पर विचार किया हैं। यह भारित औसत पाटन मार्जिन संबद्घ वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों की गैर-प्रतिदर्श श्रेणी को प्रदान किया गया है तथा पाटन मार्जिन तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

ड.) असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

53. प्राधिकारी ने तथ्यो के आधार पर चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

- 54. जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि पाटन मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- 55. यह नोट किया गया है कि कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में मानना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन स्थापित करना प्राधिकारी की एक सतत प्रक्रिया रही है। इस दृष्टिकोण के लिए तर्क यह है कि व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन की गणना करने से एंटी-डंपिंग उपायों की रोकथाम को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को सक्षम करने से उन्हें अप्रभावी बना दिया जा सकता है
- 56. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में माना गया है और उन्हें एक एकल पाटन मार्जिन दिया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई है।

<u>पाटन मार्जिन (डीएम) तालिका</u>

क्र.सं.	उत्पादक	सीएनवी	निवल निर्यात	पाटन मार्जिन	डीएम	डीएम
		(डॉलर/एमटी)	कीमत	(डीएम)	(%)	रेंज (%)
			(डॉलर/एमटी)	(डॉलर/एमटी)		
1.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम	***	***	***	***	60-70
	डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं					
2.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम					
	डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड					
3.	मेसर्स शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम	***	***	***	***	40-50
	रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड					
4.	मेसर्स शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं,					
	लिमिटेड					
5.	मेसर्स एलबी जियांगयांग टाइटेनियम	***	***	***	***	35-45
	इंडस्ट्री कं, लिमिटेड					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
6.	मेसर्स एलबी सिचुआन टाइटेनियम					
	इंडस्ट्री कं, लिमिटेड					
7.	मेसर्स एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्टी					
	कं, लिमिटेड					
	.,					
8.	मेसर्स एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड					
	huf tur for marine					
9.	मेसर्स हेनान बिलियन एडवांस्ड मैटेरियल कं, लिमिटेड					
	मटारयण क, ।लामटड 					
10.	गैर-प्रतिदर्श सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	40-50
11.	अवशिष्ट	***	***	***	***	90-100

खंड-॥

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आयात मात्रा के आंकड़े घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयातों, विशेष रूप से चीन जन. गण. पर महत्वपूर्ण निर्भरता दर्शाते हैं।
- ii. आयात ने जांच की अवधि में मांग में वृद्धि के साथ-साथ लगातार वृद्धि दर्शाई है।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है जबकि जांच की अवधि में अन्य देशों से आयात में गिरावट आई है।
- iv. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है और मांग आपूर्ति का अंतर आयात की आवश्यकता को उजागर करता है।
- v. ग्रेड-वार जांच से यह स्पष्ट आकलन हो सकेगा कि विभिन्न गुणवत्ता ग्रेड ने लागत और मूल्य निर्धारण गितशीलता में परिवर्तनों में कैसे योगदान दिया है। यह दृष्टिकोण उन ग्रेड की पहचान करने की अनुमित देगा जो उच्च या निम्न मांग, मूल्य निर्धारण दबाव या लागत भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं, जिससे मूल्य निर्धारण, विपणन और उत्पादन के लिए अधिक अनुरूप रणनीतियां बन सकती हैं। ऐसा विश्लेषण उन प्रवृत्तियों को भी उजागर कर सकता है जो समग्र डेटा में अस्पष्ट हो सकती हैं, जिससे अधिक सूचित निर्णय लेने और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलती है।
- vi. घरेलू उद्योग को कथित क्षति के लिए केवल संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अन्य योगदान देने वाले कारकों में कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव और घरेलू और विदेशी दोनों उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।
- vii. क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय (आरओसीई) का दावा अत्यधिक और पाटनरोधी नियमों के साथ असंगत है, क्योंकि यह नियोजित पूंजी के निवल मूल्य और ऋण घटकों दोनों पर अनुचित दर लागू करके क्षतिरहित कीमत गणना को बढ़ाता है। यह अनुरोध किया गया है कि क्षतिरहित कीमत की गणना घरेलू उद्योग द्वारा पाटन आरोपों के बिना अविध के दौरान अर्जित वास्तविक आरओसीई के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें मौजूदा आर्थिक स्थितियों पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज लागत और लाभ मार्जिन वास्तविक और उचित स्तरों को दर्शाते हैं।
- viii. रूटाइल और एनाटेस ग्रेडों के लिए क्षति का अलग-अलग विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी अनूठी क्रिस्टल संरचनाओं और परिणामी भौतिक और रासायनिक अंतरों के कारण पीयूसी के अलग-अलग रूप हैं।
- ix. रूटाइल-क्लोराइड और रूटाइल-सल्फेट के लिए क्षति का अलग-अलग विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि उनका परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्षति की समग्र जांच के लिए केवल पीसीएन को अपनाना अपर्याप्त है और यह एडी नियमों के अनुसार क्षति का निर्धारण करने के लिए सही मात्रा प्रभाव, कीमत प्रभाव और आर्थिक मापदंडों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- प्र. घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन की गणना करने और निवल निर्यात कीमत, क्षित मार्जिन, कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए दो अलग-अलग आयात मात्राओं का उपयोग किया है। घरेलू उद्योग ने एक असंगति पैदा की है जो क्षिति जांच को विकृत कर सकती है। चीन से आयात की मात्रा में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबिक गैर-संबद्ध देशों में लगभग 25% की गिरावट आई है। भारत में आयात में केवल

- 12.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कुल भारतीय मांग में वृद्धि के अनुरूप है। इसलिए, चीनी के आयात गैर-संबद्ध देश के आयात का बाजार हिस्सा ले रहे हैं, न कि भारतीय बाजार हिस्सा जो कमोबेश समान स्तर पर रहा।
- xi. चीनी के आयातों को अलग करने से पता चलता है कि आयात में वृद्धि रूटाइल-सल्फेट से संबंधित है। आयात में वृद्धि घरेलू रूप से रूटाइल सल्फेट के उपलब्ध नहीं होने के कारण रूटाइल-सल्फेट से संबंधित है। रूटाइल सल्फेट के आयात एक पसंद के बजाय आवश्यकता है।
- xii. कीमत कटौती अपने आप में ऐसी क्षति का सूचक नहीं हो सकती जिससे वास्तविक क्षति हुई हो। निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) निर्धारित करना एक व्यावसायिक निर्णय है, इसलिए डीआई की आंतरिक अकुशलता जिसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ सकती है और अधिक एनएसआर क्षति या वास्तविक क्षति का दावा करने का कारण नहीं हो सकती है।
- xiii.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के अनुसार, केएमएमएल ने मूल्य निर्धारण प्रथाओं को बनाए रखा है जो परिवर्तनीय लागतों की वसूली सुनिश्चित करती हैं जो कीमत ह्रास या न्यूनीकरण के दावों का खंडन करती हैं।
- xiv. भारत में रूटाइल टीआईओ2 का एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के बावजूद केएमएमएल ने वित्तीय वर्ष 2006-07 से अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं किया है। प्रयोक्ता उद्योग की लगातार और बढ़ती मांग के बावजूद, केएमएमएल की क्षमता समान बनी हुई है। क्षमता उपयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि केएमएमएल का निष्पादन समय के साथ सुसंगत रहा है, जिससे उत्पादन या क्षमता उपयोग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- xv. क्षति अवधि के दौरान केएमएमएल की बिक्री कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जबिक उत्पादन की लागत में कमी आई है, जो दर्शाता है कि केएमएमएल वर्तमान में ऐसे प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों का सामना नहीं कर रहा है जिसके लिए शुल्क लगाने की आवश्यकता होगी।
- xvi. केएमएमएल ने 2019-20 से 2022-23 तक क्रमशः पीयूसी सहित सभी क्षेत्रों में 120 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का सकल लाभ दर्ज किया है। इस प्रकार लाभप्रदता में गिरावट संबंधी दावों में कोई सच्चाई नहीं है और इन्हें अस्वीकार करना चाहिए।
- xvii.मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा यथा उल्लिखित 4,00,000 एमटी क्षमता हासिल करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग कथित तौर पर आंतरिक अकुशलताओं और उधार के कारण वित्तीय रूप से विवश है, ऐसा निवेश बिल्कुल असंभव लगता है।
- xviii.घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और बिक्री कीमत में मामूली वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग के निष्पादन में स्थिरता और सुधार का संकेत देती है, जो इस दावे को नकारती है कि घरेलू उद्योग क्षति उठा रहा है।
- xix. चीन जन. गण. से आयात में वृद्धि मामूली रही है और इसे वास्तविक क्षति के खतरे के दावे को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।
- xx. भारत विदेशी निर्यातकों के लिए असाधारण रूप से उच्च विकास या आकर्षक बाजार नहीं है क्योंकि हाल के वर्षों में मांग अपेक्षाकृत स्थिर रही है और यह विदेशी निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण या बढ़ते आकर्षण का संकेत नहीं देती है।
- xxi. घरेलू उद्योग ने चीन में वास्तविक स्थापित क्षमता पर विश्वसनीय आंकड़े प्रदान नहीं किये हैं जो कि टीआईओ2 के ग्रेड के विपरीत पीयूसी के उत्पादन के लिए समर्पित है जो इस जांच के अधीन नहीं हैं, जिसके अभाव में, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के अतिरिक्त क्षमताओं के अनुमानित दावों की अनदेखी करनी चाहिए।
- xxii.कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन घरेलू उद्योग के निष्पादन में एक कारक है और यह दर्शाता है कि पाटित वस्तुओं और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच किसी भी कारणात्मक संबंध का अभाव है। केएमएमएल की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में कोविड से संबंधित खर्चों में वृद्धि की जानकारी दी गई है, जिससे कंपनी की लागत में वृद्धि हो सकती है।
- xxiii.घरेलू उद्योग के पास एक अलग सब्सिडी-रोधी याचिका दायर करके घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कथित सब्सिडी से उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति को समाधान करने का विकल्प है। वर्तमान पाटनरोधी आकलन में ऐसी निर्यात कर छूटों की तरह सब्सिडीकरण द्वारा हुई क्षति के लिए कोई आकलन शामिल करना उचित नहीं होगा।

- xxiv.घरेलू उद्योग अपनी ब्याज लागतों में भारी वृद्धि के कारण अकुशल है, जिसने घरेलू उद्योग की बिक्री की बढ़ती लागत में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो सकता है, जिसने पिछले मुनाफे को घाटे में बदल दिया हो और जिससे आरओआई में गिरावट आई हो।
- xxv. घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से एलबी ग्रुप से होने वाली क्षति को उजागर किया है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि एलबी ग्रुप बैकवर्ड एकीकृत है, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धी लागत संरचना बनी हुई है। केएमएमएल खरीदी गई कच्ची सामग्री पर निर्भर करता है और इसलिए अपनी कच्ची सामग्री का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में असमर्थ है। केएमएमएल की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कच्ची सामग्री की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो बिक्री में वृद्धि के अनुपात में नहीं है जो अकुशलता को दर्शाता है।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 58. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. मांग 2021-22 तक लगातार बढ़ी लेकिन 2022-23 में और जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई।
 - ii. आधार वर्ष से जांच की अवधि तक संबद्ध देश से आयात में काफी वृद्धि हुई है।
 - iii. आयात में वृद्धि निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से काफी अधिक है।
 - iv. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात का हिस्सा क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है।
 - v. कुल भारतीय मांग में संबद्ध आयातों की बाजार का हिस्सा ***% है।
 - vi. कीमत कटौती का निर्धारण संबद्ध आयातों के पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से तुलना करके किया गया था। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
 - vii. बिक्री की लागत 2022-23 तक बढ़ी, जिसके बाद जांच की अवधि में इसमें मामूली गिरावट देखी गई। बिक्री कीमत 2021-22 तक बढ़ी और फिर जांच की अवधि तक घट गयी। इसलिए संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं।
 - viii. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
 - ix. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ गया है, तथापि तब से जांच की अवधि तक इसमें काफी गिरावट आई है।
 - x. देश में पर्याप्त मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग बहुत कम उपयोग स्तर पर प्रचालन कर रहा है।
 - xi. घरेलू उद्योग की बिक्री 2021-22 तक बढ़ी थी, 2022-23 में गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि देखी गई।
 - xii. क्षति अवधि के दौरान आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबिक संबद्ध आयातों की हिस्से में वृद्धि हुई है और यह 50 प्रतिशत से अधिक है। संबद्ध आयातों ने मांग में अन्य देशों का हिस्सा ले लिया है।
 - xiii. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में, कोविड और कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में घाटा हुआ है।
 - xiv. 2021-22 में घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद लाभ और तर्कसंगत आरओआई अर्जित करना शुरू कर दिया। तथापि, उसे 2022-23 में भारी घाटा होना शुरू हो गया, जो जांच की अविध तक जारी रहा। जहां संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में काफी गिरावट होनी शुरू हो गई। जांच की अविध में घरेलू उद्योग का आरओआई नकारात्मक *** प्रतिशत था।
 - xv. घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन में कमी के बावजूद जांच की अवधि में मालसूची *** एमटी रही है।
 - xvi. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में मामूली गिरावट आई है।
 - xvii. आधार वर्ष से 2021-22 तक प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तथापि उत्पादन के रूझान के अनुसार जांच की अवधि तक इसमें काफी गिरावट आई है।

- xviii. संबद्ध आयातों ने कीमत और लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xix. जांच की अवधि के बाद संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन पहले से शुरू करने वाले नए उत्पादक को शामिल करने के बाद भारत में मांग आपूर्ति अंतराल से भी अधिक, संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों में वृद्धि हुई है।
- xx. घरेलू उद्योग के लिए क्षति को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए क्योंकि पीयूसी को 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' के रूप में परिभाषित किया गया है और उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- xxi. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना एनाटेस और रूटाइल ग्रेड के आधार पर की गई है, क्योंकि उनकी पहचान की गई है और टीआईओ2 के किसी भी अज्ञात ग्रेड पर विचार नहीं किया गया है।
- xxii. कीमत कटौती की गणना करने के लिए आयात की कुल मात्रा पर विचार किया गया है।
- xxiii. 2021-22 के बाद चीन के आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई, चीन से इतर आयातों में विशेष रूप से जांच की अविध में पहुंच कीमत में काफी वृद्धि हुई।
- xxiv. अन्य देशों में गिरावट के कारण चीन से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई।
- xxv. क्षति अवधि में स्टॉक में वृद्धि लगभग 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक हुई है।
- xxvi. घरेलू उद्योग के एक घटक के लिए क्षमता उपयोग जांच की अवधि में केवल 32 प्रतिशत है, जबकि दूसरे आवेदक के लिए दो अलग-अलग पीसीएन के लिए 32 प्रतिशत है।
- xxvii. घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के साथ ही 2022-23 में बिक्री कीमत में कमी करके लागत के बजाय पहुंच कीमत में उतार-चढ़ाव का अनुसरण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तथापि, पहुंच कीमत बहुत कम और लागत से भी कम थी और जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई।
- xxviii. केएमएमएल को पीबीटी में लगभग *** और पीबीआईटी में लगभग *** की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबिक इसकी ब्याज लागत में केवल *** की वृद्धि हुई।
- xxix. केएमएमएल की नीति का संदर्भ पूर्ण लागतों के बजाय परिवर्तनीय लागतों से है और यह जानते हुए भी कि बाजार की शक्तियां पूरी लागत वसूलने की अनुमित नहीं दे सकती हैं, पूर्ण लागतों की अनदेखी कर सकती हैं।
- xxx. केरल सरकार के आदेश के अनुसार, कोविड से संबंधित व्यय आरंभ में 2021 में किया गया था। 2022-23 में भुगतान की गई राशि कंपनी के सीएसआर दायित्वों के हिस्से के रूप में अंशदान की गई राशि को पूरा करने के लिए केवल एक आंशिक भुगतान था। इसके अलावा, सीएसआर व्ययों पर लाभ की जानकारी के लिए भी विचार नहीं किया जाता और उन्हें कर पश्चात लाभ से पूरा किया जाता है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 59. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के पश्चात नियमों के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।
- 60. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम 11 यह उपबंध है कि किसी क्षित के निर्धारण में किसी क्षित जांच में पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सिहत सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षित का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ के अनुसार विचार किया गया है।

ज.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

61. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। पीयूसी की मांग इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देश से आयात – चीन	एमटी	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
सूचीबद्ध		100	117	138	154
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
सूचीबद्ध		100	121	96	83
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	46,855	47,913	38,998	47,223
सूचीबद्ध		100	102	83	101
भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	117	113	116

62. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2021-22 में वृद्धि हुई है और उसके बाद उसमें जांच की अविध तक मामूली गिरावट आई है। आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में संबद्ध देश से आयात में 54 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

ज.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) समग्र और सापेक्ष रूप से आयात

63. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। क्षित विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने अंतिम पीयूसी और संबद्ध वस्तुओं के पीसीएन पर आधारित आंकड़ों पर विचार किया है। क्षित जांच अविध के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आयात मात्रा	•				
संबद्ध देश – चीन	एमटी	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
सूचीबद्ध		100	117	138	154
अन्य देश	एमटी	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
सूचीबद्ध		100	121	96	83
कुल आयात मात्रा	एमटी	2,93,872	3,49,439	3,44,527	3,49,476
सूचीबद्ध		100	119	117	119
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	50	49	59	65
सूचीबद्ध		100	99	118	130
भारतीय उत्पादन	%	287	302	433	494
सूचीबद्ध		100	105	151	172
भारतीय मांग	%	43	43	53	57
सूचीबद्ध		100	100	123	133

64. यह देखा गया कि:

- क. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में भारी वृद्धि देखी गई है। अन्य देशों से आयात में 2021-22 में वृद्धि, परंतु उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें तेजी से गिरावट आई।
- ख. कुल आयात में चीन जन. गण. से आयात का हिस्सा पहले से ही काफी अधिक था। इसके अलावा, क्षति अविध के दौरान इसमें वृद्धि हुई और अन्य देशों से आयात का हिस्सा कम हुआ है।
- ग. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ. यह देखा जा सकता है कि मांग में समग्र वृद्धि हुई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

- 65. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।
- 66. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जांच अविध के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती ज्ञात की गई है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में भारी अंतर है। इसलिए प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन पर विचार करके तुलनीय प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। इस प्रकार, संबंधित आयात मात्रा पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	यूनिट	ए-एस	आर-एस	आ-सी	भारित औसत
पहुंच कीमत	रू/एमटी	1,78,574	2,01,911	2,26,934	2,05,197
निवल बिक्री कीमत	रू/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	ऋणात्मक	5-15	ऋणात्मक

68. आंकड़ों से पता चलता है कि आयात से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। हालाँकि, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित आर-एस फॉर्म अनकोटेड रूप में है।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

69. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ आवेदकों ने (क) बिक्री लागत (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में जानकारी प्रदान की है जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

विवरण यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
-------------	---------	---------	---------	-------

पहुंच कीमत	रू/एमटी	1,74,761	2,61,253	2,33,166	2,05,197
सूचीबद्ध		100	149	133	117
बिक्रियों की लागत	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	110	147	135
बिक्री कीमत	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	133	124	113

70. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी। इसके अलावा, यद्यपि बिक्री कीमत 2021-22 तक बिक्री लागत से अधिक थी। तथापि, उसमें 2022-23 और जांच की अवधि में बिक्री लागत के स्तर से नीचे तक गिरावट आई। आयातों की पहुंच कीमत में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसमें 2021-22 में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत से काफी कम थी। बिक्री कीमत की प्रवृत्ति कीमत न्यूनीकरण को भी दर्शाती है, क्योंकि यह बिक्री लागत के अधिक रहने के बावजूद 2021-22 में अपने उच्चतम स्तर (*** रू/ एमटी) से गिरकर जांच की अवधि के दौरान (*** रू/ एमटी) रह गई है। इस प्रकार, संबद्ध आयात घरेलू बाजार में भारी कीमत हास कर रहे हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

- 71. नियमावली के अनुबंध-II में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।
- 72. जांच अवधि में आवेदकों के निष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उनके निष्पादन के साथ की गई है।
 - क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां
- 73. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संस्थापित क्षमता	एमटी	82,500	82,500	82,500	82,500
सूचीबद्ध		100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	51,221	56,956	46,811	45,944
सूचीबद्ध		100	111	91	90
क्षमता उपयोग	%	62	69	57	56
सूचीबद्ध		100	111	92	90
घरेलू बिक्रियां	एमटी	46,855	47,912	38,999	47,223
सूचीबद्ध		100	102	83	101

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ा है, परंतु तब से जांच की अवधि तक इसमें काफी गिरावट आई है।
- ग. देश में पर्याप्त मांग के बावजूद आवेदक कम उपयोग स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं।
- घ. देशव्यापी कोविड संबंधी लॉकडाउन के कारण 2020-21 में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग कम रहा था।
- ड. घरेलू उद्योग की बिक्री में 2021-22 तक वृद्धि हुई, 2022-23 में गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें पुन: वृद्धि हुई।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

75. सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	100	123	133
अन्य देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	103	86	72
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	102	74	87

76. संबद्ध देश का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान काफी बढ़ गया है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान कम हो गया है, जबिक संबद्ध देश से आयात का हिस्सा बढ़ गया है और गैर-संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा निरंतर कम हो गया है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

77. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण किया गया है और वे निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	110	147	135
बिक्री कीमत	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	133	124	113
लाभ/हानि प्रति यूनिट	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	476	(327)	(307)
लाभ/हानि (पीबीटी)	रू लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	1,220	(872)	(1007)
पीबीआईटी – घरेलू बिक्री	रू लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	923	(620)	(707)
पीबीआईटी – प्रति यूनिट	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	434	(278)	(259)
नकद लाभ – घरेलू बिक्री	रू लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	691	(454)	(513)

नकद लाभ – प्रति यूनिट	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	387	(242)	(226)
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	829	(512)	(552)

78. यह देखा गया है कि:-

- क. क्षति अवधि में बिक्री की लागत में वृद्धि हुई, जबिक बिक्री कीमत 2021-22 में बढ़ी है और उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें लगातार गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद तेजी से गिरावट आई, जिससे भारी वित्तीय घाटा हुआ। जांच की अवधि में वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई है।
- ख. लाभ में गिरावट के परिणामस्वरूप क्षति अवधि में नकद लाभ में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को 2022-23 और जांच की अवधि में नकद घाटा हुआ है।
- ग. निवेश पर आय ने कर पूर्व लाभ के समान प्रवृत्ति को दर्शाया है। क्षति अवधि में निवेश पर आय में काफी गिरावट आई। जांच की अवधि में आरओआई *** प्रतिशत नकारात्मक रहा था।
- घ. कोविड से संबंधित लॉकडाउन के कारण 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम रही थी। वास्तव में घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में जांच अवधि तक तेजी से गिरावट आई थी।

घ) मालसूची

79. क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	126	237	394

80. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर काफी अधिक बढ़ गया था।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

81. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	99	96	99
मजदूरी	रू लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	84	82	83
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/सं.	***	***	***	***

सूचीबद्ध		100	113	95	91
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	111	91	90

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और प्रदत्त मजदूरी में कमी आई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ी है और 2022-23 और जांच अवधि में इसमें गिरावट आई है।

च) वृद्धि

83. यह देखा गया है कि आयातों के कारण मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	पीओआई
क्षमता	वाई/वाई	0%	0%	0%
उत्पादन	वाई/वाई	11%	-18%	-2%
बिक्री	वाई/वाई	2%	-19%	21%
पीबीटी	वाई/वाई	1119%	-163%	-17%
पीबीआईटी	वाई/वाई	823%	-156%	-17%
नकद लाभ	वाई/वाई	591%	-151%	-17%
आरओआई	वाई/वाई	729%	-150%	-10%

छ) घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

84. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा ऐसे अन्य कारकों की जांच की है जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटित आयात है।

ज) पूंजी जुटाने की क्षमता

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग के पास भारत में पीयूसी की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नए निवेश जुटाने की क्षमता है, परंतु घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और पाटित आयातों के कारण उसे घाटा हो रहा है। संबद्ध वस्तु के पाटन ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नई कंपनियां पीयूसी के भारतीय उद्योग में निवेश करने की योजना बना रही हैं, परंतु वे पाटित आयातों के कारण प्रगति नहीं पा रहे हैं।

झ) पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा

86. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

झ. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

87. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षित हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और यह पता लगाया कि क्या ये कारक भी घरेलू उद्योग को उसी समय क्षित पहुंचा रहे हैं तािक ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षिति यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

i) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

88. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात काफी अधिक है। तथापि, वे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हुआ है। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ii) मांग में संकुचन

89. संपूर्ण क्षति अवधि में मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, मांग में गिरावट क्षति का कारण नहीं है।

iii) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

90. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत की प्रवृत्ति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

iv) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

91. जांच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

v) प्रौद्योगिकी में विकास

92. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

vi) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

93. प्रदत्त जानकारी में घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर विचार किया गया है।

vii) अन्य उत्पादों का निष्पादन

94. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए क्षति संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

झ.1. क्षति संबंधी निष्कर्ष और करणात्मक संबंध

95. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का पता चलता है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध होता है:

- i. आयातों में समग्र रूप से और सपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- ii. बिक्री की लागत में वृद्धि, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है, जिसमें बिक्री कीमत 2022-23 और जांच की अवधि में बिक्री की लागत के स्तर से निचले स्तर पर चली गई है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत 2021-22 तक बढ़ी है और 2022-23 और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई, जिससे घरेलु बाजार में कीमत हास और न्युनीकरण हआ है।
- iii. घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री को पाटन के कारण नहीं बढ़ा पा रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग की क्षमता के अप्रयुक्त रहने के बावजूद संबद्ध आयातों के पास *** प्रतिशत बाजार हिस्सा रहा है।
- v. घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ रही है और क्षति अवधि में उत्पादन में कमी के बावजूद जांच की अवधि में इसमें काफी वृद्धि हुई है।
- vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को 2022-23 और जांच की अवधि में घाटा हुआ है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग का आरओआई काफी कम रहा है।
- 96. उपर्युक्त विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के बढ़ते पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच करणात्मक संबंध मौजूद है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

- 97. प्राधिकारी यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित करते हैं। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा जांच अविध के लिए उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया जाना है। क्षिति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से प्राप्त पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करने के लिए क्षित अविध के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षित अविध के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर आवर्ती व्यय को उत्पादन लागत से अलग रखा गया है। नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित एनआईपी ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) को कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमित दी गई थी। प्राधिकारी ने जांच अविध की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग एनआईपी निर्धारित की है।
- 98. यह नोट किया गया है कि अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। क्षित मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में मानना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल क्षित मार्जिन निर्धारित करना प्राधिकारी की एक सतत प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग क्षित मार्जिन की गणना करने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम अलग क्षित मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को भेजने के कारण उपाय निष्प्रभावी हो सकते हैं।
- 99. उपर्युक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में माना गया है और उन्हें एक एकल क्षति मार्जिन दिया गाय है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई है।
- 100. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी (डॉलर/एमटी)	पहुंच मूल्य (डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (आईएम) (डॉलर/एमटी)	आईएम (%)	आईएम रेंज
1.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड					20 00
3.	मेसर्स शेडोंग जिनहाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
4.	मेसर्स शेडोंग जियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड					
5.	मेसर्स एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	***	***	***	***	
6.	मेसर्स एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड					
7.	मेसर्स एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड					15-25
8.	मेसर्स एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड					
9.	मेसर्स हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मैटेरियल कं, लिमिटेड					
10.	गैर प्रतिदर्श सहयोगी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	15-25
11.	अवशिष्ट	***	***	***	***	25-35

ट. वास्तविक क्षति का खतरा

101. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति के खतरे का तर्क दिया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच की, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है: "वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि केवल आरोप, संयोग या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें पाटन से क्षति होगी, को स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

- क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की एक अत्यधिक दर जो आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो:
- ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि जो किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो;
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर भारी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और अतिरिक्त आयात के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी: और
- घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वास्तविक क्षति के संबंध में द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - संबद्ध देश से आयात में वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर केवल 4 प्रतिशत रही है और इसे खतरे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।
 - ii. सापेक्ष और समग्र दोनों रूप से आयात में मामूली वृद्धि वास्तविक क्षति के खतरे के दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
 - iii. स्थिर मांग के कारण भारत संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए असाधारण रूप से उच्च वृद्धि वाला या आकर्षक बाजार नहीं है।
 - iv. स्थिर मांग चीन के निर्यातकों सहित विदेशी निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण या बढ़ते आकर्षण का संकेत नहीं देती है।
 - v. खतरा आसन्न और स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित दोनों होना चाहिए और अकेले अधिशेष उत्पादन क्षमता की मौजूदगी इस मानदंड को पूरा नहीं करती है।
 - vi. घरेलू उद्योग ने खाद्य या भेषज में उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड के उन ग्रेडों की तुलना में संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए समर्पित चीन में वास्तविक स्थापित क्षमता पर विश्वसनीय आंकड़े प्रदान नहीं किये हैं।
 - vii. विचाराधीन उत्पाद और अन्य टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रकारों के लिए चीन की क्षमताओं पर अलग-अलग आंकड़ों की कमी से चीन में संबद्ध वस्तु के लिए समर्पित उत्पादन की मात्रा को समझने में भिन्नता उत्पन्न होती है।
 - viii. घरेलू उद्योग के घटकों में से एक कि यह स्थापित नीति है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत उसके उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से अधिक रखी जाए जो वास्तविक क्षति के खतरे मौजूदगी के दावों का खंडन करती है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 103. घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - मांग में वृद्धि के सापेक्ष क्षित अविध के दौरान आयात में काफी वृद्धि हुई है। जांच की अविध में आयात में काफी वृद्धि हुई है जबिक मांग में गिरावट आई।
 - ii. रूटाइल ग्रेड के आयात में काफी वृद्धि हुई।
 - iii. जांच की अवधि के बाद संबद्ध देश के आयात की मात्रा और कीमतें स्थिर रही हैं।

- भारत का राजपत्र : असाधारण
- iv. संबद्ध वस्तु के लिए चीन की क्षमता लगभग 55 लाख एमटी है, जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन की वैश्विक क्षमता का 56 प्रतिशत बनता है। अकेले एक चीनी निर्यातक की क्षमता 15 लाख एमटी है।
- v. चीन जन. गण. की घरेलू मांग कमजोर है, जिससे निर्यात के लिए मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता प्रदर्शित देती है।
- vi. सार्वजनिक डोमेन ज्ञान से पता चलता है कि कमजोर मांग के बावजूद चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादन स्तर में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।
- vii. चीन की सरकार चीन में उत्पादकों और विनिर्माताओं को काफी अधिक सहायता देती है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, जिससे इनपुट लागत काफी प्रभावित होती है।
- viii. विश्व भर के विभिन्न न्यायालयों ने चीन जन. गण. से टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात के विरुद्ध उपाय लागू किए हैं, जो पाटित वस्तु के प्रति चीन के व्यवहार को दर्शाता है।
- ix. वैश्विक कार्रवाइयों के लागू होने से चीन के लिए एक प्रतिबंधित निर्यात बाजार बन गया है, जिसकी मांग पहले से ही कमजोर है इसलिए यह संभावना उत्पन्न होती है कि चीन अपनी अतिरिक्त क्षमता को भारतीय बाजार में खपाएगा।
- x. वैश्विक कार्रवाइयों के कारण संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादकों को बाजार में घाटा हुआ है और ऐसी मात्रा भारत में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
- xi. भारतीय बाजार कीमत संवेदनशील है और कम कीमत वाले आयातों की उपलब्धता से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह आत घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के लिए अतिसंवेदनशील बना देती है।
- xii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमत पर हैं, जिससे इसे अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और घरेलु उद्योग कमजोर हो जाता है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

104. प्राधिकारी ने नीचे दी गई नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के खतरे की जांच की है।

क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर

105. आयात आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि भारत में आयात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयात में वृद्धि की दर काफी अधिक है। आयात में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयात कीमत में भी 2021-22 से जांच अवधि तक कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। कीमतों में गिरावट के साथ आयात में उल्लेखनीय वृद्धि भविष्य में आयात में काफी वृद्धि के खतरे को दर्शाती करती है।

ख. उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता

- 106. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए काफी अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई निपटान योग्य क्षमताएं अविश्वसनीय हैं और उन्हें पीयूसी और एनपीयूसी की क्षमता में विभाजित किया जाना चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य के रूप में चीन के उत्पादकों की वेबसाइट9 पर भरोसा किया है जिसके अलावा उन्होंने एक बाजार अनुसंधान रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ऐसी जानकारी के अनुसार, केवल एक नमूना समूह के पास उपलब्ध क्षमता 15 लाख एमटी है जो भारतीय मांग का लगभग तीन गुना है।
- 107. प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता और उत्पादन संबंधी जानकारी की तुलना की है। यह देखा गया है कि अकेले नमूना उत्पादकों के पास *** एमटी की अधिशेष क्षमता है जो कुल भारतीय मांग का 85-95 प्रतिशत है।

⁹ https://www.lomonbillions.global/key-facts/

क्र.सं.	विवरण	गोल्ड स्टार ग्रुप	शेडोंग ग्रुप	एलबी ग्रुप	कुल
1.	क्षमता	***	***	***	***
2.	उत्पादन	***	***	***	***
3.	अधिशेष	***	***	***	***

ग. आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा

108. जैसा कि ऊपर बिक्री की लागत, बिक्री कीमत और आयात की पहुंच कीमत के उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री की लागत में वृद्धि से कम है और बिक्री कीमत 2022-23 से बिक्री की लागत के स्तर से नीचे है। आयात की पहुंच कीमत में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद काफी गिरावट आई है, जबकि बिक्री की लागत में वृद्धि हुई।

घ. मालसूची का स्तर

109. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध मालसूची के स्तर का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि ऐसी जानकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, क्षति के खतरे का पता लगाने के लिए इस मापदंड की जांच प्राधिकारी द्वारा नहीं की जा सकी।

ड. अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई

110. यह देखा गया है कि ब्राजील, सऊदी अरब, यूरेशियन आर्थिक संघ और यूरोपीय संघ सिहत विभिन्न देशों ने चीन जन. गण. से अपने देश में संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2018 से अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है। यह संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा विभिन्न बाजारों में वस्तुओं का पाटन करने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। विभिन्न देशों द्वारा की गई कार्रवाइयों को नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

क्र.सं.	दिनांक	देश	कार्रवाई	निर्यातक	शुल्क
1.	21 अक्टूबर	ब्राजील	अंतरिम शुल्क	एलबी ग्रुप	578
					यूएसडी/एमटी
				गोल्ड स्टार ग्रुप	654
					यूएसडी/एमटी
2.	9 अक्टूबर	सऊदी अरब	मामला शुरू		
			किया गया		
3.	3 सितंबर	यूरेशियन आर्थिक	अंतिम शुल्क	एलबी ग्रुप	14.27%
		संघ		शेडोंग ग्रुप	16.25%
4.	10 जुलाई	ईयू	प्रारंभिक शुल्क	एलबी ग्रुप	39.7%
				गोल्ड स्टार ग्रुप	14.4%

च. व्यापार उपचारात्मक कार्रवाइयों के कारण बाजार का घाटा

111. प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया गया है कि वैश्विक स्तर पर लागू की कई कार्रवाई के कारण चीन जन. गण. को बाजार का नुकसान हुआ है। भारतीय बाजार की स्थिर मांग को देखते हुए चीन के निर्यात के भारतीय बाजार में आने की बहुत अधिक संभावना है। ऐसे उपाय लागू होने के कारण इन देशों को निर्यात किए जाने वाले वस्तु के भारत में आने का एक विश्वसनीय खतरा उत्पन्न होता है, जैसा कि नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूओएम	2020	2021	2022	2023	2024
चीन के वैश्विक निर्यात	एमटी	12,91,858	13,88,669	14,68,805	16,93,380	10,04,541
चीन का भारत को निर्यात	एमटी	1,51,242	1,76,914	1,93,768	2,54,655	1,48,566
हिस्सा %	%	12%	13%	13%	15%	15%
विवरण	यूओएम	2020	2021	2022	2023	2024
चीन के यूरोपीय संघ को निर्यात	एमटी	2,03,459	2,26,531	2,22,034	2,61,734	1,71,596
चीन के अमेरिका को निर्यात	एमटी	18,227	13,118	20,418	15,619	8,986
चीन के ब्राजील को निर्यात	एमटी	1,08,344	1,02,322	96,014	1,20,989	76,978
चीन के सऊदी अरब को निर्यात	एमटी	13,606	10,721	17,152	23,678	15,209
वह संभावित मात्रा जो भारत में आ सकती सकती है	एमटी	3,43,635	3,52,692	3,55,619	4,22,020	2,72,769

(स्रोत: ट्रेड मैप)

छ. भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता

112. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय बाजार कीमत के प्रति संवेदनशील है और कम कीमत आयातों के प्रति रूझान वाला है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य लगातार कम हुआ है। इस स्थिति में, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध आयातों के पाटन को देखते हुए उद्योग को गंभीर क्षति का व्यवहार्य खतरा है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 113. जनहित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i) पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे पेंट और प्लास्टिक विनिर्माता प्रभावित होंगे।
 - ii) अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने अनुरोध किया है कि टीआईओ2 के पास कोई विकल्प नहीं है जो उनके उत्पादों में समान निष्पादन करता हो। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 10 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने से तैयार उत्पादों के लिए पेंट उत्पादन लागत में ₹5 रूपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि होगी, जो संभावित रूप से विनिर्मिति में मात्रा के स्तर के आधार पर पेंट की कीमतों में ₹3.5-6 रूपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करेगी। पेंट विनिर्मिति में टीआईओ2 के काफी अधिक हिस्से (15-20 प्रतिशत) को देखते हुए लागत में वृद्धि का बोझ संभवतः उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। इसके बावजूद यह माना जाता है कि टीआईओ2 की मांग अत्यधिक मूल्य संवेदनशील नहीं है, बल्कि गुणवत्ता से प्रेरित है, क्योंकि घरेलू उद्योग सफेदी, चमक और चमक के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने आयात पर एक महत्वपूर्ण निर्भरता को उजागर किया है, क्योंकि घरेलू उद्योग में मांग को पूरा करने की क्षमता का अभाव है।
 - iii) किफायती उत्पादों पर निर्भर उपभोक्ता आगे इन उत्पादों को खरीदने में असमर्थ होंगे।
 - iv) आयात की लागत पहले ही बढ़ चुकी है, क्योंकि संबद्ध वस्तु पर 10% सीमा शुल्क देय है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कीमत में भारी वृद्धि होगी।
 - v) शुल्क लगाना उपभोक्ता हितों के विरुद्ध होगा, क्योंकि संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उपभोक्ता पेंट उद्योग है। देश में मांग - आपूर्ति का अंतर केवल आयात से ही दूर किया जा सकता है।
 - vi) कुल भारतीय खपत में कुल भारतीय उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होने की संभावना नहीं है। अत: यदि शुल्क लगाया जाता है, तो इसका अधिकांश लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
 - vii) घरेलू रूप से उपलब्ध रूटाइल ग्रेड उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्रयोक्ताओं को आयात करना होगा, जिस पर शुल्क लगने के कारण रोक लग जाएगी।

- viii) यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए शुल्क यूरोपीय संघ के भीतर पेंट विनिर्माताओं के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं और भारत में भी यही स्थिति दोहराई जाने की संभावना है।
- ix) शुल्क लगाने से भारतीय मास्टर बैच उद्योग के लिए चुनौतियां आएंगी, क्योंकि विपरीत शुल्क ढांचे के कारण उद्योग पर वित्तीय दबाव है और इसके अलावा, निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता पर संभावित आघात लगेगा।
- प्र) भारत विदेशी निर्यातकों के लिए असाधारण रूप से उच्च वृद्धि या आकर्षक बाजार नहीं है क्योंकि मांग हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रही है और विदेशी निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण या बढ़ते आकर्षण का संकेत नहीं देती है।
- xi) अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उनके प्रचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। टीआईओ2 के लिए पूर्ववर्ती कीमत में 50% तक की वृद्धि के बावजूद उन्होंने मांग में कोई व्यवधान नहीं देखी। यह दर्शाता है कि मूल्य वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि टीआईओ2 की मांग अत्यधिक कीमत संवेदनशील नहीं है, क्योंकि बाजार में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बड़ी पेंट कंपनियां आमतौर पर मांग में कमी किए बिना पर कीमत वृद्धि को उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं। गैर-संबद्ध देशों से चीन के टीआईओ2 के व्यवहार्य विकल्प हैं, इसलिए वे शुल्क लागू होने पर आपूर्तिकर्ता को सरलता से बदल सकते हैं। टीआईओ2 तैयार उत्पादों का छोटा सा हिस्सा है और कीमत वृद्धि से लाभप्रदता पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

114. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) घरेलू उद्योग में संपूर्ण भारतीय उद्योग शामिल है तथा हाल ही में एक और उत्पादक ने बाजार में प्रवेश किया है। उचित बाजार कीमत सुनिश्चित करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है तथा इससे भारत को केवल आयात पर निर्भर होने से रोका जा सकेगा। यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो चीन के उत्पादक बाजार में एकाधिकार बना लेंगे।
- चीन के संबद्ध आयातों के बढ़ते बाजार हिस्से ने न केवल घरेलू उद्योग को क्षिति पहुंचायी है, बिल्क अन्य देशों का पूरा हिस्सा भी ले लिया है।
- iii) घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने से रोजगार में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।
- iv) टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग पेंट और कोटिंग उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कागज, रबड़ और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए संबद्ध वस्तु की लागत मामूली है। संबद्ध वस्तु की 70 प्रतिशत मांग पेंट उद्योग द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसमें टीआईओ2 घटक में मुश्किल से 5 प्रतिशत हिस्सा होता है।
- v) टाइटेनियम डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पेंट उद्योग में के काम आता है, जो कुल मांग का लगभग 70 प्रतिशत है। संबद्ध वस्तु घरों में इस्तेमाल होने वाले पेंट, औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले पेंट और उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले पाउडर कोटिंग की कुल संरचना का क्रमशः 5 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। अंतिम उपभोक्ता पर शुल्कों का अंतिम प्रभाव न्यूनतम और गैर-परिणामी होगा।
- vi) यदि उपाय नहीं किए जाते हैं, तो पाटित आयातों की कीमत के बराबर होने में असमर्थता, लाभप्रदता में गिरावट और अन्य वित्तीय संकेतकों के कारण उद्योग बंद होने की संभावना है।
- vii) पेंट उद्योग, भले ही लागत में किसी भी संभावित वृद्धि को उपभोक्ताओं पर डालने में असमर्थ हो, परंतु लगाए गए शुल्कों के प्रभाव को स्वयं अवशोषित करने में सक्षम होगा।
- viii) प्लास्टिक उद्योग के संबंध में, यह क्षेत्र लाभदायक बना रहेगा, भले ही शुल्कों का प्रभाव न डाला जाए या अवशोषित न किया जाए।
- ix) मांग आपूर्ति अंतर की मौजूदगी संबद्ध वस्तु की पाटन को उचित नहीं ठहराता है।

- x) घरेलू उद्योग की क्षमता का विस्तार करने तथा भारतीय उद्योग में वृद्धि करने की तत्काल योजनाएं मौजूद हैं, जिससे समग्र रूप से आयात की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- xi) मास्टर बैच उद्योग पर कोई न्यूनतम प्रभाव डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर डाला जा सकता है तथा वैकल्पिक रूप से, टीआईओ2 के अन्य स्रोत हैं जहाँ से मास्टर बैच उद्योग टीआईओ2 प्राप्त कर सकता है।
- xii) निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मास्टर बैच के निर्यातक अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें शुल्क मुक्त उत्पादों का आयात करने में सक्षम बनाएगा।
- xiii) भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है तथा भारतीय बाजार द्वारा प्रस्तुत मांग की मात्रा महत्वपूर्ण है तथा व्यक्तिगत रूप से अन्य देशों द्वारा इसकी तुलना नहीं की जा सकती।
- xiv) अनेक जांचकर्ता प्राधिकारियों ने चीन से टीआईओ2 के आयात पर शुल्क लगाया है तथा जांच शुरू की है।
- xv) यदि आयातक तथा प्रयोक्ता वैकल्पिक स्रोतों का चयन करना चाहते हैं, तो सल्फेट के माध्यम से रूटाइल तथा क्लोराइड के माध्यम से रूटाइल दोनों को आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।
- xvi) यह उत्पाद कीमत संवेदनशील है और पूंजी गहन उत्पाद है और ऐसे उत्पाद के लिए क्षमता का विस्तार चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग इस संबंध में प्रयास कर रहा है।
- xvii) घरेलू उद्योग को अपने विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करने हेतु उचित बाजार की आवश्यकता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 115. प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित को समाप्त करना है तािक भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के खिलाफ उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। इसी के साथ प्राधिकारी को जानकारी है कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने से देश के भीतर नए उत्पादकों के उभरने को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- 116. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है तािक वे वर्तमान जांच के बारे में संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हों। अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारक जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं. के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
- 117. हितबद्ध पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों से यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु का उपयोग प्राथमिक रूप से पेंट उद्योग में किया जाता है, जो संबद्ध वस्तु की कुल मांग का एक बड़ा हिस्सा है और संबद्ध वस्तु पेंट की संरचना की कुल मात्रा का बहुत कम प्रतिशत बनाती हैं। आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण से पता चलता है कि शुल्क लगाए जाने के प्रभाव के कारण संबद्ध वस्तु की लागत में अंतर कुछ खास नहीं होगा।
- 118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में मांग आपूर्ति में अंतर मौजूद है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट किया है कि मौजूदा उत्पादकों और नए उत्पादकों द्वारा भी क्षमता विस्तार के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। मेसर्स मेघमनी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नए उत्पादक ने जांच अवधि के बाद पहले ही नई क्षमताएं स्थापित कर ली हैं। यह भी माना जाता है कि पाटन का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि इस तथ्य

पर विचार करते हुए कि उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है, भारतीय उद्योग को क्षमता विस्तार की योजना बनाने के लिए उचित और समान अवसर प्रदान किया जा सके।

119. इस संबंध में यह भी नोट िकया जाता है िक मांग - आपूर्ति में अंतर की मौजूदगी िकसी भी स्थिति में पाटन को उचित नहीं ठहराती है। डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 10 में सेस्टेट द्वारा और एनओसीआईएल लिमिटेड बनाम भारत सरकार मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस बात को माना गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्नानुसार माना था:

"जहां मांग - आपूर्ति में अंतर मौजूद है, वहां आयात अपरिहार्य हैं परंतु यह अनुचित और पाटित कीमतों पर भारत में आने वाले आयातों का औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई सूचना के मद्देनजर, यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि वर्तमान मामले में निरंतर पाटन हो रहा है और इसलिए मांग और आपूर्ति का अंतर ऐसे आयात की अनुमति देने का आधार नहीं है।"

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है। संबद्ध आयातों का हिस्सा कुल भारतीय मांग का 57 प्रतिशत बनता है। संबद्ध देश से आयात में वृद्धि ने गैर - संबद्ध देशों से आयात की मात्रा के बाजार हिस्से पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिनका बाजार में हिस्सा आधार वर्ष में 43 प्रतिशत से घटकर जांच अविध में 31 प्रतिशत हो गया है। उपभोक्ताओं के पास आपूर्ति के वैकल्पिक स्नोत हैं। भले ही पाटनरोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप आयात की मात्रा में गिरावट आए, गैर- संबद्ध देशों से आयात ऐसे पाटित आयातों का स्थान ले लेंगे और इस प्रकार, प्रतिकूल प्रभाव यदि कोई हो, को कम कर देंगे।

<u>ड. प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

ड.1 अन्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध :

- i. रूटाइल-सल्फेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड को जांच के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनुप्रयोगों और मुल्य निर्धारण के मामले में रूटाइल-क्लोराइड से भिन्न है।
- ii. घरेलू उत्पादकों के पास भारत की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 82,500 एमटी है जबकि मांग *** एमटी है, जिससे आयात अनिवार्य हो जाते हैं।
- iii. आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, क्योंकि कई अन्य बाजार कारकों ने घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है।
- iv. कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दे घरेलू उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों के लिए आयात के बजाय प्रमुख कारण रहे हैं।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए क्षति विश्लेषण पद्धति को चुनौती दी है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले गैर-आयात कारकों की पर्याप्त रूप से जांच नहीं की है।
- vi. घरेलू विनिर्माताओं ने वर्षों के संरक्षण के बावजूद क्षमता का विस्तार नहीं किया है, जो दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्कों से घरेलू उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।
- vii. चीन से आयात मांग आपूर्ति के अंतर को पाटने में मदद करता है, जिससे प्लास्टिक उद्योग के लिए स्थिर इनपुट लागत सुनिश्चित होती है।
- viii. पाटनरोधी शुल्कों से प्लास्टिक, पेंट और कागज सहित प्रमुख डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे तैयार वस्तु की कीमत स्थिरता प्रभावित होगी।
- ix. आपूर्ति के कई वैकल्पिक स्रोत (जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और मलेशिया से) मौजूद हैं, जिसका अर्थ है कि चीन पर पाटनरोधी शुल्कों से जरूरी नहीं कि घरेलू उत्पादकों को फायदा हो, बल्कि व्यापार प्रवाह अन्य देशों में स्थानांतरित हो जाएगा।
- x. जनहित के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का कड़ा विरोध करते हुए यह बताया गया है कि ऐसे उपायों से वैश्विक प्लास्टिक उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचेगा।

xi. क्लोराइड और सल्फेट प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित टाइटेनियम डाइऑक्साइड (टीआईओ₂) विभिन्न बाजार खंडों की आवश्यकता को पूरी करता है और डीजीटीआर को उन्हें पाटनरोधी गणनाओं के लिए प्रतिस्थापनीय नहीं मानना चाहिए।

47

- xii. चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करना गलत है, क्योंकि चीन की कीमत निर्धारण और लागत संरचनाएं बाजार संचालित हैं और उन्हें सामान्य मूल्य निर्धारण में स्वीकार किया जाना चाहिए।
- xiii. घरेलू उद्योग के लिए नियोजित पूंजी पर 22% की आय (आरओसीई) का प्रयोग करना गलत है क्योंकि यह पुराना है और इसके परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से उच्च क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात होती है।
- xiv. प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन का निर्धारण गलत है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त पद्धति सौदा स्तर की कीमत भिन्नताओं को नहीं दर्शाती है और इसे तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
- xv. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे पेंट, प्लास्टिक और कागज जैसे प्रमुख डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए इनपुट लागत में वृद्धि हो जाएगी।
- xvi. वैश्विक आर्थिक कारकों ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कीमतों को प्रभावित किया है और प्राधिकारी को सभी कीमत गतिविधियों के लिए पाटन को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।
- xvii. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति आयात के कारण नहीं, बल्कि उत्पादन में अकुशलता, पुरानी तकनीक और उच्च प्रचालन लागत के कारण हुई है।
- xviii. सामान्य मूल्य की गणना में प्रतिनिधि देश पद्धति का प्रयोग गलत है, जिसमें जोर दिया गया है कि चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।
- xix. घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी कीमतों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा है, जिससे पाटन के मामले के बजाय आयात की ओर स्वाभाविक बदलाव हुआ है।
- xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क का यह कहते हुए विरोध किया है कि ऐसे शुल्कों में गड़बड़ी की संभावना है और वे वास्तविक बाजार स्थितियों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।
- xxi. अनुरोध है कि क्षति मार्जिन गणना का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि कच्ची सामग्री और अन्य आर्थिक स्थितियों में लागत में उतार-चढ़ाव का उचित ढंग से लेखांकन किया जा सके ।
- xxii. वैश्विक आर्थिक कारकों के कारण आयात की पहुंच कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया है।
- xxiii. ब्राजील और यूरोपीय संघ में इसी तरह की पाटनरोधी जांच ने क्षति मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है, जो यह संकेत करता है कि प्राधिकारी को अपने दृष्टिकोण को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाना चाहिए।
- xxiv. पार्टन मार्जिन की गणना वास्तविक बाजार व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि भारित औसत सौदा स्तर की कीमत अंतरों पर विचार नहीं करता है।
- xxv. भारतीय आयातकों ने अपनी स्रोत की कार्यनीतियों में विविधता अपनाई है, जिसका अर्थ है कि चीन के आयातों पर शुल्क घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाने के बजाय अन्य आपूर्तिकर्ता देशों में स्थानांतरित हो सकता है।
- xxvi. यह अनुरोध है कि डीजीटीआर उन पेंट कंपनियों के नामों का प्रकटन करें जिन्होंने कथित तौर पर घरेलू उद्योग से रूटाइल-सल्फेट टीआईओ₂ खरीदा है, जैसा कि प्रकटन विवरण में दावा किया गया है।
- xxvii. भारत में पेंट उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और उसे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता है, जिसे घरेलू उद्योग सुनिश्चित नहीं कर पाया है।
- xxviii. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति अतिशोक्तिपूर्ण है, क्योंकि पेंट और कोटिंग्स की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे उत्पादक लाभप्रद ढंग से प्रचालन करने में सक्षम है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- i. अपेक्षाकृत स्थिर मांग के बावजूद क्षति अवधि में आयात में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू बाजार के हिस्से में गिरावट आई है।
- ii. घरेलू उद्योग का दावा है कि चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को जारी रखा जाना चाहिए और तदनुसार, सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

- iii. चीन की अधिशेष उत्पादन क्षमता भारत की कुल मांग से काफी अधिक है, जिसका अर्थ है कि हस्तक्षेप न होने पर पाटित आयात जारी रहने की संभावना है।
- iv. पाटित आयातों ने उत्पादन, बिक्री, लाभ और निवेश पर आय को प्रभावित किया है, जिससे वित्तीय दबाव और क्षमता का अल्प उपयोग हुआ है।
- v. घरेलू उद्योग का तर्क है कि पाटित आयात और घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है।
- vi. बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, परंतु बिक्री कीमत में गिरावट आई है, जिससे लाभ में तेजी से कमी आई है और निवेश पर नकारात्मक आय (आरओआई) हुई है।
- vii. पाटित आयातों के कारण हाल के वर्षों में घरेलू विनिर्माताओं द्वारा नकद घाटा दर्ज किया गया है।
- viii. कम कीमत वाले आयातों के कारण मूल्य ह्रास ने घरेलू उद्योग को बढ़ती लागतों के अनुसार कीमतें बढ़ाने से रोका है।
- ix. चीन के आयातों का बाजार हिस्सा लगातार बढ़ा है जबकि घरेलू उत्पादन का हिस्सा काफी कम हो गया है।
- x. घरेलू उद्योग जांच के दायरे से खाद्य, भेषज, स्किन केयर, कपड़ा और नैनो/अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखने का समर्थन करता है।
- xi. घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क के दायरे से रूटाइल-सल्फेट टीआईओ2 को बाहर रखने का कड़ा विरोध करता है। रूटाइल-क्लोराइड और रूटाइल-सल्फेट दोनों ग्रेड में समान रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं।
- xii. कीमतों में भिन्नता का वैध कारण नहीं है, क्योंकि उत्पादन लागत तुलनीय है।
- xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्राधिकारी की पीसीएन पद्धित गलत है, परंतु घरेलू उद्योग का तर्क है कि पीसीएन पद्धित क्रिस्टलीय संरचना (रूटाइल और एनाटेस) पर आधारित होनी चाहिए, न कि प्रक्रिया (क्लोराइड और सल्फेट) पर।
- xiv. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों ने उच्च लागत अंतर का दावा करके प्राधिकारी को गुमराह किया है, जबिक सत्यापित आंकड़े दर्शाते हैं कि लागत तुलनीय है।
- xv. ब्राजील और यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों ने रूटाइल-सल्फेट और रूटाइल-क्लोराइड ग्रेड को एक ही उत्पाद माना है और प्राधिकारी को भी ऐसा ही करना चाहिए।
- xvi. घरेलू उद्योग यह बताए हुए निर्धारित एनआईपी पर प्रश्ने उठाता है कि टीआईओ2 के लिए कोटिंग लागत को कम करके आंका गया है। घरेलू उद्योग ने उच्च वास्तविक कोटिंग लागत दर्शाते हुए वित्तीय रिकॉर्ड प्रदान किए हैं, जिन्हें अंतिम निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन को इन समायोजनों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- xvii. घरेलू उद्योग संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क का कड़ा विरोध करता है। आयातक शुल्कों से बचने के लिए बीजकों में गड़बड़ी कर सकते हैं। पूर्ववर्ती जांचों से पता चलता है कि संदर्भ कीमत शुल्क निष्प्रभावी थे, जिसके कारण बाद की समीक्षाओं में उन्हें नीयत शुल्कों से बदल दिया गया।
- xviii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुल्क प्रभावी रूप से लागू किए जाएं और उनसे बचा न जाए, शुल्क की एक नीयत राशि लगाई जानी चाहिए।
- xix. घरेलू उद्योग स्वीकार करता है कि भारतीय बाजार में मांग आपूर्ति का अंतर है, परंतु यह भी दावा करता है कि भारतीय उत्पादक इस अंतर को पाटने के लिए सक्रिय रूप से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं।
- xx. मेघमनी ऑर्गेनिक्स ने नई उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं और मौजूदा उत्पादकों (केएमएमएल, टीटीपीएल) के पास उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश योजनाएं हैं।
- xxi. यदि पाटन अनियंत्रित रूप से जारी रहता है, तो नियोजित विस्तार खतरे में पड़ जाएगा, जिससे दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचेगा।
- xxii. घरेलू उद्योग इस दावे को अस्वीकार करता है कि पाटनरोधी शुल्क उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा।
- xxiii. टीआईओ2 पेंट, प्लास्टिक और कागज की कुल लागत का एक छोटा प्रतिशत बनाता है। अंतिम उत्पादों पर वास्तविक लागत प्रभाव मामुली (0.012 प्रतिशत से 1.44 प्रतिशत) है।
- xxiv. गैर-संबद्ध देशों (जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और मैक्सिको) के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता चीन के आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए मौजूद हैं।

- xxv. घरेलू उद्योग ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि ब्राजील, सऊदी अरब, यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू), युरोपीय संघ और अमेरिका सभी ने चीन के टीआईओ2 पर एडीडी लगाया है।
- xxvi. इन वैश्विक रुझानों को देखते हुए भारत को भी बाजार विकृति और चीन से व्यापार विचलन को रोकने के लिए शुल्क लगाना चाहिए।
- xxvii. घरेलू उद्योग पांच वर्ष की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर में एक नीयत राशि में पाटनरोधी शुल्क के लिए अनुरोध करता है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 121. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के पश्चात की गई टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही उपयुक्त ढंग से जांच की जा चुकी है तथा इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन के पश्चात की जांच में दोहराया नहीं जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के अलावा जो मुद्दे विस्तार से जांचे गए हैं तथा जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, उनकी जांच निम्नानुसार की गई है।
- 122. जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का संबंध है कि पीसीएन पद्धित क्रिस्टलीय संरचना पर आधारित होनी चाहिए, प्राधिकारी दोहराते है कि पीसीएन को सही ढंग से अपनाया गया था क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया और लागत और मूल्य अंतर को शामिल करने के लिए क्रिस्टलीय संरचना से परे है। यह व्यापक वर्गीकरण मूल्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए अधिक सटीक और निष्पक्ष तुलना की अनुमित देता है और दो प्रक्रियाओं के तकनीकी अंतर का ठीक से हिसाब लगाया जाता है।
- 123. सल्फेट और क्लोराइड रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों की विनिमेयता और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सल्फेट-रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड को शामिल करना उचित और उचित है।
- 124. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आंतरिक अक्षमता, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसे अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है और कीमतों में कमी आई है, यह नोट किया गया है कि डंप किए गए आयात घरेलू उद्योग के मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। आँकड़ों की जाँच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य वर्ष 2022-23 से लगातार लागत से कम रहा है, जबिक आयात की उतराई कीमत बिक्री की लागत से भौतिक रूप से कम रही है, जिससे महत्त्वपूर्ण मूल्य दमन उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के नुकसान के लिए आंतरिक अक्षमताओं या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को जिम्मेदार ठहराने वाले दावों को किसी भी ठोस सबूत के साथ प्रमाणित नहीं किया गया है। कच्चे माल में कथित उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, एक ऐसा कारक है जो घरेलू उद्योग और निर्यातकों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है।
- 125. कैपिटल एम्प्लॉयड (आरओसीई) बेंचमार्क पर 22% रिटर्न का लगातार एंटी-डंपिंग जांच में उपयोग किया गया है, जो घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करता है। प्राधिकारी को इस मामले में अपनी स्थापित प्रथा से हटने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। एनआईपी का प्राधिकारी का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियमों के अनुलग्नक III में उल्लिखित स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है।
- 126. निर्यातकों ने पहले लेन-देन के लिहाज से डंपिंग मार्जिन का अनुरोध नहीं किया था और जांच के इस चरण में लेनदेन स्तर पर एनआईपी और सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी विभिन्न अविधयों के बीच निर्यात मूल्य में सुसंगत और महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाती है। भारित औसत का उपयोग करने के लिए मामूली मूल्य भिन्नताओं का हिसाब लगाया जाता है, जिससे उचित तुलना सुनिश्चित होती है। निर्यातकों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि वैकल्पिक दृष्टिकोण से अधिक सटीक परिणाम प्राप्त होंगे।
- 127. घरेलू उद्योग ने प्रासंगिक साक्ष्य के साथ उन पेंट निर्माताओं के नाम प्रदान किए हैं जिन्हें माल बेचा गया है।

- 128. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों से आयातित सल्फेट-रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए, क्षित मार्जिन और डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए कोटिंग लागत के कारण उचित समायोजन किया गया है।
- 129. कोटिंग लागत के कम आकलन के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि कोटिंग लागत का आकलन घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापित आंकड़ों पर आधारित है और एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III के तहत निहित सिद्धांतों के अनुसार प्रासंगिक लागत घटकों पर विचार करने के बाद किया जाता है।

ढ. निष्कर्ष

- 130. ऊपर यथा दर्ज किए गए अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:
 - i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टाइटेनियम डाइऑक्साइड" है।
 - ii. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क उपशीर्ष 28230010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा चूंकि यह एक पिगमेंट है, इसलिए संबद्ध वस्तु के आयात को 32061110 और 32061190 के अंतर्गत भी दर्ज किया जा रहा है।
 - iii. यह आवेदन मेसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, मेसर्स त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स वीवी टाइटेनियम पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनाते हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
 - iv. चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तुएं हैं।
 - v. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हआ है। पाटन मार्जिन न्यनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।
 - vi. संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान विशेष रूप से जांच की अवधि में समग्र और सापेक्ष रूप से बढ़ी है। संबद्ध देश के आयात, पूरी क्षति अवधि के दौरान भारत में हुए कुल आयातों का अधिकांश हिस्सा है।
 - vii. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी ह्रासकारी प्रभाव डाल रहे हैं।
 - viii. आधार वर्ष और 2021-22 से उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई जिसके बाद गिरावट आई थी। देश में उच्च मांग के बावजूद क्षमता उपयोग कम है।
 - ix. घरेलू उद्योग की बिक्री में 2021-22 तक वृद्धि हुई, 2022-23 में गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई।
 - x. घरेलू मांग में संबद्ध देश से आयात का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबिक घरेलू उद्योग के हिस्से में क्षिति अविधि में गिरावट आई है।
 - xi. क्षति अवधि के दौरान लाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग 2022-23 और जांच की अवधि से घाटे में है। आरओआई में भी भारी गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह *** प्रतिशत नकारात्मक थी।
 - xii. क्षति अवधि के दौरान औसत सूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - xiii. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और प्रदत्त मजदूरी में कमी आई है जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसमें मामूली वृद्धि हुई है।
 - xiv. आधार वर्ष और 2021-22 में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबिक 2022-23 और जांच अविध में इसमें कमी आई।
 - xv. पाटित मूल्य वाले आयातों ने घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xvi. ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और संबद्ध देश से क्षति के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

ण. सिफारिशें

- 131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा उन्हें क्षति, कारणात्मक संबंध और उपायों के प्रभाव के पहलू के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित पाटनरोधी जांच के प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शुल्क संबद्ध वस्तु पर लागू किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
- 132. इसके अलावा, एचएस कोड 28230001 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस कोड के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शल्क के संग्रहण की सिफारिश करते हैं।
- 133. कम शुल्क नियम का पालन करने के संबंध में, प्राधिकारी डंपिंग के मार्जिन और क्षित के मार्जिन के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 साल की अविध के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, विषयगत देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्रम	शीर्षक/उप-	माल का	मूल देश	निर्यात का	उत्पादक	कुल	माप की	मुद्रा
सं.	शीर्षक	विवरण		देश		धनराशि	इकाई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28230010,	टाइटेनियम	चीन	चीन पीआर	अनहुई गोल्ड	609	एमटी	अमरीकी
	32061110,	डाइऑक्साइड	पीआर	सहित कोई	स्टार			डालर
	और	**		भी देश	टाइटेनियम			
	32061190*				डाइऑक्साइड			
					(समूह) कं,			
					लिमिटेड			
					अनहुई गोल्ड			
					स्टार			
					टाइटेनियम			
					डाइऑक्साइड			
					ट्रेडिंग कं,			
					लिमिटेड			
2.	-वही-	-वही-	चीन	चीन पीआर	शेडोंग	563	एमटी	अमरीकी
			पीआर	सहित कोई	जिन्हाई			डालर
				भी देश	टाइटेनियम			
					संसाधन			
					प्रौद्योगिकी			
					कं, लिमिटेड			

क्रम	शीर्षक/उप-	माल का	मूल देश	निर्यात का	उत्पादक	कुल	माप की	मुद्रा
सं.	शीर्षक	विवरण		देश		धनराशि	इकाई	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					शेडोंग ज़ियांगहाई टाइटेनियम संसाधन प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड			
3.	-वही	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	एलबी जियांगयांग टाइटेनियम उद्योग कंपनी लिमिटेड, और एलबी सिचुआन टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड एलबी लुफेंग टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड एलबी समूह कं, लिमिटेड हेनान बिल्यन एडवांस्ड मटेरियल्स कं, लिमिटेड	460	एमटी	अमरीकी डालर
4.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	****गैर- नमूना सहकारी उत्पादक	510	एमटी	अमरीकी डालर
5.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	विषय देश के अलावा कोई भी देश	एसएन 1, 2, 3, और 4 के अलावा कोई भी निर्माता	681	एमटी	अमरीकी डालर
6.	-वही-	-वही-	विषय देश के अलावा कोई भी देश	चीन पीआर	कोई	681	एमटी	अमरीकी डालर

^{*}नोट - सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

**निम्नलिखित को छोड़कर:

क्र.सं.	बाहर रखे गए	बाहर रखे गए उत्पाद का वर्णन और विवरण
	उत्पाद	
1	खाद्य	रंग जैसे खाद्य योजकों में उपयोग किया जाने वाला खाद्य टीआई02
2	फार्मा	टेबलेट फिल्म कोटिंग में भाग के रूप में प्रयुक्त टीआई02
3	त्वचा देखभाल	टीआई02 का उपयोग यूवी- अवशोषक और फोटोकैटेलिस्ट अनुप्रयोगों के
		लिए कॉस्मेटिक्स और सनस्क्रील लोशन में में किया जाता है
4	वस्त्र	फाइबर के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला कपड़ा टीआई02।
		टीआई02 जिसका उपयोग मुख्य रूप से उसकी फोटो-कैटेलिटिक स्व-
		सफाई, यूवी-सुरक्षा और डिलस्टरिंग क्षमताओं आदि के कारण वस्त्र और
		रेशों के उत्पादन में किया जाता है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से
		बाहर रखा गया है।
		हालाँकि, इस प्रकार उसे बाहर रखा जाना टीआई02 पर लागू नहीं होता
		है जिसका उपयोग वस्त्र/परिधान/कपड़े/फैब्रिक पर छपाई के लिए वर्णक
		के रूप में किया जाता है।
5	फाइबर	फाइबर टीआई02 का उपयोग कृत्रिम फाइबर को डिलस्टर करने के लिए
		किया जाता है और इस फाइबर का उपयोग वस्त्रों के उत्पादन के लिए
		किया जाता है। फाइबर ग्रेड सामग्री का उपयोग फाइबर धागे के साथ
		मिश्रण करने के लिए किया जाता है ताकि कपड़ा खुद बनाया जा सके।
		टीआई02 रूटाइल ग्रेड डेकोर पेपर बनाने के लिए (फाइबर/पल्प स्टेज पर
		उपयोग किया जाता है)।
6	नैनो या	नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसका कण आकार
	अल्ट्राफाइन	100 एनएम से कम है, का उपयोग कपड़ा/पेंट उद्योग में धूल मुक्त
		कपड़ा/पेंट जैसी विशेषताएं देने के लिए किया जाता है।

****गैर-नमूना सहकारी उत्पादक:

- 1. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- 2. पैंगांग समूह की चोंगर्किंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- 3. पैंगांग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- 4. जियांग्शी तिकोन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एक ट्रोनॉक्स कंपनी)
- 5. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
- 6. इंटर-चाइना केमिकल कंपनी लिमिटेड
- 7. अनहुई अन्नदा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- 8. शेडोंग डोगाइड ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- 9. कियानजियांग फ़ांगयुआन टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
- 10. जिनान युक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- 11. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड
- 12. शेडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- 134. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा तथा इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

त. आगे की प्रक्रिया

135. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 12th February, 2025

Case No. AD (OI)-03/2024

Subject: Final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of "Titanium dioxide" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/03/2024 -DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereafter also referred to as the "Rules").

A. BACKGROUND OF THE CASE

- 1. Whereas, Kerala Minerals and Metals Ltd., Travancore Titanium Products Ltd., and VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the "applicants" or the "domestic industry" or the "DI") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Titanium Dioxide" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country") and has requested for imposition of anti-dumping duty.
- 2. And whereas, the Authority, on the basis of sufficient *prima-facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide notification no. 6/03/2024-DGTR dated 28th March 2024, published in the Part-I Section-I of Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

- 3. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - b. The Authority issued a notification dated 28th March 2024, published in Part-I Section-I of Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
 - c. In accordance with Rule 6(2), the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India and known producers and exporters from the subject country, the

- known importers/users of the subject goods and other interested parties, as per the information provided by the applicants. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and to make their submissions known in writing within the time limit prescribed by the initiation notification.
- d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
- e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers / exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose product control numbers (PCNs), if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application.
- g. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the circulation of the nonconfidential version of the document filed before the Authority.
- h. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter referred to as 'EIQ') to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject country calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Lomon Billions Group (China)
 - ii. CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd (China)
 - iii. Shandong Doguide Group Co. Ltd (China)
 - iv. Jinan Yuxing Chemical Co. Ltd (China)
 - v. Shandong Dawn Group Co. Ltd (China)
 - vi. Jilin GPRO Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - vii. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co. Ltd (China)
 - viii. Pangang Group Titanium Resources Co. Ltd (China)
 - ix. Anhui Annada Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - x. Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - xi. Jiangxi Tikon Titanium Co. Ltd (China)
 - xii. Guangxi Jinmao Titanium Co. Ltd (China)
 - xiii. Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co. Ltd (China)
 - xiv. Jiangsu GPRO Group (China)
 - xv. Shandong Jinhai (Lubei) (China)
 - xvi. China National Blue Star Group Co. (China)
 - xvii. Panzhihua Taihai (China)
 - xviii. Anhui Annada Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - xix. Panzhihua Haifengxin Chem. Co. Ltd (China)
 - xx. Cangwu Shunfeng Titanium Dioxide Co. Ltd (China)
 - xxi. Chemours Chenguang (China)
 - xxii. Jiangxi Tikon Titanium Co. Ltd (China)
 - xxiii. Guangxi Jinmao (China)
 - xxiv. Guang Dong Hui Yun Titanium Industry (China)
 - xxv. Jiangsu Taibai Group Co. Ltd (China)
 - xxvi. Tianyuan Group (China)
 - xxvii. Yunnan Dahutong (China)

xxviii. Panzhihua Xingzhong (China)

- j. In response to the above notification, the following producers/exporters of the product under consideration from subject country have registered as an interested party.
 - i. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
 - ii. Lb Group Co., Ltd.
 - iii. Lb Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
 - iv. Lb Sichuan Titanium Industry Co., Ltd
 - v. Lb Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd
 - vi. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
 - vii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
 - viii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - ix. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
 - x. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
 - xi. Efon (Hongkong) Company Limited
 - xii. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.
 - xiii. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
 - xiv. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
 - xv. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.
 - xvi. Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd.
 - xvii. Pangang Group Chongqing Vanadium & Titanium Technology Co., Ltd.
 - xviii. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)
 - xix. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
 - xx. Inter-China Chemical Co., Ltd.
 - xxi. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
 - xxii. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
 - xxiii. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
 - xxiv. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
 - xxv. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
 - xxvi. Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd.
 - xxvii. Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.
- k. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - i. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
 - ii. Lb Group Co., Ltd.
 - iii. Lb Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
 - iv. Lb Sichuan Titanium Industry Co., Ltd
 - v. Lb Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd
 - vi. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
 - vii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
 - viii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - ix. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
 - x. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
 - xi. Efon (Hongkong) Company Limited
 - xii. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.
 - xiii. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
 - xiv. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
 - xv. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.

- xvi. Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd.
- xvii. Pangang Group Chongqing Vanadium & Titanium Technology Co., Ltd.
- xviii. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)
 - xix. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
 - xx. Inter-China Chemical Co., Ltd.
- xxi. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
- xxii. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
- xxiii. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
- xxiv. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
- xxv. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
- xxvi. Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd.
- xxvii. Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.
- 1. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Asian Paints India Ltd
 - ii. JCT Limited
 - iii. Berger Paints Ltd
 - iv. Schulman Plastics India Ltd
 - v. Berger Becker Coatings Pvt Ltd
 - vi. Hanson Paints
 - vii. Kansai Nerolac Paints Ltd
 - viii. Kamdhenu Paints
 - ix. Akzo Nobel
 - x. UFlex Limited
 - xi. Jotun India Pvt Ltd
 - xii. Apollo Piping Systems
 - xiii. Indigo Paints
 - xiv. Yansefu Inks and Coatings Pvt Ltd
 - xv. Clariant Chemicals
 - xvi. Mundra Masterbatches
 - xvii. SCJ Plastics
 - xviii. Paramount Powders
 - xix. Aashirvaad Pipes
 - xx. Bhavin Industries
 - xxi. Hi-Tech Inks Pvt Ltd
- m. The following importer/user have registered themselves as interested parties:
 - i. Kemco Corporation
 - ii. Sandeep Organics Pvt. Ltd.
 - iii. Soltex Petroproducts Ltd
 - iv. Shri Ambica Polyfill
 - v. Merit Polymers Pvt Ltd
 - vi. Plastek Innovations Pvt Ltd
 - vii. Polyworld
 - viii. K T Quality Control Pvt Ltd
 - ix. Kandui Industries India Pvt. Ltd.
- n. The following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority:

- i. Kemco Corporation
- ii. Nippon Paint India Private Limited through Indian Paint Association
- o. The following importer/user has not registered themselves as interested party but made written submissions during the course of the investigation:
 - i. Classic Solvents
- p. The following user associations have registered themselves as interested parties:
 - i. Indian Paint Association (IPA)
 - ii. All India Plastics Manufacturers, Association (AIPMA)
 - iii. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
 - iv. PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI)
- q. The following producer/exporter association from China PR has registered themselves as an interested party and made written submissions
 - i. China National Coatings Industry Association (CNCIA)
- r. The following user associations have made written submissions during the course of the investigation:
 - i. Indian Paint Association (IPA)
 - ii. All India Plastics Manufacturers, Association (AIPMA)
 - iii. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
 - iv. PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI)
- s. The following user association has not registered themselves as interested party but made written submissions during the course of the investigation:
 - i. Indian Paint and Coating Association (IPCA)
- t. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 31st March 2021, 1st April 2021 31st March 2022, 1st April 2022 31st March 2023 and the period of investigation.
- u. The DG System was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the final findings.
- v. Interested parties were provided 15 days' time from the date of circulation of non-confidential version of application, to file their comments on the scope of PUC and PCN methodology which ended on 6th May, 2024 post an extension granted by the Authority upon the request of an interested party. Comments and submissions were received from certain interested parties, which were duly examined by the Authority.
- w. The Authority held a discussion on 3rd June 2024 with all the interested parties to discuss the product under consideration and the proposed product control numbers(PCNs). After receiving inputs from the interested parties, the Authority vide notification dated 16th July 2024 finalized

the scope of the PUC and PCN methodology. The Authority granted 30 days' time to interested parties from 16th July, 2024 to file questionnaire responses.

- x. In view of large number of producers and exporters/traders who responded in the investigation, the Authority, pursuant to Rule 17(3) of the AD Rules and after examining the comments of interested parties, selected the following three (3) producers along with their associated exporters for determination of dumping margin, on the basis of the largest percentage of the volume of the exports to India from China PR during the investigation period, which is listed below:
 - a. **LB Group** comprising of following producers/ exporters Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., LB Group Co., Ltd., LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd., LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd., LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd., Billions (Hong Kong) Corporation Limited and Billions Europe Ltd, UK
 - b. **Gold Star Group** comprising of producer/exporter- Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd and Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - c. **Shandong Group** comprising of producer/exporter- Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. and Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
- y. The Authority determined the dumping margin for non-sampled cooperating producers/ exporters from China PR on the basis of dumping margin of the sampled producers from China PR, and in accordance with the provisions of the Rules.
- z. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held on 29th October, 2024. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- aa. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- bb. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified during on siteverification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present findings.
- cc. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country was also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present findings.
- dd. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims.

- ee. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- ff. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- gg. '*** in these final findings represent information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.
- hh. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US = Rs. 83.21.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. The product under consideration (hereinafter also referred to as the "PUC" or the "subject good") as defined at the stage of initiation was as follows:
 - 3. The product under consideration in the present application is "Titanium Dioxide, excluding food, pharma, skin-care, textile and fibre application and nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm"

Specific Exclusions from the scope of the product

- 4. Specifically excluded from the scope of product under consideration are titanium dioxide meant for following applications or specification:
- i. food
- ii. pharma
- iii. skin-care
- iv. textile
- v. fibre application
- vi. Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm

General Properties of the product

- 5. Titanium dioxide (TiO2) is a white inorganic compound extracted mainly from mineral ores and is used in a vast number of diverse products. The principal natural source of TiO2 is mined Ilmenite ore which contain 30 60% TiO2. Pure TiO2 is produced from Ilmenite ore either using chloride or sulphate process.
- 6. The subject good in the present investigation i.e. TiO2 are pigments. Titanium dioxide can be broadly classified into Pigmentary TiO2 and Nano/Ultrafine TiO2, based on its particle size. Pigmentary titanium dioxide is approximately 200 350 nm in dimension which forms 98 % of the total production and is used mainly for its high refractive index and consequent scattering of visible light and high opacity. In other words, 98% of the global production of titanium dioxide is used as a pigment.

Grades of Titanium Dioxide-Rutile and Anatase Grades

- 7. The petitioners/applicants are manufacturing **rutile and anatase grades** of titanium dioxide which are two forms of titanium dioxide depending on their crystal structure.
- 8. Rutile is a mineral composed primarily of titanium dioxide. Rutile is produced from ilmenite, which is a mixture of titanium, ferrous iron and ferric iron. Rutile is the most common natural form of TiO2. Rutile has among the highest refractive indices of any known mineral and exhibits high dispersion. Natural rutile may contain up to 10% iron and significant amounts of niobium and tantalum.
- 9. Anatase grade of TiO2 is produced from ilmenite, which is a mixture of titanium, ferrous iron and ferric iron. It has a very high degree of whiteness. Titanium in ilmenite is extracted by reacting this raw material with sulphuric acid. Titanium goes into the solution as titanium oxy sulphate. Titanium dioxide anatase is obtained from titanium oxy sulphate by injecting live steam and dewatering the treated pulp.

Uses

10. Titanium dioxide is the brightest and whitest of the known pigments and is the most sought white pigment in applications such as paints & coatings, plastics, papers, rubbers and inks on account of its high refractive index and UV resistance. The high refractive index imparts high whiteness and hiding power (opacity) to the end products. TiO2 pigment also finds application as energy saver as it reduces need of air conditioning because of light reflecting qualities when used in paint coatings on the outside of buildings in warm climates.

Tariff Classification

- 11. The product under consideration can be classified under **Chapter 28 and 32** of the Customs Tariff Act, 1975. The dedicated code for the product under Chapter 28 is **28230010**. However, since it is a pigment, imports are also being reported under **32061110** and **32061190**. However, it is possible that the subject goods may be imported under other heading and therefore, the customs classifications are indicative only and not binding on the scope of the present investigation."
- 5. The domestic industry initially proposed the PCN methodology based on the crystalline structure i.e., Anatase and Rutile only.
- 6. Various comments on the scope of the PUC and the PCN methodology were received from the interested parties. A meeting to discuss the same was held on 3rd June 2024. The following are the comments received from interested parties with regards to scope of PUC, and PCN methodology.

C.1. Submissions by other interested parties

7. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope of the product under consideration and like article:

- i. PCN wise assessment is crucial in the investigation to ensure a fair comparison due to differences in physical and chemical characteristics, usage, pricing, and production cost of various grades and types of titanium dioxide (TiO2). PCN classification based on production process and crystalline structure: Anatase-Sulphate (A-S), Rutile-Sulphate (R-S), and Rutile-Chloride (R-C) has been proposed by many interested parties.
- ii. TiO2 exists in two crystalline forms: Rutile and Anatase. Rutile has a higher refractive index, greater chemical stability, and improved durability due to its more compact and symmetrical crystal lattice. Anatase has a lower refractive index, reduced stability, and a less dense, irregular crystal structure. These differences influence their distinct applications and properties.
- iii. TiO2 is produced through the chloride or sulphate route, significantly impacting its properties and grades. The chloride process produces high-purity TiO2 suitable for high-quality applications like paints and coatings for automobiles and architecture but is more expensive. The sulphate process produces lower-purity TiO2, which is cost-effective for applications in paper, plastics, and rubber. Anatase pigment is typically produced via the sulphate process, while rutile pigment can be produced via both chloride and sulphate processes.
- iv. There is more than a 20% price difference between sulphate-anatase and sulphate-rutile and more than a 40% price difference between sulphate-anatase and chloride-rutile.
- v. Exclusion of "rutile-grade TiO2 manufactured through the sulphate route" from the PUC is requested since none of the applicants produce this specific grade. Additionally, exclusion of "rutile-grade TiO2 produced through the chloride process" from the scope of PUC due to significant differences in technical parameters, production costs, end-use, and pricing has been requested.
- vi. Combining anatase and rutile grades of TiO2 in the scope of PUC would be flawed. They are distinct in their production process, physical, technical, and chemical properties, as well as end uses. These grades are also classified under different tariff headings.
- vii. It has been stated that the domestic industry itself has acknowledged that anatase and rutile grades differ significantly in properties such as purity, refractive index, specific gravity, hardness, and crystal structure, among others. Additionally, they cannot be interchangeably used due to differences in production technology and application.
- viii. Most Chinese producers manufacture rutile-grade TiO2 through the sulphate process, while Kerala Minerals and Metals Limited produces Rutile-grade TiO2 using the chloride process. Travancore Titanium Products Limited and VV Titanium Pigments Pvt. Ltd produce anatase-grade TiO2 via the sulphate process. None of the domestic producers manufacture rutile-grade TiO2 through the sulphate process. Therefore, the rutile grade manufactured through the sulphate process should be excluded from the PUC.
- ix. It has been submitted that the domestic industry has defined pigmentary TiO2 as having a particle size range of 200-350nm. Products with particle sizes below 200nm and above 350nm should be excluded from the investigation as they fall outside the defined scope of pigmentary TiO2.
- x. Indian Paint Association (IPA) has contended that the scope of the PUC defined in the initiation notification is overly broad, encompassing grades that are neither produced nor supplied domestically by the domestic industry. These grades, with distinct technical and commercial properties, should be excluded as they do not meet the definition of "like product" or "like article" under relevant anti-dumping rules. IPA argues that parameters like consumer perception, physical and chemical properties, usage, and application differences establish non-substitutability.
- xi. The bright and bluish undertone rutile grade is distinguished by its superior physical properties, including higher brightness, enhanced UV resistance, and better overall performance compared to the

- domestic industry's product. These properties make it a preferred choice for end consumers, particularly in applications demanding high-quality finishes and durability.
- xii. Performance grades BLR 895 or LR 961 are widely used in industrial and decorative paints due to their ability to deliver exceptional finish, high gloss, superior durability, and a high distinctness of image (DOI). The domestic industry's grades, however, fall short in these critical aspects. Industrial and decorative paint manufacturers have consistently rejected the domestic industry's grades, citing their inability to meet the performance standards required for high-end applications.
- xiii. Sulphate grades BLR 698 or BLR 601 excel in providing higher coverage, better finish quality, and a visually appealing bright white appearance. On the other hand, the domestic industry's grades, which are manufactured through the chloride process, often exhibit lower coverage, inferior finish, and a yellowish tint. These deficiencies make the domestic industry's products unsuitable for users seeking precise and consistent outcomes in high-end applications.
- xiv. Further, for industrial paints, the domestic industry's products often require additional sand milling, reducing capacity and throughput. For decorative usage, similar issues are observed. Imported grades do not require sand milling, making them significantly more cost-effective and economically advantageous compared to the domestic industry's product.
- xv. IPA further contends that the domestic industry uses the chloride process to manufacture the PUC, whereas imported grades are manufactured using the sulphate process, resulting in chemical differences between the two. Therefore, grades not manufactured by the domestic industry should be excluded from the scope of the PUC as the domestic industry cannot suffer material injury for such grades during the POI, and they are not like articles to the imported grades.
- xvi. PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) and Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) sought some clarifications regarding the exclusion of TiO2 used in the fibre and textile.
- xvii. PHDCCI has contended that the paper and paperboard industry consume approximately 6,000 MT of rutile TiO2 annually for the production of décor paper, which is primarily used in laminates for furniture and housing. TiO2 is essential for achieving desired opacity, whiteness, and brightness in décor paper due to its high refractive index, effective light scattering, and UV absorption properties. The sulphate process rutile TiO2, being more economical, is the variant predominantly used by the décor paper industry.
- xviii. TiO2 is applied at the pulp or fibre stage of paper manufacturing for décor paper, and not post-manufacturing. The domestic industry's TiO2 does not meet the specific requirements of the décor paper industry. Further, there have been no sales of TiO2 by the domestic industry to the décor paper industry, further confirming the unsuitability of their product for this application. Therefore, TiO2 used in the pulp or fibre stage for manufacturing décor paper must be excluded from the scope of PUC.
 - xix. ASSOCHAM has submitted that TiO2 anatase grade for making paper other than décor paper (used at fibre/pulp stage) must be excluded from the scope of PUC.
 - xx. TiO2 used in plastic and PVC application may be excluded from the scope of PUC.
 - xxi. TiO2 by rutile chloride process requires higher-grade raw materials such as superior TiO2 ore, which is more expensive and scarcer as compared to TiO2 by Rutile sulphate process which requires Ilmenite ore which lowers raw material costs due to being found in abundance and is less expensive. Additionally, rutile produced through chloride process requires specialized corrosive-resistant equipment for handling chemicals such as chlorine and titanium tetrachloride, increasing production

- costs and complexity while in Rutile sulphate process, simpler equipment is used and there are fewer safety requirements.
- xxii. TiO2 with varying particle sizes has different cost patterns, with finer particle sizes requiring more complex production processes and resulting in higher costs.
- xxiii. KMML's Rutile chloride- RC 822, with a TiO2 content of 91.5%, is lower in quality compared to imported grades with a higher TiO2 content.

C.2. Submissions by the domestic industry

- 8. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. Exclusion of rutile grade as a whole cannot be accepted as the majority of domestic production and imports are of rutile grade, and KMML exclusively produces rutile-grade TiO2.
 - ii. The domestic industry has submitted that Anatase grade of TiO2 is produced domestically by the domestic industry. Further, with respect to exclusion of rutile TiO2 through sulphate process, the domestic industry has submitted that the production process does not result in a distinct product. Furthermore, there is no significant difference in price or interchangeability between products made by the sulphate and chloride processes. Comparison between imported and domestically produced Rutile through Chloride reveals that the performance of the Rutile through Chloride of the domestic industry is highly comparable to the imported.
 - iii. Exclusions based solely on differences in production processes have not been accepted by Directorate General of Trade Remedies (DGTR) unless they result in different products.
 - iv. The domestic industry also opposes the respondent's contention of exclusion of TiO2 with particle sizes below 200nm and above 350nm, stating that these sizes are being produced and supplied domestically. The interested parties have not provided any valid justification for restricting these particle sizes.
 - v. The contention regarding bright and bluish undertone rutile TiO2 by Indian Paint Association (IPA) is similarly contested by the domestic industry on the grounds that no distinctively different product has been demonstrated, and the parameters referred to by respondents are not substantiated with data. The BIS for Rutile TiO2 does not state characteristics such as 'bright' or 'blue' or 'bright and bluish' undertones. The undertone of a TiO2 product is inherently subjective and does not have measurable characteristics. No two TiO2 producers can offer exact uniformity in terms of brightness and undertone. Further, the domestic industry does offer products with bright and bluish undertones, which can be assessed through the Carbon Black Undertone (CBU) value range. Additionally, the opacity, brightness, and gloss values of the domestic industry's products are comparable, or in some cases, superior to those of imported products.
 - vi. The domestic industry opposes the exclusion of performance-grade TiO2, such as BLR 895 or LR 961 as BLR895 grade is not analogous to DI's RC822, but is highly comparable to DI's RC808 in compositional, surface coating, and performance attributes. DI's RC822 and RC822+ are comparable to imported BLR 896 and BLR896+ respectively while RC800 is the R-C domestic industry grade that is comparable to imported LR961. R-C by domestic industry has comparable physical and performance attributes including pH, opacity, gloss, durability etc, to imported R-C and satisfies the requirement of specific end uses such as decorative and industrial applications. Below specified are the R-C grades offered by domestic industry that are comparable to R-C imported grades mentioned by the other interested party in their submission:

R-C Imported	Comparable R-C by DI
BLR 895	RC 808
BLR 896	RC 822
BLR 896+	RC 822+
LR 961	RC 800

- vii. With respect to exclusion of sulphate grades, such as BLR 698 or R 868 or BLR 601/ R 216, the domestic industry submits that they cannot be excluded on the basis of grade name of a specific producer as they are only names but not International Standards to be adhered to.
- viii. The domestic industry also submits that the sand milling process is necessary for both imported products and domestic products because it is an essential step in mixing raw materials for paint production. This process is required to ensure uniformity and proper dispersion of the product in industrial applications. Additional sand milling is required only when agglomeration levels of TiO2 are higher, whereas grade produced by the domestic industry offers high levels of dispersion and low agglomeration. The coverage of the domestic industry's rutile through chloride process is not inferior to that of imports, as evidenced by the scattering ability, high rutile percentage, and superior tint strength values.
- ix. In response to PHDCCI and ASSOCHAM, the domestic industry submits that TiO2 used for making textiles (used at fibre/pulp stage), TiO2 rutile grade used for making décor paper (used at fibre/pulp stage), and TiO2 used for making food can be excluded from the scope of PUC, as these products are not used as pigments. Additionally, TiO2 used for making skin care, pharmaceutical applications, and nano or ultrafine TiO2 with particle sizes below 100nm can be excluded from the scope of PUC as the domestic industry does not produce these articles.
- x. However, the domestic industry objects to ASSOCHAM'S contention of excluding TiO2 anatase grade used for making paper other than décor paper (used at fibre/pulp stage) on the ground that domestic industry is producing and selling this product.
- xi. Further, the domestic industry submits that PVC application should also be considered as plastic application, as PVC is a type of plastic in this sense. TiO2 is used in making of masterbatches which are used in the plastic industry to add colour to plastic.
- xii. Plastic industry constitutes around 25% of the demand of TiO2 in India and domestic industry manufactures grades consumed by the plastic industry. The application, being a major consumption for TiO2, is catered by the DI. Therefore, PVC application must be included in the scope of PUC.
- xiii. The exclusion of rutile through sulphate based solely on differences in production processes is unjustified, as variations in methods do not inherently create a fundamentally different product. Both rutile through sulphate and rutile through chloride share interchangeable uses and exhibit only the characteristics of the rutile crystal. Consumers often purchase both types, underscoring their functional equivalence. Additionally, the cost of production for both processes is comparable, despite differences in raw materials. Notably, one of the applicants, TTPL, has the necessary technology and setup to produce rutile through sulphate route and actively manufactures rutile Tio2 using this process.

C.3. Examination by the Authority

9. After examining the transaction wise import data called from DG System and submissions of the interested parties, the Authority observes a significant difference in the import prices and cost of production of Rutile

- Chloride (R-C) and Rutile Sulphate (R-S). Accordingly, the Authority deems it necessary to establish separate PCNs for fair comparison of both products for the purpose of this investigation.
- 10. The Authority considers as follows with regard to exclusion requests made and concerns expressed by the interested parties:
 - a. Rutile through sulphate TiO2 should be excluded— With respect to submissions alleging that the domestic industry does not produce rutile through sulphate process, the Authority notes that the Indian industry produces rutile grade through sulphate process as well as chloride process. Further, it is noted that TTPL, has the necessary technology and setup to produce rutile through sulphate route and has manufactured and sold rutile Tio2 produced using sulphate process during POI. Therefore, the Authority disagrees with the exclusion sought for this product type.
 - b. <u>TiO2</u> with particle sizes below 200 nm and above 350 nm. The interested parties have argued that TiO2 with particles size below 200 nm and above 350 nm should be excluded. It is noted that subject goods below particle size 100 nm is already exempted from the scope of product under consideration. Further, information on record shows that all the grades of TiO2 with particles size above 100nm is being produced and sold by the applicants. Thus, the Authority holds that the product scope excludes only particle size below 100 nm.
 - c. <u>TiO2</u> rutile with bright and bluish undertone, Performance Grade TiO2 (BLR 895 or LR 961) and Sulphate Grades (BLR 698/R 868 or BLR 601/R 216) The interested parties have requested that certain grades, including TiO2 Rutile grade with a bright and bluish undertone, performance grades, and specific sulphate grades, be excluded. However, the authority notes that these requests are not supported by credible scientific data showing differences in physical or chemical characteristics or end uses compared to the domestic products. The domestic industry has asserted that it provides comparable products and contends that exclusions should not be based solely on grade names created by individual producers. These grade names are specific to the producers and do not align with international standards. Since consumers use these products interchangeably, there is no evidence to justify the exclusion of these product types.
 - d. <u>TiO2</u> anatase grade for making paper other than décor (used at fibre/pulp stage). The interested party has requested that anatase grade for making paper be excluded from the scope of the product under consideration. The domestic industry has submitted that the domestic industry produces and has sold material to consumers for production of papers (other than décor paper). Since the domestic industry produces this product, the Authority disagrees with this exclusion request.
 - e. <u>TiO2</u> for certain applications- Rutile grade for making décor paper and TiO2 used in the production of textiles, food- The interested parties have requested that TiO2 used in the production of textiles and food, and rutile grade used for producing décor paper may be excluded from the scope of product under consideration. The domestic industry has agreed with such request for exclusion as TiO2 in these applications is not used as a pigment. The Authority excludes TiO2 for these applications.
 - f. Nano or ultrafine- The domestic industry and interested parties have agreed with exclusion of nano or ultrafine as the domestic industry does not produce this article and the demand for this product is low. The Authority accordingly excludes this product type from the scope of product under consideration.
 - g. <u>TiO2 for skin care and pharmaceutical applications</u>. The interested parties have requested that TiO2 used for skin care and pharmaceutical applications may be excluded from the scope of

product under consideration. The domestic industry has agreed with such request for exclusion as TiO2 for these applications is not being produced by the domestic industry. The scope of product under consideration thus excludes TiO2 for skin care and pharmaceutical applications.

- 11. In view of the above, the Authority holds the product under consideration and product control numbers(PCNs) as below:
 - 12. The product under consideration in the present application is "Titanium Dioxide, excluding food, pharma, skin-care, textile and fibre application and nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm"

Specific Exclusions from the scope of the product

13. Specifically excluded from the scope of product under consideration are titanium dioxide meant for following applications or specification:

S. No.	Product excluded	Description of the excluded product and details
1	Food	TiO2 used in food additives like food colouring
2	Pharma	TiO2 used as ingredient in tablet film coatings
3	Skin-care	TiO2 is used in cosmetics and sunscreen lotions for UV- absorbing and photocatalyst applications
4	Textile	TiO2 used in production of textile/fibre. TiO2 which is used in the production of textiles and fibres largely because of its photo-catalytic self-cleaning, UV-protection and delustering abilities, etc. is excluded from the scope of product under consideration.
		However, such exclusion does not extend to the TiO2 that is used as a pigment for printing over the textile/garment/cloth/fabric.
5	Fibre	TiO2 is used for delustering the artificial fibre and this fibre is used to product the textiles. Fibre grade materials are used to blend with fibre threads to make the cloth itself. TiO2 Rutile grade for making décor paper (used at fibre/pulp stage).
6	Nano or ultrafine	Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm used in textile/paint industry to offer characteristics such as dust free textile/paint.

PCN Methodology

PCN	PCN Code
Rutile -Chloride	R-C
Rutile- Sulphate	R-S
Anatase-Sulphate	A-S

12. The Authority notes that the product produced by the applicants and the product under consideration imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The Authority holds that the subject goods produced by the applicants' is like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

13. No submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing.

D.2. Submissions by domestic industry

- 14. The applicants have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - i. The application has been filed by M/s. Kerala Minerals and Metals Ltd, M/s. Travancore Titanium Products Ltd and M/s. VV Titanium Pigments Pvt. Ltd.
 - ii. The applicants comprise of all the producers in India involved in the manufacturing of the PUC. Applicants have neither imported nor are related to any importer or exporter of subject goods.
 - iii. The applicants constitute a 'major proportion' of the total Indian production and satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

D.3. Examination by the Authority

- 15. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:
 - "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' must be construed as referring to the rest of the producers"
- 16. The present application has been filed by M/s Kerala Minerals and Metals Ltd, M/s Travancore Titanium Products Ltd and M/s VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. The applicants are the only producers of subject goods in the POI in the country. There are no other domestic producers of subject goods.
- 17. The applicants have not imported the subject goods and are not related to either an importer or exporter of subject goods from subject country. Information on record shows that the applicants account for 100% of Indian production in the POI. The application thus, satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Therefore, the Authority holds the applicants/petitioners as the eligible domestic industry. Further, the applicants constitute the domestic industry.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

18. The following submissions have been made by other interested parties with respect to confidentiality:

- i. The domestic industry has claimed excessive confidentiality, violating Rule 7 of the AD Rules and Trade Notices 1/2013 dated 9th December, 2013 and 10/2018 dated 7th September, 2018. The non-confidential version of the petition fails to provide a reasonable understanding of the allegations and does not meet the prescribed standards for disclosure.
- ii. Rule 7 mandates that non-confidential summaries of confidential data must be provided, with a good cause statement for claims of confidentiality. The domestic industry has failed to justify its claims or provide meaningful non-confidential summaries. Significant data, including costing information and injury indicators, have either been completely withheld or provided in trends rather than actual figures, making it impossible for interested parties to analyse and respond effectively.
- iii. Trade Notice 10/2018 specifies disclosure requirements for multiple producer petitioners, which the domestic industry has not adhered to. Key data points such as sales quantity, sales value, Profit before interest and tax (PBIT), Non-injurious price (NIP), and depreciation expenses are either not provided or disclosed inadequately in non-confidential versions.
- iv. In Section VI (Costing Information) of the petition, the domestic industry has entirely withheld information, failing to provide justification for the confidentiality claimed. Annexures referenced in the petition are not included in the non-confidential version.
- v. The domestic industry has not complied with the requirements laid down in Trade Notice 10/2028 by not adequately providing information regarding various indicators, such as production volumes, sales realizations, funds raised, and financial details like depreciation, interest, and PBIT.
- vi. Excessive confidentiality prevents other interested parties from exercising their right of defense. The Hon'ble Supreme Court of India in Automotive Tyre Manufacturers Association vs. Designated Authority11 held that duty to follow the principles of natural justice is implicit in the exercise of power conferred on DA under the AD Rules.

E.2. Submissions by domestic industry

- 19. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
 - i. The domestic industry consists of three entities: two PSUs (KMML and TTPL) and one private company (VVT). KMML produces only Rutile grade by chloride process, VVT produces only Anatase grade, and TTPL produces both grades. There is a significant difference in the cost and selling price of Rutile and Anatase grades during the POI.
 - ii. Disclosure of aggregate figures could enable producers to deduce the cost and price of grades they do not produce, harming the DI's competitive interests. Cost, profit, and selling price are highly sensitive business information, and disclosure would negatively impact the competitive position of the DI.
 - iii. It is further submitted by domestic industry that claims of confidentiality are in consonance with the practice of the Authority in cases such as *Anti-dumping investigation concerning imports of Phthalic Anhydride originating in or exported from Russia and Japan12*, where there were 3

^{11. (2011) 2} SCC 258.

^{12. 14/6/2014-}DGAD (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/phthalic-anhydride-originating-or-exported-russia-and-japan).

(three) producers as a part of the domestic industry, the Authority did not provide details such as selling price and PBIT of the constituents of the domestic industry and has claimed it confidential. This pattern was also followed in other cases such as Anti-dumping investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (PAN) originating in or exported from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand13, Anti-dumping investigation concerning imports of Glazed Unglazed Porcelain Vitrified tiles in polished or unpolished finish from China PR14 and Anti-dumping investigation concerning imports of Plastic Processing Machines originating in or exported from China PR15.

- iv. Further, many respondents have not disclosed affiliated companies, names of shareholders, details of the company such as telephone and fax numbers. These details have been claimed confidential without a valid justification.
- v. Sample domestic and export sales documents have not been disclosed. While documents itself may be confidential, the list of documents submitted has not been disclosed.

E.3. Examination by the Authority

- 20. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).
- 21. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:
 - "7. Confidential Information:
 - (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.
 - (2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."
- 22. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. The Authority holds that the domestic industry's claims on price parameters have been accepted, while volume parameters have been disclosed. Hence, the Authority is satisfied with information provided by the domestic industry on confidential basis.

^{13. 6/16/2020-}DGTR (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-phthalic-anhydride-pan-originating).

^{14. 14/14/2014-}DGAD (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/glazed-unglazed-porcelain-vitrified-tiles-polished-or-unpolished-finish-less-3).

^{15. 6/54/2020-}DGTR (https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-plastic-processing-machines).

23. On being satisfied, the Authority accepts the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. SAMPLING OF FOREIGN PRODUCERS

- 24. A large number of producers and exporters of the subject goods from China submitted questionnaire response. In view of the large number of producers and exporters, the Authority decided to resort to sampling in the present investigation in accordance with the provisions of Rule 17(3). Based on the questionnaire responses filed before the Authority, the following three groups were chosen for individual dumping margin determination.
 - i <u>LB Group</u> comprising of following producers/exporters- Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., LB Group Co., Ltd., LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd., LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd, Billions (Hong Kong) Corporation Limited and Billions Europe Ltd, UK.
 - ii <u>Gold Star Group</u> comprising of producer/exporter- Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd and Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - iii <u>Shandong Group</u> comprising of producer/exporter- Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. and Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
- 25. The Authority vide email dated 29.08.2024 intimated all the interested parties regarding the sampling methodology and the sampled groups for further investigation and sought the comments from them. The comments sent by the interested parties were examined by the Authority and the final sampled groups of exporters/producers were intimated vide notification no F.No.-06/03/2024 dated 7th October, 2024. The Authority also informed the interested parties that these producers along with their associated exporters were considered for determination of individual dumping margin.
- 26. The Authority invited comments from the interested parties. The submissions made by the interested parties are briefly as under.

F.1 Submissions by other interested parties

27. There were no submissions made by other interested parties in this regard.

F.2 Submissions made by the domestic industry

- 28. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - i. 21 producers have filed questionnaire responses as per the interested parties' list, which is a high number to permit individual determination.
 - ii. Given the low volumes of exports by certain parties, it is obvious that their product profile and exports pattern is not representative of exports into India, in terms of both product profile and time period.
 - iii. In the past, Chinese producers who have had negligible export volumes in the POI, after getting individual lower duty, flood the Indian market.
 - iv. The global norm in sampling is to consider at most three companies:

- a. In *Ceramic Tiles from India16*, Europe originally considered two companies and refused to extend sampling size to three companies even following aggressive representations from the company at number 3.
- b. In *Wood Pulp from Canada17*, China's Ministry of Commerce (MOFCOM) refused to individually determine dumping margin for the company at number 3 even though the companies in the first three places were exporting almost equal volume.
- c. The USA considers more than two companies as 'unduly burdensome'. In the matter of *Quartz Surface Products from India18*, out of 50 companies considered, investigation and determination of dumping margin was carried out only for two companies, the results of which were extended to the others.
- v. Filing of questionnaire response on voluntary basis cannot be grounds to determine individual dumping margin.

F.3. Examination by the Authority

29. After reviewing the comments from interested parties, the export data was organized in descending order of production of PUC. Based on the largest percentage of export volume to India from China during the POI, three (3) producers, along with their associated exporters/producers, were selected for the determination of the dumping margin. These 3 sampled producers/exporters group contribute to about 49% of exports during the POI, making them an appropriate and representative sample. Therefore, the Authority has considered the sampled producers to determine dumping margin and the dumping margin for non-sampled cooperating producers/ exporters from China PR would be determined on the basis of the same.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

A.1 G.1 Submissions made by other interested parties

- 30. Following submissions have been made by other interested parties with regards to the normal value, export price and dumping margin:
 - i Market economy status should be granted to China PR based on the development of the market economy of China. Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired on December 11, 2016.
 - ii After 11th December 2016, anti-dumping regulations cannot contain any provisions allowing for the establishment of the normal value for the Chinese exporting producers on a basis other than their domestic prices and costs.
 - iii India has no legal basis under the WTO Agreement to calculate normal value in anti-dumping investigation for products from China PR using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT.
 - iv The surrogate country methodology is no longer applicable in calculating normal value, regardless of whether China PR is treated as a market economy due to the principle of *pacta sunt servanda*, Section 15 of China's Accession Protocol to WTO and Appellate Body Report on EC- Fasteners initiated by China PR.

v China PR should not be treated as a non-market economy as per China's accession protocol to WTO, the same was also confirmed by the WTO Appellate Body in "EC-Fasteners". US and EU in their respective bilateral agreement with China PR had also noted about the expiry of non-market economy status after 15 years after China enters WTO.

A.2 G.2 Submissions made by the domestic industry

- 31. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:
 - i China should be considered a non-market economy country and normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with para-7 read with para 8 (2) and 8(3) of Annexure I of the AD Rules. In terms of Para 8 in Annexure I to the AD Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the AD Rules.
 - ii Article 15 (d) of the Protocol, the provision of 15(a)(ii) has expired in December 2016 i.e., 15 years after China PR's accession to the WTO. However, Article 15(a)(i), which provides for presumption of non-market economy for China PR, is still in force. Hence, a valid presumption exists that China PR is a non-market economy country for anti-dumping investigations.
 - iii The Authority shall follow Para 1 6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - iv Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules does not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

A.3 **G.3 Examination by the Authority**

- 32. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
 - i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- 33. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit. The Authority received questionnaire responses from the following exporters/producers:
 - i. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
 - ii. LB Group Co., Ltd.
 - iii. Lb Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
 - iv. Lb Sichuan Titanium Industry Co., Ltd
 - v. Lb Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd
 - vi. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
 - vii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
 - viii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - ix. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
 - x. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
 - xi. Efon (Hongkong) Company Limited
 - xii. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.
 - xiii. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
 - xiv. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
 - xv. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.
 - xvi. Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd.
 - xvii. Pangang Group Chongqing Vanadium & Titanium Technology Co., Ltd.
 - xviii. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)
 - xix. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
 - xx. Inter-China Chemical Co., Ltd.
 - xxi. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
 - xxii. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
 - xxiii. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
 - xxiv. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
 - xxv. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
 - xxvi. Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd.
 - xxvii. Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.
- 34. The Authority has sampled following three groups which includes related traders and producers:
 - i <u>LB Group</u> comprising of following producers/exporters- Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., LB Group Co., Ltd., LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd., LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd, Billions (Hong Kong) Corporation Limited and Billions Europe Ltd, UK.
 - ii <u>Gold Star Group</u> comprising of producer/exporter- Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd and Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - iii <u>Shandong Group</u> comprising of producer/exporter- Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. and Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.

35. The normal value and export price for all producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

G.3.1 Normal Value

36. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following: "(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
- c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "
- 37. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment.

- 38. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information made available by the domestic producers on the cost of production of the subject goods with due addition of SGA and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of the initiation and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting the presumption of a non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers exporters in China PR to provide the relevant information.
- 39. None of the exporters/producers contested the non-market economy status of China. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceeds with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

40. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection.

Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

- 41. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis".
- 42. The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2 Export Price for all sampled producers and exporters

A) LB Group (Sampled)

- i. M/s. LB Group Co Ltd.
- ii. M/s. LB Lufeng Titanium Industry Co. Ltd.
- iii. M/s. LB Sichuan Titanium Industry Co. Ltd.
- iv. M/s. LB Xiangyang Titanium Industry Co. Ltd.
- v. M/s. Henan Billions Advanced Material Co. Ltd

- vi. M/s. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
- vii. M/s Billions Europe Ltd., UK
- 43. **LB Group Co., Ltd.** was established on August 20, 1998 as a public listed company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, LB Group Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. It is further noted that out of this ***MT, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold ***MT to India directly and rest of *** MT has been sold to India indirectly through another related exporter/trader namely, Billions Europe Ltd., UK. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

44. **LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.** was established on April 20, 2015 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

45. **LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.** was established on February 21, 2001 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. China PR, has sold ***MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold ***MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. It is further noted that out of this *** MT, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold *** MT to India directly and rest of *** MT of subject goods Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold to India indirectly through another related exporter/trader namely, Billions Europe Ltd., UK. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

46. **LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd.**, China PR, was established on April 29, 2011 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd., China PR, has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

47. **Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.** was established on May 19, 2016 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold ***MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. It is further noted that out of this *** MT,

Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold *** MT to India directly and rest of *** MT of subject goods Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold to India indirectly through another related exporter/trader namely, Billions Europe Ltd., UK. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at PCN-wise weighted average of export price at exfactory level and the ex-factory export price so determined is as shown in the dumping margin table.

B) Gold Star Group (Sampled)

- i. M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co. Ltd.
- ii. M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co. Ltd.
- 48. **Anhui Gold Star Titanium Dioxide** (**Group**) **Co. Ltd.** was established as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China, on January 18, 1996.

During the POI, Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd., China PR, has sold *** MT subject goods to India indirectly through a related exporter/trader namely, Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd., China PR on ex-works basis. The producer/exporter has claimed no adjustments to arrive of export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

49. **M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.**, was established as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China, on October 20, 2017.

During the POI, Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd., has sold ***MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT of subject goods from its related producer/exporter namely M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd., China PR. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

C) Shandong Group (Sampled)

- i. M/s. Shandong Xianghai Titanium Co. Ltd.
- ii. M/s. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co. Ltd.
- 50. **M/s. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.**, was established on October 16, 2013 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the ex-factory export price so determined is as shown in the dumping margin table.

51. M/s. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. China PR, was established on April 24, 2012 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.

During the POI, Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. China PR, has sold *** MT subject goods to India directly. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the ex-factory export price so determined is as shown in the dumping margin table.

D) Non sampled cooperating producers/exporters

52. The Authority has considered the weighted average dumping margin evaluated on the basis of individual dumping margins for the producers/exporters of the sampled category. This weighted average dumping margin has been accorded to the non-sampled category of producers/exporters of subject goods and has been mentioned in the dumping margin table.

E) Non-cooperating producers/exporters

53. The Authority determines the export price for non-cooperating producers/ exporters from China PR on the basis of facts available. The export price so determined has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.3 Determination of dumping margin

- 54. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is determined that the dumping margin is more than the *de-minimis* limit prescribed under the Rules.
- 55. It is noted that many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. The rationale for this approach is that calculating individual dumping margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.
- 56. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.

Dumping Margin (DM) Table

S. No.	Producer	CNV(\$/MT)	Net Export Price (\$/MT)	Dumping Margin (DM) (\$/MT)	DM (%)	DM Range (%)
1.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
2.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.					
3.	M/s Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
4.	M/s Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.					
5.	M/s LB Xiangyang Titanium Industry Co Ltd, and	***	***	***	***	35-45
6.	M/s LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.					

7.	M/s LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.					
8.	M/s LB Group Co., Ltd.					
9.	M/s Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.					
10.	Non-Sampled Cooperative Producers/Exporters	***	***	***	***	40-50
11.	Residual	***	***	***	***	90-100

SECTION III

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by other interested parties

- 57. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
 - i. Import volume data shows significant reliance on imports to meet domestic demand, particularly from China PR.
 - ii. Imports have shown steady increase in tandem with increase in demand in the POI.
 - iii. Sales of the domestic industry have increased slightly while imports from other countries declined in the POI.
 - iv. Domestic industry is unable to meet the increasing demand for the subject goods and the demand supply gap highlighting the need for imports.
 - v. Grade-wise examination would enable a clearer assessment of how different quality grades have contributed to changes in cost and pricing dynamics. This approach will allow identification of grades that may be experiencing higher or lower demand, pricing pressures, or cost variances, leading to more tailored strategies for pricing, marketing, and production. Such an analysis can also uncover trends that might be obscured in the aggregate data, thereby enabling more informed decision-making and enhancing profitability.
 - vi. The alleged injury to the domestic industry cannot be attributed solely to subject imports. Other contributing factors include fluctuations in raw material prices, supply chain disruptions, changing consumer preferences, and increased competition from both domestic and foreign producers.
 - vii. The DI's claim of a 22% return on capital employed (ROCE) for determining the non-injurious price is excessive and inconsistent with the Anti-Dumping Rules, as it inflates the non-injurious price calculation by applying an unjustifiable rate across both net worth and debt components of capital employed. It is submitted that non-injurious price should be calculated based on the actual ROCE earned by the domestic industry during periods without dumping allegations, considering the prevailing economic conditions and ensuring that interest costs and profit margins reflect realistic and reasonable levels.
 - viii. Injury must be analysed separately for rutile and anatase grades as they are distinct forms of the PUC due to their unique crystal structures and resultant physical and chemical differences.
 - ix. Injury must be analysed separately for rutile-chloride and rutile-sulphate as they cannot be used interchangeably. Mere adoption of PCN is insufficient for a holistic injury examination and does not reflect the correct volume effect, price effect, and economic parameters for determining injury as per the AD Rules.

- x. Domestic industry has used two separate import volumes to calculate dumping margin, and for determining net export price, injury margin, price undercutting. Domestic industry has created an inconsistency that could distort the injury examination. Volume of imports from China has risen by 50% while that of non-subject countries have experienced a decline of about 25%. Imports into India have increased by only 12.80%, aligning with the increase in total Indian demand. Hence, Chinese imports are taking away market share of non-subject country imports and not Indian market share, which remained more or less at the same level.
- xi. Segregation of Chinese imports reveals that the increase in imports pertain to rutile-sulphate due to the non-availability of rutile-sulphate domestically. Imports of rutile-sulphate are a necessity than a choice.
- xii. Price undercutting in itself cannot be an indicator of injury leading to material injury. Setting of net sales realisation (NSR) is a business decision, therefore, DI's internal inefficiency that may lead to higher cost of production and higher NSR cannot be a reason to claim injury or material injury.
- xiii. As per the audits of the Comptroller and Auditor General, KMML has maintained pricing practices that ensure recovery of variable costs which contradict claims of price suppression or depression.
- xiv. KMML has not expanded its production capacity since fiscal year 2006-07 despite being the sole domestic producer of rutile TiO2 in India. Despite consistent and increasing demand from the user industry, capacity of KMML has remained the same. Capacity utilisation data suggests that KMML's performance has been consistent over time, showing no changes in output or capacity utilisation.
- xv. Sales prices of KMML have increased substantially over the injury period, whereas the cost of production has decreased indicating that KMML is currently not facing adverse financial impacts that would necessitate imposition of duties.
- xvi. KMML has reported gross profits across all segments including PUC, of 120% and 20% respectively from 2019-20 to 2022-23. Thus, claims regarding decline in profitability are devoid of merit and warrant rejection.
- xvii. Achieving 4, 00,000 MT capacity as mentioned by the domestic industry during the oral hearing would require an approximate capital outlay of INR 10,000 Cr. Considering the domestic industry is reportedly, financially constrained due to internal inefficiencies and borrowing, such investment seems highly improbable.
- xviii. Domestic industry's sales volume and sales price have risen slightly which indicate stability and improvement in the domestic industry's performance, negating the assertion that the domestic industry is suffering from injury.
 - xix. Increase in imports from China PR has been modest and cannot be considered significant enough to substantiate a claim of threat of material injury.
 - xx. India does not constitute an exceptionally high-growth or lucrative market for foreign exporters as demand has remained relatively steady over recent years and does not indicate significant or increasing attractiveness to foreign exporters.
- xxi. Domestic industry has not provided reliable data on the actual installed capacity in China which is dedicated for the production of the PUC as opposed to the grades of TiO2 which are not subject to this investigation, in the absence of which, the Authority should disregard the domestic industry's speculative assertions of excess capacities.
- xxii. The COVID-19 pandemic and resultant lockdown is a factor in the performance of the domestic industry and demonstrates the absence of any causal relationship between the dumped goods and injury to the domestic industry. KMML's annual report of 2022-23 reports an increase in COVID related expenses, which may have increased the costs of the company.
- xxiii. Domestic industry has the option to address any injury arising from alleged subsidies as claimed by the domestic industry by filing a separate anti-subsidy petition. It would be inappropriate to include in the present anti-dumping assessment any injury purportedly caused by subsidisation such as export tax rebates.

- xxiv. The domestic industry is inefficient owing to the massive increase in its interest costs which may have contributed significantly to the domestic industry's rising cost of sales, turning prior profits into losses, and leading to the decline in ROI.
- xxv. The domestic industry has specifically highlighted injury from the LB Group. However, it must be noted that LB Group is backward integrated, thereby maintaining a more competitive cost structure. KMML relies on purchased raw materials and is hence unable to efficiently manage its raw materials. KMML's annual report shows that there is a significant increase in raw material costs which is disproportionate to the rise in sales, indicating inefficiencies.

H.2. Submissions made by the domestic industry

- 58. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
 - i. Demand increased steadily until 2021-22 but declined in 2022-23 and during the POI.
 - ii. Imports from the subject country have increased significantly from the base year to the POI.
 - iii. The increase in imports is substantial both in absolute and relative terms.
 - iv. The share of imports from the subject country in relation to Indian production and consumption has grown consistently over the injury period.
 - v. Subject imports hold ***% market share in total Indian demand.
 - vi. Price undercutting was determined by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry. The subject imports are undercutting the prices of the DI.
 - vii. The cost of sales increased till 2022-23, after which it saw a slight decline in the POI. The selling price increased till 2021-22 and then decreased till the POI. Subject imports therefore, are suppressing the prices of the domestic industry.
 - viii. The capacity of domestic industry has remained constant throughout the injury period.
 - ix. Production and capacity utilisation of domestic industry has increased from the base year to 2021-22, however declined significantly since then till POI.
 - x. Despite sufficient demand in the country, the domestic industry is operating at a very low utilisation level.
 - xi. Sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23, and saw an increase in the POI.
 - xii. Market share of the applicants declined over the injury period whereas share of subject imports have increased and is more than 50%. The subject imports have also taken away the share of other countries in demand.
 - xiii. With regard to the profitability parameters of the domestic industry, COVID and low-priced imports caused the domestic industry to incur losses in the base year.
 - xiv. In 2021-22, the domestic industry started earning profits, cash profits, and a reasonable ROI. However, it started incurring severe losses in 2022-23, which continued into the POI, where the landed price of the subject imports started to decline significantly. The ROI of the domestic industry was negative ***% in the POI.
 - xv. The inventories with the domestic industry have undergone a highly significant increase over the injury period. The inventory in the POI is at *** MT, despite a reduction in production.
 - xvi. The number of employees and the wages paid have declined marginally over the injury period.
 - xvii. Productivity per employee has increased from the base year to 2021-22, it has however declined significantly since then till the POI, following the movement of production.
- xviii. The subject imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect of price and profitability parameters.
 - xix. There is an increase in dumped imports from the subject country, even beyond the demand supply gap in India, after accounting for the new producer that has already started producing subject goods after the POI.

- xx. Injury must be seen for the domestic industry as a whole as the PUC is defined as 'titanium dioxide' and injury analysis must be considered for the product as a whole.
- xxi. Calculation of dumping margin and injury margin has been carried out based on anatase and rutile grades, as they are identified and any unknown grades of TiO2 have not been considered.
- xxii. To calculate price undercutting, the total volume of imports has been considered.
- xxiii. Landed price of Chinese imports declined after 2021-22, the landed price of non-Chinese imports increased significantly, especially in the POI.
- xxiv. Volume of imports from China increased as that of other countries declined.
- xxv. The increase in stocks over the injury period is from about 50 crores to 250 crores.
- xxvi. Capacity utilisation for one of the constituents of the domestic industry is only at 32% in the POI, while that of another applicant is 32% for two different PCNs.
- xxvii. Domestic industry was forced to follow movement of landed price and not costs by reducing selling price in 2022-23 even with a cost increase. However, landed price was too low and below cost and declined further in the POI.
- xxviii. KMML suffered massive declines in PBT by about *** Cr and in PBIT by about *** Cr while its interest cost increased only *** Cr.
 - xxix. The reference made to KMML's policy is to variable costs and not full costs and ignores full costs knowing that market forces may not allow for full costs to be recovered.
 - xxx. COVID related expense was made initially in 2021, as per orders of the Government of Kerala. The amount paid in 2022-23, was simply a part payment to complete the amount contributed as part of the company's CSR obligations. Moreover, CSR expenses are not even considered for reporting profits and are met from profit after tax.

H.3. Examination by the Authority

- 59. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 60. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1 Assessment of Demand/Apparent Consumption

61. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the applicants and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from Subject	MT	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
Country- China					

Indexed		100	117	138	154
Imports from other countries	MT	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
Indexed		100	121	96	83
Sales of Domestic Industry	MT	46,855	47,913	38,998	47,223
Indexed		100	102	83	101
Indian Demand	MT	***	***	***	***
Indexed		100	117	113	116

62. It is seen that the demand for the product under consideration increased in 2021-22 and declined marginally thereafter till POI. The imports from subject country have increased significantly by 54% when compared with base year 2020-21.

H.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a) Imports in absolute and relative terms

63. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise import data from DG System. The Authority has considered the data based on the finalised PUC and PCN of the subject goods. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI					
Import Volume										
Subject Country- China	MT	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869					
Indexed		100	117	138	154					
Other Countries	MT	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608					
Indexed		100	121	96	83					
Total Imports Volume	MT	2,93,872	3,49,439	3,44,527	3,49,476					
Indexed		100	119	117	119					
Subject imports in relation to										
Total imports	%	50	49	59	65					
Indexed		100	99	118	130					
Indian production	%	287	302	433	494					
Indexed		100	105	151	172					
Indian demand	%	43	43	53	57					
Indexed		100	100	123	133					

64. It is seen that:

- a. The subject imports have witnessed a significant increase throughout the injury period. Imports from other countries increased in 2021-22, but declined sharply thereafter till the POI.
- b. Share of imports from China PR in total imports was already quite high. Further, the same increased over the injury period, and share of imports from other countries have declined.
- c. Subject imports in relation to Indian production and consumption has increased over the injury period.
- d. It can be observed that there is an overall increase in the demand.

H.3.3 Price effect of dumped imports on domestic industry

- 65. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
- 66. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports.

a) Price Undercutting

67. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the investigation period. For the purpose, the Authority notes that there is significant difference in the prices of different types of the product under consideration. Therefore, the Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for comparable types, by considering the PCN notified by the Authority. Thus, weighted average price undercutting has been determined after considering associated import volumes and same is given below-

Particulars	Unit	A-S	R-S	R-C	Weighted Average
Landed Price	₹/MT	1,78,574	2,01,911	2,26,934	2,05,197
Net Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	0-10	Negative	5-15	Negative

68. It is seen from the data that the imports are not undercutting the prices of the domestic industry in the market. However, the Authority notes that the R-S form manufactured by the domestic industry is in uncoated form.

b) Price Suppression/Depression

69. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the applicants have provided information about (a) cost of sales, (b) domestic selling price, as is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Landed Price	₹/MT	1,74,761	2,61,253	2,33,166	2,05,197
Indexed		100	149	133	117
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***

Indexed		100	110	147	135
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	133	124	113

70. It is seen that both the selling price and the cost of sales increased over the injury period. However, the increase in cost of sales was much higher than the increase in selling price of the subject goods. Further, whereas the selling price was above cost of sales till 2021-22, the same declined below the level of cost of sales in 2022-23 and the POI. The landed price of imports shows a fluctuating trend, with a significant increase in 2021-22 followed by a decline during the POI. The landed price of imports were materially below cost of sales in the POI. The selling price trend also reflects price depression, as it declined from its peak in 2021-22 (₹***/MT) to ***/MT) during the POI, despite the cost of sales remaining elevated. Subject imports are, thus, causing significant price suppression in the domestic market.

H.3.4 Economic Parameters of the domestic industry

- 71. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.
- 72. The performance of the applicants in the POI has been compared with its performance in the base year.

a) Capacity, Production, Capacity Utilisation, and Sales

73. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilisation, and sales volume of the domestic industry over the injury period. The table below shows factual position.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	82,500	82,500	82,500	82,500
Indexed		100	100	100	100
Production	MT	51,221	56,956	46,811	45,944
Indexed		100	111	91	90
Capacity Utilisation	%	62	69	57	56
Indexed		100	111	92	90
Domestic Sales	MT	46,855	47,912	38,999	47,223
Indexed		100	102	83	101

74. It is seen that:

a. Capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.

- b. Production and capacity utilization of the domestic industry has increased from base year to 2021-22 but declined significantly since then till POI.
- c. Despite sufficient demand in the country, the applicants are operating at low utilization level.
- d. Production, sales and capacity utilization in 2020-21 were lower due to country wide COVID-related lockdown.
- e. Sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23 and increased again in the POI.

b) Market Share in Demand

75. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject Country	%	***	***	***	***
Indexed		100	100	123	133
Other Countries	%	***	***	***	***
Indexed		100	103	86	72
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Indexed		100	102	74	87

76. The market share of the subject country has increased significantly over the injury period. The market share of the domestic industry has decreased over the injury period, while the share of imports from the subject country has increased, and the share of imports from non-subject countries has consistently declined.

c) Profitability, Cash Profits, and Return on Investment

77. The profit, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed and were as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	110	147	135
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	133	124	113
Profit/Loss per Unit	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	476	(327)	(307)
Profit/Loss (PBT)	₹ Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	1,220	(872)	(1007)
PBIT – Domestic Sales	₹ Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	923	(620)	(707)
PBIT – per Unit	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	434	(278)	(259)
Cash Profit – Domestic Sales	₹ Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	691	(454)	(513)
Cash Profit – per Unit	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	387	(242)	(226)
Return on Investment	%	***	***	***	***

Indexed	100	829	(512)	(552)

78. It is seen that

- a. The costs of sales increased over the injury period, whereas the selling price increased in 2021-22 and declined consistently thereafter till the POI. Resultantly, the profits of the domestic industry increased in 2021-22 and steeply declined thereafter leading to significant financial losses. The financial losses suffered have increased in the POI.
- b. As a result of decline in profits, the cash profits declined significantly over the injury period. The domestic industry has suffered cash losses in 2022-23 and the POI.
- c. The return on investment followed the same trend as that of profit before tax. Return on investment declined significantly over the injury period. The ROI was at a negative ***% in the POI.
- d. The profitability of the domestic industry was low in 2020-21 due to COVID related lockdown. In any case, the performance of the domestic industry deteriorated steeply by the POI in respect of profits, cash profits and return on investment.

d) Inventory

79. The data relating to the inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Indexed		***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Indexed		***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Indexed		100	126	237	394

80. It is seen that the level of inventories with the domestic industry increased significantly over the injury period.

e) Employment, Wages, and Productivity

81. The position with regard to employment, wages, and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Number of employees	Nos	***	***	***	***
Indexed		100	99	96	99
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	84	82	83
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Indexed		100	113	95	91
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Indexed		100	111	91	90

82. The Authority notes that the number of employees and wages paid have decreased over the injury period. The productivity per employee has increased from the base year to 2021-22 and declined in 2022-23 and the POI.

f) Growth

83. It is seen that the imports have led to an adverse effect on the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
Capacity	Y/Y	0%	0%	0%
Production	Y/Y	11%	-18%	-2%
Sales	Y/Y	2%	-19%	21%
PBT	Y/Y	1119%	-163%	-17%
PBIT	Y/Y	823%	-156%	-17%
Cash profit per unit	Y/Y	591%	-151%	-17%
ROI	Y/Y	729%	-150%	-10%

g) Factors affecting domestic price

84. The Authority has examined the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. The Authority further notes that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country.

h) Ability to raise capital

85. The Authority notes that even though the domestic industry has the ability to raise new investments to increase its capacities to cater to the demand of the PUC in India the domestic industry has been unable to utilise its capacities and is facing losses due to dumped imports. The dumping of the subject goods has impacted the domestic industry's ability to raise capital investments. The Authority also notes that new players are planning to make and making investments in the Indian industry of the PUC, but they are however, unable to move forward due to the dumped imports.

i) Magnitude of dumping and dumping margin

86. It is seen that the dumping margin from the subject country is not only more than *de-minimis* but also significant.

I. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

87. The Authority examined whether other factors listed under the Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

i) Volume and prices of imports from third countries

88. It is seen that the imports of the product under consideration from other countries are significant. However, they are at significantly higher prices than selling price of the domestic industry. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

ii) Contraction in Demand

89. The demand has consistently increased throughout the injury period. Thus, decline in demand is not the cause of injury.

iii) Changes in pattern of consumption

90. There are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

iv) Conditions of competition and trade restrictive practices

91. The investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

v) Developments in Technology

92. No evidence has been brought forward to show that there are no significant changes in technology.

vi) Export performance of the domestic industry

93. The information provided has been considered for domestic operations of the domestic industry.

vii) Performance of other products

94. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of the injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry has not been considered.

I.1. Conclusion on Injury and Causal Link

- 95. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
 - i. Imports have increased in absolute terms and relative terms.
 - ii. The increase in cost of sales is higher than the increase in selling price of the subject goods over the injury period with selling price going below the level of cost of sales in 2022-23 and the POI. The landed price of subject imports increased till 2021-22 and declined in 2022-23 and the POI leading to price suppression and depression in the domestic market.
 - iii. Domestic industry has not been able to increase production and sales due to dumping.

- iv. Subject imports hold ***% of the market share despite domestic industry's capacity lying unutilised.
- v. Inventories of the domestic industry has been on the rise and has increased significantly in the POI, despite production reducing over the injury period.
- vi. The domestic industry's profitability and return on capital employed has been adversely affected. The domestic industry has made losses in 2022-23 and the POI. The ROI of the domestic industry in the POI is significantly low.
- 96. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increased dumped imports of the PUC into India from the subject country. There exists a causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

- 97. The Authority determines the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration is to be determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules. The Authority has determined NIP separately for each of the quarters of the POI.
- 98. It is noted that many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of injury margin and thus, to establish one single injury margin for them. This is in particular because calculating individual injury margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual injury margin.
- 99. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single injury margin which was calculated on the basis of the weighted average of the injury margins of the cooperating related producers and exporters.
- 100. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as provisionally determined by the Authority is provided in the table below.

S.No.	Producer	NIP(\$/MT)	Landed Value (\$/MT)	Injury Margin(IM) (\$/MT)	IM (%)	IM Range
1.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
2.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.					20-30

3.	M/s Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	
4.	M/s Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.					20-30
5.	M/s LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	
6.	M/s LB Sichuan Titanium Industry Co. Ltd					
7.	M/s LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.					15-25
8.	M/s LB Group Co., Ltd					
9.	M/s Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.					
10.	Non-Sampled Cooperative Producers/Exporters	***	***	***	***	15-25
11.	Residual	***	***	***	***	25-35

K. THREAT OF MATERIAL INJURY

101. In the present investigation, the domestic industry has contended threat of material injury. The Authority examined the threat of material injury to the domestic industry considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the Rules, which states as under:

_"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as:

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b. sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increased demand for further imports; and
- d. inventories of the article being investigated."

K.1. Submissions by other interested parties

- 102. The following submissions have been made by other interested parties with regard to threat of material injury:
 - i. Increase of imports from the subject country has been only 4% on a year-on-year basis and cannot be considered as significant enough to substantiate threat.
 - ii. Marginal increase in imports both in relative and absolute terms is not sufficient to support the claim of threat of material injury.
 - iii. India does not constitute an exceptionally high-growth or lucrative market for exports of the subject goods due to stable demand.
 - iv. Stable demand does not indicate significant or increasing attractiveness to foreign exporters, including Chinese exporters.
 - v. Threat must be both imminent and clearly foreseen and existence of surplus production capacity alone does not fulfil this criterion.
 - vi. Domestic industry has not provided reliable data on actual installed capacity in China dedicated for production of the subject goods as compared to those grades of titanium dioxide that are used in food or pharmaceuticals.
 - vii. Lack of bifurcated data on China's capacities for the product under consideration and other titanium dioxide types leaves a gap in understanding the extent of production dedicated to the subject goods in China
 - viii. It is the established policy of one of the constituents of the domestic industry to price the product under consideration above its variable costs of production, contradicting the claims of existence of threat of material injury.

K.2. Submissions by the domestic industry

- 103. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to threat of material injury:
 - i. Imports have increased significantly over the injury period with relative to increase in demand. Imports increased in the POI significantly whereas the demand declined.
 - ii. Imports of rutile grade increased significantly.
 - iii. Post POI import volumes and prices of the subject country have remained consistent.
 - iv. Chinese capacity for the subject goods is around 55 lacs MT, which amounts to 56% of the global capacity to produce the subject goods. Capacity with one Chinese exporter alone is 15 lacs MT.
 - v. Domestic demand of China PR is weak, thereby showing freely disposable capacity for exports.
 - vi. Public domain knowledge suggests that production levels of the subject goods in China showed year on year increase despite weak demand.
 - vii. Chinese government heavily aids producers and manufacturers in China, creating distortions in the Chinese economy, significantly affecting input costs.
 - viii. Various jurisdictions around the world have imposed measures against imports of titanium dioxide from China PR, indicating China's behaviour to dumped goods.
 - ix. Imposition of global actions has resulted in a restricted export market for China, which already has weak demand, hence creating the possibility that China will redirect its excess capacity to the Indian market.
 - x. Chinese producers of the subject goods have suffered a loss of market due to the global actions, and such volume is likely to shift to India.

- xi. Indian market is price sensitive, and availability of low-priced imports would have an adverse impact on the prices of the product in the market, and hence leaves the domestic industry susceptible to aggravated injury.
- xii. Subject imports are at a price lower than cost of sales of the domestic industry, forcing it to reduce its selling price and making the domestic industry vulnerable.

K.3. Examination by the Authority

104. The Authority has examined the threat of material injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the Rules below.

a. Significant rate of increase of dumped imports into India

105. From an analysis of the import data, it is seen that there has been a year-on-year increase of imports into India and the rate of increase in imports in the POI as compared with the base year is significant. Imports have increased by 54%. The import price has also seen a significant decline in prices from 2021-22 to the POI. A significant increase in imports with declining prices indicates the threat of substantially increased imports in the future.

b. Freely disposable capacity with the producers

- 106. The applicants have submitted that there is significant freely disposable capacity for titanium dioxide in China PR. The interested parties have contended that the disposable capacities as submitted by the domestic industry are unreliable and should be bifurcated into that of capacity of PUC and of NPUC. However, the domestic industry has relied upon the website of the Chinese producers 19 as evidence, apart from which they have relied upon a market research report. As per such information, the capacity available with just one sampled group is 15 lacs MT, making it nearly three times that of Indian demand.
- 107. The Authority has compared the information on capacity and production, as made available by the responding producers. It is seen that the sampled producers alone have a surplus capacity of ***MT which is in the range of 85-95 % of total Indian demand.

S. No	Particulars	Gold Star Group	Shandong Group	LB Group	Total
4.	Capacity	***	***	***	***
5.	Production	***	***	***	***
6.	Surplus	***	***	***	***

c. Imports entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices

108. As noted above from the movement of cost of sales, selling price and landed price of imports that the subject imports are suppressing the domestic prices. The increase in selling price is lower than the increase in cost of sales, and the selling price is below the level of cost of sales since 2022-23. The landed

^{19.} https://www.lomonbillions.global/key-facts/

price of imports increased till 2021-22 and declined significantly thereafter, while the cost of sales increased.

d. Level of inventories

109. The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained as such information was not made available by the interested parties. Accordingly, this parameter for ascertaining threat of injury could not be examined by the Authority.

e. Trade remedial actions by other countries

110. It is seen that various countries including Brazil, Saudi Arabia, the Eurasian Economic Union, and the EU have imposed anti-dumping duty on imports of subject goods in their country from China PR. Further, the United States has imposed an additional import duty since 2018. This highlights the tendency of the producers from the subject country to dump goods in various markets. The actions by various countries can be seen in the table below:

SN	Date	Country	Action	Exporters	Duty
1.	21st Oct	Brazil	Interim duty	LB Group	578 USD/MT
				Gold Star Group	654 USD/MT
2.	9 th Oct	Saudi Arabia	Initiated case		
3.	3 rd Sep	Eurasian	Final duty	LB Group	14.27%
		Economic Union		Shandong Group	16.25%
4.	10 th	EU	Preliminary	LB Group	39.7%
	July		duty	Gold Star Group	14.4%

f. Loss of market due to trade remedial actions

111. It has been brought to the notice of the Authority that in lieu of the actions imposed globally, there is a loss of market to China PR. Chinese exports are highly likely to be diverted into the Indian market, considering the Indian market's stable demand. This poses a credible threat of the volumes exported to these countries shifting to India due to imposition of such measures as can be seen from the table below.

Particulars	UOM	2020	2021	2022	2023	2024
China Global Exports	MT	12,91,858	13,88,669	14,68,805	16,93,380	10,04,541
China exports to India	MT	1,51,242	1,76,914	1,93,768	2,54,655	1,48,566
% Share	%	12%	13%	13%	15%	15%
Particulars	UOM	2020	2021	2022	2023	2024
China exports to EU	MT	2,03,459	2,26,531	2,22,034	2,61,734	1,71,596
China exports to USA	MT	18,227	13,118	20,418	15,619	8,986
China exports to Brazil	MT	1,08,344	1,02,322	96,014	1,20,989	76,978
China exports to Saudi Arabia	MT	13,606	10,721	17,152	23,678	15,209
Potential volume that can shift to India	MT	3,43,635	3,52,692	3,55,619	4,22,020	2,72,769

(Source: Trademap)

g. Vulnerability of the Indian industry

112. It has been contended by the domestic industry that the Indian market is price sensitive and is vulnerable to imports that are low-priced. As has been noted above, the landed value of the subject imports has

dropped consistently. In this situation, the Authority holds that there is a tenable threat of aggravated injury to the industry, considering the dumping of subject imports.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

L.1. Submissions by other interested parties

- 113. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to public interest:
 - i) Imposition of anti-dumping duty would increase the price of the subject goods, there by impacting paint and plastic manufacturers.
 - ii) One of the other interested parties have submitted that TiO2 has no substitutes that provide the same performance in their products. They have projected that the imposition of a 10% anti-dumping duty (ADD) would increase paint production costs by ₹5/kg for finished products, potentially raising paint prices by ₹3.5–6/kg depending on dosage levels in formulations. Given the significant share of TiO2 in paint formulations (15–20%), the cost increase would likely be passed on to consumers. Despite this, it is believed that demand for TiO2 is not highly price-sensitive but driven by quality, as domestic industry cannot meet the required standards for whiteness, sheen, and gloss. They have highlighted a significant dependency on imports, as the domestic industry lacks the capacity to meet demand.
 - iii) Consumers relying on affordable products would be unable to afford these products anymore.
 - iv) The cost of imports has already been increased due to the customs duty payable on the subject goods at 10%. Addition of anti-dumping duty would lead to a substantial price hike for titanium dioxide.
 - v) Imposition of duty would be against consumer interest as the largest consumer of subject goods is the paint industry. The demand supply gap in the country can only be overcome with imports.
 - vi) In total Indian consumption, there is likely not more than 10% of total Indian production. Hence, if duties are applied, it will affect the majority negatively.
 - vii) Domestically available rutile grade is not suitable and hence users will have to import, which will be deterred by duties if imposed.
 - viii) The duties imposed by the EU is causing difficulties to paint manufacturers within the EU and the same situation is likely to be replicated in India.
 - ix) Imposition of duties will bring challenges to the Indian masterbatch industry as there is financial stress on the industry due to inverted duty structure, and further, there will be a potential setback on export competitiveness.
 - x) India does not constitute an exceptionally high-growth or lucrative market for foreign exporters as demand has remained relatively steady over recent years and does not indicate significant or increasing attractiveness to foreign exporters.
 - xi) One of the other interested parties have asserted that the imposition of anti-dumping duties would have minimal impact on their operations. Despite previous price increases of up to 50% for TiO2, they experienced no interruptions in demand, suggesting that price hikes do not significantly affect the downstream industry. Further, they have emphasized that the demand for TiO2 is not highly price-sensitive, with no substitutes available in the market. They also mentioned that large paint companies typically pass price increases on to consumers without a reduction in demand. There are viable alternatives to Chinese TiO2 from non-subject countries, so they could easily switch suppliers if duties are imposed. TiO2 is a small component in finished products, and price increases would have a minimal effect on profitability.

L.2. Submissions by the domestic industry

114. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to public interest:

- The domestic industry constitutes the entire Indian industry and one more producer has recently
 entered the market. Imposition of duties is essential to ensure a fair market price and will prevent
 India from becoming solely import reliant. If duties are not imposed, Chinese producers will create a
 monopoly in the market.
- ii) Increasing market share of the subject imports of China have not only caused injury to the domestic industry but also taken all the share of other countries.
- iii) Encouraging domestic production will further boost employment, improve standard of living and increase the GDP of the country.
- iv) Titanium dioxide is used in the paints and coating industry, plastic industry, paper, rubber and leather industries. The cost on account of subject goods for the downstream industry is miniscule. 70% of the demand for subject goods is generated by the paints industry wherein TiO2 hardly constitute 5% of the composition.
- v) Titanium dioxide primarily serves the paint industry accounting for approximately 70% of total demand. The subject goods constitute a 5%, 25% and 30% of the overall composition of paints used in households, paints used in industrial application and powder coating used in appliances respectively. The eventual impact of duties on the end consumer would be minimal and nonconsequential.
- vi) If measures are not imposed, the industry is likely to shut down due to inability to match the price of the dumped imports, deteriorating profitability, and other financial indicators.
- vii) The paint industry, even if unable to pass on any possible increase in cost to the consumers, would be able to absorb the impact of duties imposed themselves.
- viii) As regards the plastics industry, the sector would remain profitable even if the impact of duties were not to be passed on or were not absorbed.
- ix) Existence of demand supply gap does not justify dumping of the subject goods.
- x) There exist imminent plans to expand the capacity of the domestic industry, and to make additions to the Indian industry, which will take away the need for imports as a whole.
- xi) Any minimal impact on masterbatch industry can be passed on to the downstream user, and alternatively, there are other sources of TiO2 from where the masterbatch industry can source TiO2.
- xii) For export competitiveness, exporters of masterbatch can obtain an advance authorisation license, which would enable them to import products duty-free.
- xiii) India is a growing market and the volume of demand offered by the Indian market is significant and unmatched by other countries individually.
- xiv) Multiple investigating authorities have levied duties and initiated investigations on imports of TiO2 from China.
- xv) Rutile through sulphate and rutile through chloride can both be sourced from alternate sources of supply, in the event that importers and users want to opt for alternate sources.
- xvi) The product is a price sensitive and capital-intensive product and expansion of capacity for such product presents challenges and requires considerable time. Domestic industry is making efforts in this regard.
- xvii) The domestic industry requires a fair market to make investments to further its plans of expansions.

L.3. Examination by the Authority

115. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by

ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the imposition of duties may stimulate the emergence of new producers within the country.

- 116. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
- 117. The interested parties have filed economic interest questionnaires. It is noted from the submission of all the interested parties that the subject goods are primarily used in the paint industry which constitutes a major portion of the total demand for the subject goods and the subject goods form very low percentage of the total volume of composition of the paints. The analysis submitted by the applicants and other interested parties shows that difference in the cost of the subject goods due to impact of imposition of duties would not be significant.
- 118. The Authority notes that there exists a demand-supply gap in the present investigation. The Authority notes the submission of the domestic industry that active steps are being taken to expand capacity by the existing producers and also by new producers. One new producer namely, M/s Meghmani Organics Pvt Ltd, has already set up new capacities post POI. It is also recognised that dumping needs to be addressed, so as to provide the Indian industry with a fair and level playing field to plan capacity expansion considering the fact that the industry is a capital-intensive industry.
- 119. It is also noted in this regard that existence of demand-supply gap does not justify dumping in any situation. The same has been held by the CESTAT in *DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority10* as well as by the Gujarat High Court in NOCIL Limited v. Government of India. The Gujarat High Court held as follows in this regard:

"Where gap of demand and supply exists, the imports are inevitable but that is not a justification for imports coming into India at unfair and dumped prices. In view of the information made available by the petitioner to the authority, it is clearly found that there is continuous dumping, in the present case and, therefore, the demand and supply gap is not the basis for allowing such import."

120. The Authority notes that the volume of imports from the subject country has increased throughout the injury period. The share of subject imports forms 57% of the total Indian demand. The increase in imports from the subject country has also adversely impacted the market share of the volume of imports from non-subject countries, whose share in the market has been reduced from 43% in the base year to 31% in the POI. The consumers have alternate sources of supply. Therefore, even if volume of imports declines as a consequence of the imposition of anti–dumping duties, imports from non–subject countries would replace such dumped imports and, thereby, mitigate the adverse effects, if any.

M. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

M.1 Submissions by other interested parties:

- i. Rutile-Sulphate Titanium Dioxide should not be included in the investigation scope, because it is distinct from Rutile-Chloride in terms of applications and pricing.
- ii. Domestic producers lack the capacity to meet India's demand, with total installed capacity at 82,500 MT while demand is ***MT, making imports essential.
- iii. There is no causal link between imports and injury to the domestic industry, as several other market factors have impacted the domestic industry's financial health.
- iv. The raw material price fluctuations, supply chain disruptions, and global macroeconomic issues are key reasons for financial difficulties faced by domestic producers, rather than imports.
- v. The other interested parties challenge the injury analysis methodology, arguing that the Authority has not sufficiently examined non-import factors affecting the domestic industry.
- vi. The domestic manufacturers have not expanded capacity despite years of protection, demonstrating that anti-dumping duties have not led to increased domestic production.
- vii. Imports from China help bridge the demand-supply gap, ensuring stable input costs for the plastics industry.
- viii. Anti-dumping duties will lead to increased costs for key downstream sectors, including plastics, paints, and paper, affecting price stability for finished goods.
- ix. Many alternative sources of supply (such as from Australia, Mexico, and Malaysia) exist, meaning that anti-dumping duties on China will not necessarily benefit domestic producers but rather shift trade flows to other countries.
- x. Strongly opposes the imposition of anti-dumping duties on public interest grounds, stating that such measures will harm India's competitiveness in the global plastics industry.
- xi. Titanium Dioxide (TiO2) produced via the Chloride and Sulphate processes serve different market segments, and the DGTR should not treat them as interchangeable for anti-dumping calculations.
- xii. The classification of China PR as a non-market economy is incorrect, because China's pricing and cost structures are market-driven and should be accepted in the normal value determination.
- xiii. The application of a 22% Return on Capital Employed (ROCE) for the domestic industry is incorrect as it is outdated and results in an artificially high non-injurious price (NIP).
- xiv. The Authority's determination of dumping margins is incorrect, because the methodology used does not reflect transaction-level price variations and should be adjusted accordingly.
- xv. The imposition of anti-dumping duties would not be in public interest as they will increase input costs for key downstream industries such as paints, plastics, and paper.
- xvi. The global economic factors have influenced Titanium Dioxide prices, and the Authority should not attribute all price movements to dumping.
- xvii. The injury to the domestic industry is not caused by imports, but rather due to inefficiencies in production, outdated technology, and high operational costs.
- xviii. The use of surrogate country methodology in the calculation of normal value is in incorrect, asserting that China PR should be treated as a market economy.
 - xix. The domestic industry has been unable to supply Titanium Dioxide at competitive prices, leading to a natural shift toward imports rather than a case of dumping.
 - xx. The other interested parties oppose reference price-based anti-dumping duties, stating that such duties are prone to manipulation and may not reflect actual market conditions.
 - xxi. Requests that the injury margin calculations be reassessed, ensuring that cost fluctuations in raw materials and other economic conditions are properly accounted for.
- xxii. The landed price of imports has fluctuated significantly due to global economic factors.

- xxiii. Similar anti-dumping investigations in Brazil and the European Union have used different methodologies for injury assessment, suggesting that the Authority should align its approach with global practices.
- xxiv. The dumping margin calculation does not reflect actual market behaviour, as weighted averages do not account for transaction-level pricing variations.
- xxv. Indian importers have diversified their sourcing strategies, meaning that duties on Chinese imports could result in a shift to other supplying countries rather than benefiting the domestic industry.
- xxvi. Requests that the Authority disclose the names of paint companies that have purportedly purchased Rutile-Sulphate TiO2 from the domestic industry, as claimed in the disclosure statement.
- xxvii. The paint industry in India is growing rapidly and requires a stable supply of Titanium Dioxide at competitive prices, which the domestic industry has not been able to ensure.
- xxviii. The injury to the domestic industry is exaggerated, as demand for paints and coatings has remained strong, allowing producers to operate profitably.

M.2 Submissions by the domestic industry:

- i. Imports have increased by 54% over the injury period, despite a relatively stable demand, leading to a decline in domestic market share.
- ii. The domestic industry claims that China's non-market economy status should be upheld, and the normal value should be determined accordingly.
- iii. China's surplus production capacity is significantly higher than India's total demand, meaning dumped imports are likely to continue without intervention.
- iv. The dumped imports have affected production, sales, profits, and return on investment, leading to financial stress and underutilization of capacity.
- v. The domestic industry argues that there is a direct link between dumped imports and the injury suffered by domestic producers.
- vi. Cost of sales has increased, but selling price has declined, leading to a steep reduction in profits and negative return on investment (ROI).
- vii. Cash losses have been recorded by domestic manufacturers in recent years due to dumped imports.
- viii. Price suppression caused by low-priced imports has prevented the domestic industry from increasing prices in response to rising costs.
- ix. Market share of Chinese imports has increased consistently, whereas the share of domestic production has shrunk significantly.
- x. The domestic industry supports the exclusion of food, pharma, skin-care, textile, and nano/ultrafine Titanium Dioxide from the scope of the investigation.
- xi. The domestic industry strongly opposes the exclusion of Rutile-Sulphate TiO2 from the scope of anti-dumping duties. Both Rutile-Chloride and Rutile-Sulphate grades have similar chemical and physical properties.
- xii. The difference in prices is not a valid reason for differentiation, as production costs are comparable.
- xiii. The other interested parties claim that the Authority's PCN methodology is incorrect, but the domestic industry argues that PCN methodology should be based on crystalline structure (rutile & anatase), not process (chloride & sulphate).
- xiv. Producers/Exporters from subject country have misled the Authority by claiming high-cost differences, whereas verified data shows that costs are comparable.
- xv. The Brazilian and EU authorities have treated Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride grades as a single product, and the Authority should do the same.
- xvi. The domestic industry disputes the determined NIP, stating that the coating cost for TiO2 has been underestimated. The domestic industry has provided financial records showing higher actual coating costs, which should be factored into the final determination. The injury margin and

- dumping margin should reflect these adjustments to provide adequate protection to domestic producers.
- xvii. The domestic industry strongly opposes reference price-based anti-dumping duties. Importers can manipulate invoices to avoid duties. Past investigations have shown that reference price duties were ineffective, leading to their replacement with fixed duties in later reviews.
- xviii. A fixed quantum of duty should be imposed to ensure that duties are effectively applied and not evaded.
 - xix. The domestic industry acknowledges that there is a demand-supply gap in the Indian market but asserts that Indian producers are actively expanding their capacity to bridge the gap.
 - xx. Meghmani Organics has set up new production units, and existing producers (KMML, TTPL) have investment plans to increase production.
- xxi. If dumping continues unchecked, planned expansions will be jeopardized, harming long-term self-reliance.
- xxii. The domestic industry rejects the claim that anti-dumping duties will harm consumers.
- xxiii. TiO2 forms a small percentage of the total cost of paints, plastics, and paper. The actual cost impact on final products is minimal (0.012% to 1.44%).
- xxiv. Alternative suppliers from non-subject countries (e.g., Australia, Malaysia, and Mexico) exist to replace Chinese imports.
- xxv. The domestic industry highlights that Brazil, Saudi Arabia, the Eurasian Economic Union (EAEU), the European Union, and the US have all imposed ADD on Chinese TiO2.
- xxvi. Given these global trends, India must also impose duties to prevent market distortion and trade diversion from China.
- xxvii. The domestic industry requests a fixed quantum anti-dumping duty in USD for a period of five years.

M.3 Examination by the Authority:

- 121. The Authority has examined the post disclosure comments made by the interested parties. It is noted that the comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paragraphs of this final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. Issues raised by the interested parties other than those examined in detail and which are considered relevant by the Authority have been examined as hereunder:
- 122. As regards the argument of the domestic industry that the PCN methodology should be based on crystalline structure, the Authority reiterates that PCN was correctly adopted because it goes beyond crystalline structure to incorporate production process and cost and price differences. This broader classification allows for a more precise and fair comparison taking into account the pricing and technical differences of the two processes.
- 123. Given the interchangeability and competitive market positioning of both sulphate and chloride rutile titanium dioxide, the Authority concludes that the inclusion of sulphate-rutile titanium dioxide within the scope of the product under consideration is appropriate and justified.
- 124. As regards the argument that other factors such as internal inefficiency, raw material price fluctuation, supply chain disruptions have caused injury and price suppression to the domestic industry, it is noted that dumped imports are the principal factor affecting the domestic industry's pricing and profitability. The examination of data shows that the selling price of the domestic industry has been consistently below cost since 2022-23, while the landed price of imports has been materially lower than the cost of sales, leading to significant price suppression. Furthermore, claims attributing the domestic industry's losses to internal inefficiencies or supply chain disruptions have not been substantiated with any concrete evidence. The

alleged raw material fluctuation, if any, is a factor that affects both, the domestic industry and the exporters alike.

- 125. The 22% Return on Capital Employed (ROCE) benchmark has been consistently used in anti-dumping investigations, which ensures a reasonable return on investment for the domestic industry. The Authority finds no concrete reason to depart from its established practice in this matter. The Authority's determination of NIP is based on established principles outlined in Annexure III of the Anti-dumping Rules.
- 126. The exporters had not requested transactional wise dumping margin earlier and there is no information available to determine the NIP and the normal value at a transactional level at this stage of the investigation. Furthermore, the information on record does not show consistent and significant difference in export price between different periods. Minor price variations are accounted for using weighted averages, ensuring a fair comparison. No substantive evidence has been provided by the exporters to demonstrate that an alternative approach would provide more accurate results.
- 127. The domestic industry has provided names of paint manufacturers to whom goods have been sold to along with relevant evidence.
- 128. In order to ensure fair comparison between sulphate-rutile titanium dioxide produced by the domestic industry and imported from exporters/producers of the subject country, appropriate adjustments have been made on account of coating cost for determining injury margin and dumping margin.
- 129. As regards domestic industry's contention regarding underestimation of coating cost, the Authority notes that the coating cost assessment is based on verified data made available by the domestic industry and after considering relevant cost components in accordance with the principles enshrined under Annexure III of the Anti-Dumping Rules.

N. CONCLUSION

- 130. Based on the submissions made, information provided, and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
 - i) The scope of the product under consideration is "Titanium Dioxide" originating in or exported from China PR.
 - ii) The subject goods are classified under the customs sub-heading 28230010, and since it is a pigment, imports of subject goods are also being reported under 32061110 and 32061190.
 - iii) The application has been filed by M/s. Kerala Minerals and Metals Ltd, M/s. Travancore Titanium Products Ltd and M/s. VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. The applicants constitute domestic industry, under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
 - iv) The subject goods exported from China PR and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
 - v) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is above de-minimis level and significant.
 - vi) The volume of subject imports increased over the injury period, especially in the POI, in absolute and relative terms. Imports of subject country constitute a majority of the total imports into India throughout the injury period.

- vii) Imports have had a considerable impact on suppressing the prices of the domestic industry.
- viii) Production and capacity utilisation increased from the base year and 2021-22 after which there was a decline. Capacity utilisation is low despite high demand in the country.
- ix) Sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23, and increased in the POI.
- x) Market share of imports from the subject country in domestic demand has increased whereas, that of domestic industry has declined over the injury investigation period.
- xi) Profits and cash profits have declined for the domestic industry during the injury investigation period. The domestic industry is incurring losses since 2022-23 and the POI. ROI has also declined steeply and was negative ***% in the POI.
- xii) Average inventory has increased significantly during the injury period.
- xiii) Number of employees and wages paid have decreased over the injury period with marginal increase in the POI as compared to previous year.
- xiv) Productivity per employee increased in the base year and 2021-22, while decreasing in 2022-23 and the POI.
- xv) Imports at dumped prices have adversely impacted the growth of the domestic industry.
- xvi) No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports of the subject goods from subject country, and is facing threat of injury from subject country.

O. RECOMMENDATIONS

- 131. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of injury, causal link, and impact of measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions of anti-dumping investigations as laid down under the Anti-dumping Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty should be imposed on subject goods. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duties on imports of the product under consideration.
- 132. Further, having regard to the conclusion reached with regard to imports of the product under consideration under HS Codes- 28230010, 32061110 and 32061190, the Authority recommends collection of anti-dumping duties on imports of the product under consideration, falling under this code.
- 133. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, to be issued in this regard by the Central Government for a period of 5(five) years from the date of notification to be issued in this regard.

DUTY TABLE

SN	Heading/	Description	Country	Country	Producer	Amount	Unit of	Currency
	sub-	of goods	of	of export			measurement	
	heading		origin					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28230010,	Titanium	China	Any	Anhui Gold	609	MT	USD
	32061110,	Dioxide**	PR	country	Star			
	and			including	Titanium			

SN	Heading/ sub- heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)		(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	(2) 32061190 * -do-	-do-	China PR	China PR Any country	(6) Dioxide (Group) Co., Ltd. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd. Shandong Jinhai	563	(8) MT	USD
				including China PR	Titanium Resources Technology Co., Ltd. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.			
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	LB Xiangyang Titanium Industry Co Ltd., and LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. LB Group Co., Ltd. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.	460	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including	****Non- Sampled Cooperative	510	MT	USD

SN	Heading/	Description	Country	Country	Producer	Amount	Unit of	Currency
	sub-	of goods	of	of export			measurement	
	heading		origin					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				China PR	Producers			
5.	-do-	-do-	China PR	Any country other than subject country	Any producer other than SN 1, 2, 3, & 4	681	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than subject country	China PR	Any	681	MT	USD

^{*}Note-Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

**Excluding the following:

S. No.	Product excluded	Description of the excluded product and details
1	Food	TiO2 used in food additives like food colouring
2	Pharma	TiO2 used as ingredient in tablet film coatings
3	Skin-care	TiO2 is used in cosmetics and sunscreen lotions for UV- absorbing and photocatalyst applications
4	Textile	TiO2 used in production of textile/fibre. TiO2 which is used in the production of textiles and fibres largely because of its photo-catalytic self-cleaning, UV-protection and delustering abilities, etc. is excluded from the scope of product under consideration. However, such exclusion does not extend to the TiO2 that is used as a pigment for printing over the textile/garment/cloth/fabric.
5	Fibre	TiO2 is used for delustering the artificial fibre and this fibre is used to product the textiles. Fibre grade materials are used to blend with fibre threads to make the cloth itself. TiO2 Rutile grade for making décor paper (used at fibre/pulp stage).
6	Nano or ultrafine	Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm used in textile/paint industry to offer characteristics such as dust free textile/paint.

****Non-Sampled Cooperative Producers

- 1. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
- 2. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
- 3. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.
- 4. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)

- 5. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
- 6. Inter-China Chemical Co., Ltd.
- 7. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
- 8. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
- 9. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
- 10. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
- 11. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
- 12. Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd.
- 134. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

P. FURTHER PROCEDURE

135. An appeal against the order of the Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority